दृष्टि The Vision

सामान्य अध्ययन

(मुख्य परीक्षा)

(General Studies: Mains)

संवैधानिक, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtiias.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright – Drishti The Vision Foundation

योजना आयोग
(Planning Commission)

योजना आयोग का गठन केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। इस तरह योजना आयोग न तो संवैधानिक संस्था है और न ही विधिक बल्कि यह एक संविधानेत्तर (Extra-Constitutional) संस्था है जिसकी प्रकृति सलाहकारी (Advisory) है।

भारत का संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसके साथ ही राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का भी प्रावधान करता है। इसमें राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह लोगों के कल्याण के लिए ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। अर्थात् नागरिकों जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों शामिल हैं, को आजीविका के साधनों पर बराबर का अधिकार हो, देश के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण एवं स्वामित्व इस प्रकार हो जिससे कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिल सके, आर्थिक व्यवस्था का इस तरह संचालन हो जिससे कि धन का केन्द्रीकरण न हो सके या सामान्य कल्याण में बाधा न बने आदि। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के सन्दर्भ में योजना आयोग का गठन किया गया। राज्य सरकारें योजना आयोग में प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इस तरह योजना आयोग पूर्णतया केन्द्रीय संस्था है।

योजना आयोग की संरचना *(Structure of Planning Commission)*

भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन (de-facto) अध्यक्ष होता है। आयोग का उपाध्यक्ष पूर्ण कालिक कार्यकारी प्रमुख होता है। योजना का प्रारूप बनाने तथा उसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वह उत्तरदायी होता है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है लेकिन वह मंत्रिपरिषद् का सदस्य नहीं होता है। बिना मताधिकार के वह कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकता है। कुछ केन्द्रीय मंत्री इसके अंशकालिक सदस्य होते हैं।

आयोग का एक सदस्य सचिव होता है जो सामान्यतया भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। वर्तमान में सुश्री सिन्धुश्री खुल्लर आयोग की सदस्य सचिव है।

आयोग में दैनिक कार्य सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। हालांकि सुविधा के लिए प्रत्येक सदस्य को कई विषय आबंटित किए जाते हैं। उन विषयों से संबंधित तकनीकी एवं अन्य समस्याओं से निपटना उस सदस्य का ही दायित्व होता है। महत्त्वपूर्ण नीतियों के संदर्भ में पूरा आयोग विचार करता है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री इसमें भाग लेते हैं और सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित नीतियों पर निर्देश देते हैं।

आयोग में कुल 30 प्रभाग (Division) हैं- (1) कृषि, (2) संचार एवं सूचना तकनीकी, (3) विकेन्द्रीकृत योजना एवं पंचायती राज, (4) पर्यावरण एवं वन, (5) स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण, (6) आवास एवं शहरी मामले, (7) वित्तीय संसाधन (8) मानव संसाधन विकास, (9) उद्योग, (10) आधारभूत संरचना, (11) अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, (12) अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ, (13) श्रम रोजगार एवं मानव संसाधन, (14) खनिज, (15) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, (16) योजना समन्वय एवं प्रबन्धन, (17) बिजली एवं ऊर्जा, (18) प्रोजेक्ट मूल्यांकन एवं प्रबन्धन, (19) ग्रामीण विकास, (20) विज्ञान एवं तकनीक, (21) सामाजिक न्याय एवं कल्याण, (22) सामाजिक आर्थिक अनुसंधान, (23) राज्य योजना, (24) यातायात एवं पर्यटन, (25) ग्रामीण एवं लघु उद्योग, (26) स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ, (27) जल संसाधन प्रकोष्ठ, (26) महिला एवं बाल विकास, (29) विकास नीति एवं परिप्रेक्ष्य योजना (Perspective Planning), (30) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन।

योजना आयोग के कार्य *(Functions of Planning Commission)*

1950 के प्रस्ताव में योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य बताए गए हैं-

1. देश के भौतिक (Material), पूंजीगत एवं मानव संसाधनों के साथ-साथ तकनीकी कर्मियों का आकलन करना और यदि ये देश की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो उनके संवर्द्धन की संभावनाओं की खोज करना।
2. देश के संसाधनों के प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना निर्माण करना।
3. प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, उन चरणों या स्तरों को परिभाषित करना जिसमें योजना का क्रियान्वयन हो सके, साथ ही प्रत्येक चरण को पूरा करने हेतु संसाधनों के आबंटन हेतु प्रस्ताव देना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

4. उन कारकों की पहचान करना जिससे आर्थिक विकास बाधित होता हो तथा तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसी दशा का निर्माण करना जिसमें योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो।
5. योजना के प्रत्येक चरण के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु यंत्र (Machinery) की प्रकृति का निर्धारण करना।
6. योजना के प्रत्येक स्तर का मूल्यांकन करना और उसी अनुरूप नीतियों एवं उपायों (Measures) में आवश्यक परिवर्तन लाना।
7. योजना आयोग के कर्तव्यों के निवर्हन या तत्कालीन आर्थिक स्थिति, नीतियों, उपायों या विकास कार्यक्रमों के बारे में अंतरिम अनुशंसा करना तथा केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा सन्दर्भित कुछ विशिष्ट समस्याओं के बारे में सलाह देना या उनका परीक्षण करना।

वर्तमान समय में योजना आयोग की प्रासंगिकता
(Relevance of Planning Commission in Present Time)

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आज के आर्थिक उदारीकरण एवं बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में योजना का कोई महत्त्व रह गया है? साथ ही एक अहम सवाल यह भी है कि जिस तरह से विकसित औद्योगिक देशों ने बिना योजना के तीव्र आर्थिक विकास किया है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? इस संदर्भ में विश्लेषकों का मानना है कि निश्चित तौर पर भारत भी बिना योजना के विकास कर सकता है लेकिन बिना योजना के भारत जैसे देश को तीव्र आर्थिक विकास करने में एक लम्बा समय लग सकता है जिसकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। भारत में अब यह महसूस किया जाने लगा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बाजार अर्थव्यवस्था बेहतर परिणाम दे सकती है यदि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कम कर दिया जाए। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। भारत में 1990 के दशक से निजी क्षेत्र की कार्य क्षमता को सुधारने के लिए प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया गया। विदेशी पूंजी और विदेश व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। लेकिन यह मान लेना एक भूल ही होगी कि बाजार पर निर्भरता से सारे उद्देश्य पूरा हो जाएँगे। यह वितरणात्मक उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था से सबको बराबर लाभ नही मिल सकता। बाजार अर्थव्यवस्था को असफल होने से बचाने के लिए कई तरह के सुधारात्मक उपाय करने होते हैं। ऐसी समस्याओं को सरकार के विभिन्न स्तरों पर सोची-समझी सुसंगत नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। यहीं से योजना आयोग जैसी संस्था की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यह सांकेतिक योजना (Indicative Planning) के माध्यम से अर्थव्यवस्था संबंधी व्यापक रूपरेखा तय करती है तथा साथ ही चुनौतियों का भी जिक्र कर दिया जाता है। योजना उन जरूरी आधारभूत संरचना के लिए भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है जिनका आयात नहीं किया जा सकता, जैसे- स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, वायुपत्तन (Airport), पत्तन (Ports), दूरसंचार (Telecommunication), जल आपूर्ति, सीवेज आदि। भारत में इस समय जिस सांकेतिक योजना की बात की जाती है उसके तहत महत्त्वपूर्ण या जोखिमभरे (Critical) क्षेत्रों की ओर ध्यान खींचा जाता है और इनसे संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर नीतिगत विकल्पों की पहचान की जाती है। सामान्य तौर पर इसके तहत समस्याओं की तरफ ध्यान खींचा जाता है, समाधान हेतु सामान्य रूपरेखा बनाया जाता है तथा बातचीत का अवसर उपलब्ध कराया जाता है जिससे नीतियों को लागू करने से पहले सभी संबंधित भागीदार भाग ले सकें।

भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च केन्द्रीकृत योजना (Centralised Planning) से सांकेतिक योजना (Indicative Planning) की तरफ बढ़ रहा है। इस सांकेतिक योजना के तहत योजना आयोग देश की प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है और दीर्घकालिक भविष्य के लिए सामरिक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। यह क्षेत्रवार (Sectoral) लक्ष्यों का निर्धारण करता है तथा उनकी प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। राष्ट्रीय विकास संबंधी योजनाओं के निर्माण में अपनी विशेषज्ञ सेवाएँ प्रदान करता है। प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में योजनाओं एवं कार्यक्रमों का परीक्षण करता है। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्राथमिकताओं का निर्धारण हमेशा आर्थिक आधार पर ही नहीं होता बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर किया जाता है।

आयोग सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में समग्र रूप से एकीकरण में भूमिका निभाता है। आज भी यह देखा जाता है कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े ग्रामीण स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण ऊर्जा, साक्षरता एवं पर्यावरण से संबंधित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु एकीकृत नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है ताकि इनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। इनके संबंध में एकीकृत निर्णय या उपाय से कम लागत पर बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है। आयोग का यह प्रयास होता है कि सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजना लागत (Plan Outlay) न बढ़ाकर निश्चित की गई योजना लागत पर ही कार्य दक्षता बढ़ाई जाए।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtiias.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright – Drishti The Vision Foundation

आज यह देखा जाता है कि केन्द्र एवं राज्यों के बीच संसाधन आबंटन को लेकर तनाव बना रहता है। बजटीय आबंटन को लेकर योजना आयोग पर एक तरह का दबाव देखा जाता है। इस स्थिति में सभी के हितों की देखभाल एवं उनके बीच मध्यस्थ एवं सुविधा प्रदाता की भूमिका में योजना आयोग की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक (Think Tank) की भूमिका निभाता है।

यह हर स्तर के स्व प्रबंधित संगठनों (Self Managed Organisations) पर निर्भर करता है कि उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए। इस संदर्भ में योजना आयोग व्यवस्था के तहत रहकर व्यवस्था को बदलने हेतु सरकार को परामर्श देता है। अपने अनुभवों के आधार पर योजना आयोग सूचना प्रसार का कार्य भी करता है। योजना आयोग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह समय-समय पर मूल्य स्तर (Price Level) तथा उसके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन कर तथा उसे एक निश्चित स्तर पर बनाये रखने के लिए विचार प्रस्तुत करे।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में सरकारें तथा योजना आयोग एक-दूसरे की पूरक हैं। कार्यक्रमों एवं नीतियों के निर्माण में योजना आयोग, मंत्रियों को उपयोगी सहायता प्रदान करता है। अपने ज्ञान, अनुभव एवं विशेषज्ञता को एक-दूसरे के साथ बाँटते हैं। योजना आयोग सरकार के लिए एक अनुसंधान संस्था के रूप में भी कार्य करता है।

योजना आयोग के समक्ष चुनौतियाँ *(Challenges Before Planning Commission)*

योजना आयोग के समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौती बदलते समय एवं परिस्थिति के अनुसार अपने आपको ढालने की है। यह देखा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना तक योजना आयोग का मुख्य ध्यान सार्वजनिक क्षेत्रों के विस्तार पर रहा। हालाँकि नौवीं पंचवर्षीय योजना से उसने एक सलाहकार या सुविधा प्रदाता की भूमिका ग्रहण की। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में कोई भी देश आर्थिक सामर्थ्य को तब तक हासिल नहीं कर सकता है जब तक कि वह विश्व के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा की क्षमता हासिल नहीं कर लेता है। हम आर्थिक रूप से सशक्त देशों के साथ तभी प्रतिस्पर्द्धा कर पाएंगे जब देश का आर्थिक एवं मानव संसाधन उत्कृष्ट श्रेणी का हो। यहाँ पर योजना आयोग की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। योजना आयोग पूरे देश के लिए जिसमें केन्द्र एवं राज्य दोनों शामिल होते हैं योजना बनाता है। योजना बनाने के साथ ही उसके लिए चुनौतियाँ भी पैदा होने लगती है।

सबसे पहली चुनौती तो वित्त आबंटन की आती है। इसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है जिसके लिए विकास दर को बढ़ाना होता है और यह वैश्वीकरण के उठते-गिरते दौर में एक मुश्किल काम है। दूसरी तरफ वार्षिक योजनाओं के माध्यम से जब विभिन्न राज्यों को वित्त आबंटित किया जाता है तो राज्य सरकारें उचित-अनुचित आधारों पर योजना आयोग पर आरोप लगाते हैं। यह प्रवृति तब और भी बढ़ी हुई देखने को मिलती है, जब राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं। ऐसे आरोप न लगे, यह योजना आयोग के समक्ष एक चुनौती है।

योजना को लेकर केन्द्र-राज्यों के बीच विवाद देखने को मिलता है। आयोग देश की योजना के लिए कुछ आधारभूत विषय निश्चित करता है। लेकिन प्रत्येक राज्य की समस्याएँ अलग-अलग हैं। यही कारण है कि उनकी मूल-समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। केन्द्रीय कैबिनेट योजना के संबंध में अन्तिम निर्णय लेती है जबकि इसका क्रियान्वयन राज्य की कार्यपालिका द्वारा होता है। राज्यों के पास अपने योजना बोर्ड नहीं हैं जो योजनाओं को तकनीकी दृष्टि से निश्चित कर सके।

योजना आयोग की अगली चुनौती योजना क्रियान्वयन से जुड़ी होती है। योजना आयोग के पास प्रभावी क्रियान्वयन एजेन्सी का अभाव है। देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग की तरह समस्याएँ है। कहीं कानून व्यवस्था और नक्सलवाद जैसी समस्याएँ हैं तो कहीं अन्य स्थानीय एवं सामुदायिक समस्याएँ हैं। ऐसी स्थिति में योजना आयोग के सामने यह चुनौती बन जाती है कि वह एक प्रभावी क्रियान्वयन एजेन्सी के साथ-साथ योजना निर्माण में पर्याप्त लचीलापन लाए ताकि क्रियान्वयन ऐजेन्सियों को स्थानीय जरूरतों के प्रति उत्तरदायी एवं नवप्रवर्तनशील (Responsive and Innovative) होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

कई बार यह देखने को मिलता है कि योजना आयोग द्वारा तय मानदंड या आँकड़े, राज्यों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ऐसे मामले ज्यादातर उन विषयों से जुड़े होते हैं जिनपर ज्यादा वित्तीय व्यय की आवश्यकता होती है। गरीबी निवारण या पिछड़ापन दूर करने से संबंधित आँकड़ों पर राज्यों द्वारा आपत्ति किए जाने के उदाहरण सामने आते रहे हैं। इस संदर्भ में योजना आयोग के सामने यह चुनौती है कि वह अपनी विश्वसनीयता बहाल करे। विश्वसनीयता बहाल हो, इसके लिए यह भी जरूरी है कि आयोग द्वारा जो आँकड़े जारी किए जाएँ वे वास्तविकता के नजदीक हो। आयोग के समक्ष आज समावेशी विकास को बढ़ावा देने की चुनौती है। योजना आयोग पर संपन्न एवं विपन्न दोनों प्रकार के राज्यों का दबाव होता है। संपन्न राज्य जहाँ अपने राज्य के करों को अपने पास ही देखना चाहते है वहीं गरीब राज्य आयोग से ज्यादा से ज्यादा वित्तीय आबंटन चाहते हैं ताकि वे अपने प्रदेश से जुड़ी समस्याओं

Copyright – Drishti The Vision Foundation

को जल्द से जल्द हल कर सके। समकालीन समय में योजना आयोग के समक्ष विकास की रूपरेखा निर्धारित करते समय ग्रामीण-शहरी, पुरुष-महिला और अमीर-गरीब के बीच विद्यमान असमानता को समाप्त करने की चुनौती तो है ही, इसके साथ ही उसके द्वारा पर्यावरणीय रूप से ग्राह्य या सतत् विकास को बढ़ावा देने की भी चुनौती है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में आज स्पष्ट उत्तरदायित्व का अभाव दिखाई देता है। लालफीताशाही एवं भ्रष्टाचार योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा है। जिस तेजी से ऑडिट एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, उसका अभाव देखा जाता है। इस संबंध में समवर्ती लेखा-परीक्षा या मूल्यांकन (Concurrent Audit or Evaluation) उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन विशेष तौर पर इस कार्य को संपन्न करने के लिए योजना आयोग के पास स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था (Independent Evaluation Office) का नेटवर्क होना चाहिए। इसके अलावा योजना आयोग के समक्ष यह भी चुनौती है कि वह लालफीताशाही जो एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में कोष स्थानांतरण (Fund Transferring) के मामले में देखने को मिलती है, उसे दूर करे। जल्दी-जल्दी आने वाली विपत्तियों एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विकास को पटरी पर लाने की चुनौती भी योजना आयोग के समक्ष आती रहती है। इन सबके साथ योजना आयोग के समक्ष यह भी चुनौती है कि किस तरह विकेन्द्रीकरण के माध्यम से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए पंचायती राज्य संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

आलोचना *(Criticism)*

योजना आयोग का गठन मूल रूप से एक सलाहकारी संस्था के रूप में की गई थी लेकिन पूरे देश के लिए योजना बनाने तथा उसे राज्यों द्वारा मान लेने के क्रम में इसने शक्तिशाली प्राधिकरण का रूप धारण कर लिया। आलोचक इसे 'सुपर कैबिनेट' तक कहने लगे। इसके अलावा इसे आर्थिक मंत्रिमंडल भी एवं समानान्तर मंत्रिमंडल कहा जाने लगा।

अशोकचंदा के अनुसार आयोग की अपरिभाषित और व्यापक स्थिति केन्द्र एवं राज्यों के लिए 'आर्थिक मंत्रिमंडल' की तरह है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डी॰ आर॰ गाडगिल ने आयोग की आलोचना करते हुए कहा है कि आयोग का गठन एक सलाहकारी संस्था के रूप में की गई थी लेकिन यह अपने मूल कार्य को भूलकर नीतियों का निर्माण करने लगा है। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री की सदस्यता के कारण इसने असाधारण महत्ता एवं प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। पी॰ वी॰ राजामन्नार ने योजना आयोग एवं वित्त आयोग के कार्यों में उत्पन्न आच्छादन (Overlapping) के बारे चर्चा की है। के॰ सन्थानम का मानना है कि योजना आयोग ने संविधान का उल्लंघन किया है। इसके कारण संघीय व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है और केंद्रीय व्यवस्था उभरी है। प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है कि केन्द्र और राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति, योजना आयोग ने ग्रहण कर ली है। इसने 'सुपर कैबिनेट' की भूमिका अपना ली है।

योजना आयोग का गठन एक व्यावसायिक संगठन (Professional Organisation) के तौर पर किया गया था जिससे यह आशा की गई थी कि सरकार से अलग रहकर राष्ट्रीय विकास हेतु वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाएगा लेकिन आगे चलकर यह स्वयं नौकरशाही से लैस होकर एक सरकारी विभाग की तरह कार्य करने लगा। मंत्रियों से जुड़ाव ने इसकी स्थिति बदल दी है। आयोग से यह अपेक्षा थी कि वह पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं की रूपरेखा तय करेगा लेकिन यह योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन कार्य में भी शामिल हो गया जो कि प्रशासन का उत्तरदायित्व होना चाहिए। राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के मामले में जिस एक-तरफा अधिकार का प्रयोग किया जाता है वह भी राज्यों द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। योजना बनाते समय आयोग देश की बहुलता या विविधता को नहीं समझ पाता और पूरे देश के लिए एकरूप योजना का निर्माण करता है। इस तरह ऐसा आभास होता है कि देश में संवैधानिक रूप से संघात्मक व्यवस्था न होकर एकात्मक शासन व्यवस्था कार्य कर रही हो।

यह भी आलोचना की जाती है कि सरकार के एक कार्यकारी आदेश से गठित योजना आयोग ने केन्द्र-राज्य के बीच संबंधों को सौहार्द्रपूर्ण बनाए रखने के लिए गठित वित्त आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के कार्य में दखल दिया है जो एक तरह से संविधान के साथ धोखाधड़ी है तथा जिसने संवैधानिक संस्थाओं को गौण बना दिया है।

उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद योजना आयोग की देश के आयोजन (Planning) में महत्त्वपूर्ण भूमिका है तथा यह सरकार को अपने संवैधानिक लक्ष्यों की ओर सतत् अग्रसर होने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय विकास परिषद
(National Development Council)

योजना के समर्थन में देश के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाने, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने तथा देश के सभी भागों में संतुलित एवं तीव्र विकास (Balanced and Rapid Development) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। योजना आयोग की तरह यह भी एक संविधानेत्तर (Extra-constitutional) संस्था है। इसका गठन केन्द्र सरकार के एक शासकीय आदेश के द्वारा हुआ था।

उद्देश्य *(Objectives)*

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए थी-

1. योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना।
2. योजना के समर्थन में राष्ट्र के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाना।
3. सभी अहम क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना।
4. देश के सभी भागों में तीव्र एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना।

कार्य *(Functions)*

राष्ट्रीय विकास परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं-

1. योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना पर विचार करना।
2. योजना निर्माण हेतु दिशा-निर्देश देना।
3. योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों का अनुमान लगाना।
4. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक व आर्थिक नीति से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।
5. समय-समय पर योजना संचालन की समीक्षा करना तथा ऐसे उपायों की अनुशंसा करना जिससे राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

संरचना *(Structure)*

राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक/मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं।

इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को भी इसकी बैठकों में बुलाया जाता है। इस परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है।

वर्ष में दो बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को सबसे पहले कैबिनेट के समक्ष रखा जाता है। कैबिनेट की संस्तुति के बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद से स्वीकृति मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया जाता है। संसद की संस्तुति मिलने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है।

उपयोगिता *(Relevance)*

राष्ट्रीय विकास परिषद सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है। केन्द्र-राज्यों के बीच योजनाओं के प्रारूप के संबंध में यह विस्तृत विचार-विमर्श करता है। केन्द्र-राज्य के बीच सहभागिता, समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा देता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि परिषद में केन्द्र-राज्यों के अलावा अन्य हितों से जुड़े प्रतिनिधियों को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद संघवादी व्यवस्था का प्रतीक है। इसके संगठन का चरित्र राष्ट्रीय है। स्वयं प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के कारण इसे एक विशेष प्रकार का नेतृत्व, नियंत्रण, निर्देशन तथा महत्त्व प्राप्त है। विकास की गति को बढ़ाने, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर संतुलित विकास को बढ़ावा देने, गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ापन को दूर करने में परिषद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

अन्तर्गत गवाह को समन करना एवं अपने समक्ष उपस्थित करना, किसी दस्तावेज को अपने पास मंगवाना तथा किसी भी सरकारी कार्यालय या न्यायालय से रिकार्ड मंगवाना शामिल है।

योजना आयोग का प्रभाव *(Impact of Planning Commission)*

संविधान के अन्तर्गत वित्त आयोग को केन्द्र-राज्य के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है लेकिन व्यवहार में यह कार्य तीन तरीके से संपन्न होता है। वित्त आयोग तो अपना दायित्व निभाता ही है, योजना आयोग एवं संबंधित मंत्रालय भी कतिपय वित्तीय आवंटन में अपनी भूमिका निभाते हैं। देखने में आता है कि वित्तीय आवंटन का बड़ा भाग योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है। भारत द्वारा योजनागत विकास का मार्ग चुने जाने के कारण योजना आयोग की बढ़ी भूमिका देखने को मिलता है। राज्यों के बीच राजकोषीय समानता स्थापित करने का कार्य योजना आयोग द्वारा ही किया जाने लगा है जबकि संवैधानिक रूप से यह कार्य वित्त आयोग को सौंपा गया था। योजना आयोग के गठन के पश्चात् निश्चित तौर पर वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र सीमित हुआ है। भारत में सामान्य तौर पर योजना, नीति एवं कार्यक्रम योजना आयोग के अधिकार क्षेत्र में चला गया है। योजना आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ही योजनागत परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन किया जाता है जिससे वित्त आयोग की भूमिका सीमित हो गई है। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के कार्यों में आच्छादन (Overlapping) पैदा होने से राज्यों की वित्तीय स्थिति की व्यापक समीक्षा भी बाधित हुई है।

बदलते राजकोषीय स्थिति एवं अपने कार्यों में विस्तार के बावजूद वित्त आयोग ने केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों को सामान्य बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि अब तक केन्द्र-राज्य संबंध भंग नहीं हुए हैं तो उसमें वित्त आयोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब वित्त आयोग केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों में केवल मध्यस्थ (Arbitrator) की भूमिका ही नहीं निभाता बल्कि पूरे वित्तीय पुंनर्संरचना (Restructuring) में अग्रणी भूमिका निभाता है। वित्त आयोग की यह भूमिका उभरती चुनौतियों एवं बदलते वित्तीय वातावरण के बीच और भी बढ़ने की संभावना है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(National Commission for Scheduled Tribes)

जनजातियों के कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सन् 1999 में जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई। इससे यह उम्मीद बनी कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि जनजातियों के हितों के प्रभावी संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को विभाजित कर दिया जाए और दोनों समूहों के लिए अलग-अलग आयोग का गठन किया जाए। इसके लिए 2003 में 89वाँ संविधान संशोधन किया गया और उसमें एक नया अनुच्छेद 338-क जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया। सन् 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक अलग संस्था के रूप में अस्तित्व में आया।

आयोग की सरंचना *(Structure of Commission)*

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

देश में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो इसके आँख और कान का कार्य करते हैं। वे राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित नीतिगत फैसलों पर नजर रखते हैं तथा इनसे संबंधित दिशा-निर्देश जारी करते हैं और समय-समय पर राष्ट्रीय मुख्यालय को घटनाक्रम की जानकारी देते रहते हैं।

आयोग के कार्य *(Functions of Commission)*

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों, किसी विशेष समय में बनाए गए कानूनों या किसी सरकारी आदेश के अधीन किये गए विशेष रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण एवं निगरानी करना तथा रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना।
2. अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना।
3. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सहभागिता करना एवं परामर्श देना तथा केन्द्र एवं राज्यों के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
4. इनके रक्षोपायों से संबंधित वार्षिक या ऐसे समय पर जब आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना।
5. ऐसी रिपोर्टों में उनके रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उन उपायों का उल्लेख किया जाता है जो केन्द्र एवं राज्यों द्वारा किये जाने चाहिए। इसके साथ उन उपायों का उल्लेख भी किया जाता है जो अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी हो।
6. अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं उन्नति के लिए ऐसे अन्य कृत्यों का निवर्हन करना जो राष्ट्रपति, संसदीय विधि के अधीन विनिर्दिष्ट करे।

आयोग अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार या उत्पीड़न के मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर देती है। यह अनुसूचित जनजातियों के लिए विधायन से संबंधित मामलों में भी स्वत: संज्ञान लेकर अपनी राय जाहिर करती है।

आयोग की शक्तियाँ *(Powers of Commission)*

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अपने जाँच और अनुसंधान कार्यों को सुगमतापूर्वक जारी रखने के लिए सिविल कोर्ट की शक्ति दी गई है। इसके तहत उसे निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है-

1. किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर करवाना एवं शपथ पर परीक्षा करना।
2. किसी दस्तावेज की खोज एवं पेश करवाना।
3. शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

4. किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई रिकॉर्ड या उसकी कॉपी मंगवाना।
5. दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के परीक्षण के लिए आदेश जारी करना।
6. कोई अन्य मामला जिसे राष्ट्रपति विधि द्वारा निर्धारित करे।

आयोग अपने कार्यों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। यदि आयोग आवश्यक समझे तो समय से पहले भी रिपोर्ट दे सकता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। इस रिपोर्ट के साथ उसकी अनुशंसाओं पर की गई कारवाई तथा यदि किसी अनुशंसा को अस्वीकृत किया गया तो उसका कारण भी ज्ञापन के रूप में होता है। ऐसी कोई रिपोर्ट जो किसी राज्य से संबंधित हो तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाती है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाता है। साथ ही राज्य से संबंधित रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई या किसी अनुशंसा की अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होता है। संघ तथा राज्यों द्वारा अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाली सभी महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करने का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक
(National Commissioner Linguistic Minorities)

संविधान का अनुच्छेद 350-ख राष्ट्रपति द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इस अधिकारी को राष्ट्रीय आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक (National Commissioner Linguistic Minorities) कहा जाता है। विशेष अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए किए गए संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जाँच करे और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।

राष्ट्रीय भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना सन् 1957 में की गई थी। आयुक्त का कार्यालय निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है-

1. आयुक्त द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नावली का राज्य सरकारों द्वारा दिए गए उत्तर।
2. अन्य संगठनों से प्राप्त सूचनाएँ।
3. राज्यों के दौरा के दौरान संग्रहित सूचनाएँ।
4. विभिन्न संगठनों एवं सरकारों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें।
5. शिक्षाविदों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें एवं लेख।

आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है। बेलगाँव (कर्नाटक), कोलकाता तथा चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख असिस्टेंट कमिश्नर होता है।

भाषायी अल्पसंख्यक
(Linguistic Minorities)

प्रत्येक राज्य में अधिसंख्यक निवासियों की एक मातृभाषा होती है। अन्य लोग जो उस भाषा को नहीं बोलते हैं वे भाषायी अल्पसंख्यक होते हैं लेकिन इनमें से वे व्यक्ति अलग कर दिए जाते हैं जिनकी भाषा राज्य की आधिकारिक भाषा होती है। उदाहरणस्वरूप जम्मू-कश्मीर में उर्दू भाषायी व्यक्ति संख्या में अल्पसंख्यक हैं लेकिन वे भाषायी अल्पसंख्यकों में शामिल नहीं हैं क्योंकि उर्दू जम्मू-कश्मीर राज्य की आधिकारिक (Official) भाषा है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
(National Commission for Scheduled Castes)

संविधान निर्माताओं ने इस बात को महसूस किया कि हमारे देश में कुछ समुदाय सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक तौर पर अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। इस पिछड़ेपन का मुख्य कारण सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता, परम्परागत कृषि प्रणाली, आधारभूत सुविधाओं का अभाव एवं भौगोलिक अलगाव आदि रहे हैं तथा इनके हितों के संरक्षण एवं तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विशेष प्रावधान किए जाने की जरूरत है। इन समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कहा गया। शासन में इनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए के लिए आरक्षण की नीति अपनाना महत्त्वपूर्ण समझा गया। इनके हितों की अभिवृद्धि के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों एवं अन्य विधिक उपबंधों के संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। संसद सदस्यों द्वारा किए जा रहे निरंतर मांग के परिप्रेक्ष्य में इसे 1978 में बहुसदस्यीय बना दिया गया। 1987 में इसका नाम अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दो भागों में बाँट दिया गया। यह अधिनियम 2004 से प्रभावी हुआ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। इस तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है। इस अधिकारी का दायित्व अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना तथा इससे संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना है।

आयोग के कार्य *(Functions of Commission)*

1. संविधान में अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर उनके लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। साथ ही इनका निरीक्षण, अधीक्षण एवं समीक्षा भी करना।
2. अनुसूचित जातियों के संरक्षण एवं उनके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किन्हीं विशेष शिकायतों की जांच करना।
3. अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना प्रक्रिया में सहभागिता करना एवं परामर्श देना और केन्द्र एवं राज्यों के अधीन उनके विकास का मूल्यांकन करना।
4. इनके संरक्षण से संबंधित किए जा रहे कार्यों का वार्षिक विवरण राष्ट्रपति को सौंपना अन्य समय में भी जब आयोग उचित समझे रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकता है।
5. इनके संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन की तथा इनके संरक्षण, कल्याण एवं समाजिक-आर्थिक विकास हेतु अन्य उपायों की सिफारिश करना।
6. इनके संरक्षण, कल्याण, विकास एवं उन्नति से संबंधित अन्य विशेष कानूनों को लागू करने से संबंधित अन्य कार्य करना जो राष्ट्रपति उसे सौंपे।

   आयोग अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार या उत्पीड़न के मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर देती है। यह अनुसूचित जातियों के लिए विधायन से संबंधित मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर अपनी राय जाहिर करती है।

आयोग की शक्तियाँ *(Powers of Commission)*

किसी मामले या शिकायत की जाँच के संदर्भ में आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस संबंध में उसे निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं-

1. भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना, हाज़िर करना तथा शपथ पर परीक्षण करना।
2. किसी साक्ष्य की खोज करवाना एवं उसे पेश करवाना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. शपथपत्र पर साक्ष्य लेना।

4. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसके प्रति को प्राप्त करना।

5. गवाहों एवं दस्तावेज़ों के परीक्षण के लिए समन जारी करना।

6. कोई अन्य मामला जिसे राष्ट्रपति विधि द्वारा निर्धारित करे।

यह भी प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित बड़े नीतिगत फैसले लेते समय केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आयोग से परामर्श किया जाएगा। इसके साथ ही सार्थक कार्य निष्पादन हेतु अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार आयोग को प्राप्त है।

आयोग के राज्य स्तर पर भी कार्यालय हैं जो इसके आँख और कान की तरह कार्य करते हैं। ये कार्यालय समय-समय पर अनुसूचित जातियों के हित में लिए गए नीतिगत फैसलों एवं जारी दिशा-निर्देशों के बारे में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से मुख्यालय को सूचित करते रहते हैं। राज्य स्तर पर लिए गए किसी निर्णय से यदि अनुसूचित जातियों के अधिकार प्रभावित होते हैं तो संबंधित प्राधिकरणों से इनमें आवश्यक सुधार हेतु अनुरोध करते हैं। इस संबंध में प्रमुख बातों का उल्लेख आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में किया जाता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपालों के पास भी भेजता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है। इसके साथ वह ज्ञापन भी होता है जिसमें राज्य से संबंधित की गई सिफारिशों पर कार्रवाई या अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख होता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

केन्द्रीय सूचना आयोग
(Central Information Commission)

केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत की गई है। स्पष्ट है कि सूचना आयोग एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नही। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकारण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्द्धन के लिए तथा लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने हेतु एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्यों में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है।

आयोग की संरचना *(Structure of Commission)*

केन्द्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सदस्य के तौर पर लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मंत्री शामिल होता है।

केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्धन मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा होता है। इसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्ति होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त संसद या विधान मंडल के सदस्य नहीं होते और न ही कोई लाभ का पद धारण कर सकते हैं। इनके लिए यह भी प्रावधान है कि ये किसी राजनीतिक दल से संबधित नहीं होंगे और न ही किसी वृत्ति या व्यापार में शामिल होंगे। केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है लेकिन आयोग केन्द्र सरकार की अनुमति से देश में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

पदावधि एवं सेवाशर्तें *(Term and Service Conditions)*

मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र (इनमें जो भी पहले हो) तक पद धारण करता है। इस स्थिति में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। परन्तु जहाँ सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहाँ उसकी पदावधि सूचना आयुक्त तथा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं।

पदमुक्ति या त्यागपत्र *(Removal or Resignation)*

मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकता है लेकिन हटाने से पहले उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर जाँच के बाद ऐसी रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त को निम्न आधारों पर भी हटा सकता है-

1. यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो।
2. यदि वह ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो राष्ट्रपति की नजर में नैतिक अद्यमता की श्रेणी में आता हो।
3. यदि वह अपनी पदावधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन मे लगा हो।
4. राष्ट्रपति की राय मे, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो।
5. यदि उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हों, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों या कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध है या उससे हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में या उसके अन्य सदस्यों के साथ उसके लाभ में या किसी तरह के फायदे में हिस्सा लेता है, तो वह कदाचार का दोषी माना जाएगा।

वेतन एवं भत्ते *(Salary and Allowances)*

मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है तथा सूचना आयुक्त की वहीं होंगी जो निर्वाचन आयुक्त की है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

शक्तियाँ एवं कार्य *(Powers and Functions)*

सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करे-

- जो लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण किसी सूचना पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहा हो।
- जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई किसी जानकारी को देने से इंकार कर दिया गया हो।
- जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नही दिया गया हो।
- किसी व्यक्ति से ऐसी फीस की रकम अदा करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता हो।
- यदि उसे लगता हो कि दी गई सूचना अपूर्ण, भ्रामक एवं मिथ्या है।
- इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों तक पहुँच से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।
- यदि आयोग को यह समाधान हो जाता है कि किसी विषय में जाँच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है तो वह जाँच का आदेश दे सकता है।

निम्नलिखित मामलों में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं-

- किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज एवं अन्य सामग्री पेश करने के मामले में।
- दस्तावेजों की मांग एवं उसका परीक्षण।
- शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगवाना।
- साक्ष्यों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करना।
- कोई अन्य विषय जो उसे सौंपा जाए।
- शिकायत की जाँच करते समय आयोग किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जाँच कर सकता है। इसे किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इंकार नही किया जा सकता है।

आयोग को लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चत कराने के लिए निम्नलिखित शक्ति प्राप्त है-

- किसी विशिष्ट रूप में सूचना तक पहुँच उपलब्ध कराना।
- लोक सूचना अधिकारी नियुक्ति हेतु सार्वजनिक प्राधिकार (Public Authority) को आदेश देना।
- कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना।
- अभिलेखों के रख-रखाव, प्रबंधन एवं नष्ट होने से बचाने की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करना।
- लोकप्राधिकारी से शिकायत कर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान की भरपाई की अपेक्षा करना।
- आवेदन को नामंजूर करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- इस अधिनियम के अधीन जुर्माना लगाना।
- इस अधिनियम अनुपालन के संबंध में लोक प्राधिकारियों (Public Authority) से वार्षिक रिपोर्ट मांगना।

जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय बन जाए कि लोकसूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया हो, समय के भीतर सूचना नहीं दी है, असद्भावपूर्वक सूचना देने से इंकार किया हो या जानबुझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी हो, या उस सूचना को नष्ट कर दिया हो जो अनुरोध का विषय था या किसी तरीके से सूचना देने में बाधा डाली तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये का जुर्माना कर सकेगा जो अधिकतम 25 हजार रुपये हो सकता है।

व्यवहारिक स्थिति *(Practical Conditions)*

सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी भी सरकारी विभाग सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सूचना नहीं रखता है। सूचना के अधिकार अधिनियम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। इसे देखते हुए नागरिकों द्वारा कभी-कभी एक ही विषय से संबंधित सैकड़ों सवाल किए जाने लगे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि सूचना आयोग का कार्य अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति का है इसलिए आयोग में न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में यथास्थिति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श किया जाना चाहिए। इसके लिए कानून में आवश्यक बदलाव किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मानना है कि वैसे वकीलों की नियुक्ति भी आयोग एवं राज्य सूचना आयोगों में की जानी चाहिए जिन्हें 20 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। सूचना कानून में आसूचना एवं सुरक्षा संगठनों (Intelligence and Security Organisations) को सूचना देने से छूट दी गई है। इस प्रावधान का सहारा लेकर कई अन्य संगठन भी सूचना उपलब्ध कराने से इंकार कर देते हैं।

अत: आवश्यकता इस बात की है कि सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो क्योंकि प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य है आदि। इसकी सम्पूर्ण जानकारी के बिना विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तार्किक उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक नागरिक कर का भुगतान करता है, अत: उसे यह अधिकार मिलता है कि उसे यह जानकारी दी जाए कि उसके द्वारा दी गई कर की राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

राज्य सूचना आयोग
(State Information Commission)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्रीय सूचना आयोग के साथ-साथ राज्य सूचना आयोग का भी प्रावधान करता है। इसी संदर्भ में राज्यों द्वारा राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है। राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो शिकायतों की जांच एवं उनका समाधान करता है तथा राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है।

आयोग की संरचना *(Structure of Commission)*

राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner) तथा अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioners) होते हैं। इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है जबकि विधान सभा में विपक्ष का नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मंत्री सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसे राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम और प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले प्रख्यात व्यक्ति होने चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह न तो राजनीतिक दल से संबद्ध होगा, न कोई कारोबार या वृत्ति करेगा।

कार्यकाल *(Term)*

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (इनमें जो भी पहले हो) तक अपना पद धारण करता है। उन्हें पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। जहाँ राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य-सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहाँ उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है।

वेतन एवं भत्ते *(Salary and Allowances)*

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन-भत्ता निर्वाचन आयुक्त के समान होता है जबकि राज्य सूचना आयुक्त का वेतन-भत्ता राज्य-सरकार के मुख्य सचिव (Chief Secretary) के समान होता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के पश्चात् उनके वेतन-भत्तों एवं सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

पदमुक्ति एवं त्यागपत्र *(Removal and Resignation)*

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस रिपोर्ट को आधार बनाता है जो राज्यपाल के निर्देश पर जाँच के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय उसे सौंपता है। इसके अलावा राज्यपाल के आदेश से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त को निम्नलिखित पारिस्थितियों में हटाया जा सकता है-

- यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो।
- उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो जो राज्यपाल की राय में नैतिक अद्यमता की श्रेणी में आता हो।
- यदि वह अपने पदावधि के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो।
- यदि राज्यपाल की राय में मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर रहने के अयोग्य है।
- यदि उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई

Copyright – Drishti The Vision Foundation

किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में अन्यथा उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यत: उसके लाभ में किसी प्रकार का हिस्सा लेता है तो वह कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य *(Powers and Functions of State Information Commission)*

सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करे-

- जो लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण किसी सूचना पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहा है।
- जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई किसी जानकारी को देने से इंकार कर दिया गया हो।
- जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के संबंध में कोई प्रत्युत्तर नही दिया गया है।
- किसी व्यक्ति से ऐसी फीस की रकम अदा करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता हो।
- यदि उसे लगता हो कि दी गई सूचना अपूर्ण, भ्रामक एवं मिथ्या है।
- इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों तक पहुँच से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।
- यदि आयोग को यह समाधान हो जाता है कि किसी विषय में जाँच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, तो वह जाँच का आदेश दे सकता है।

निम्नलिखित मामलों में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी-

- किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए या दस्तावेज एवं अन्य सामग्री पेश करने के मामले में।
- दस्तावेजों की मांग एवं उसका परीक्षण करना।
- शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगवाना।
- साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना।
- कोई अन्य विषय जो उसे सौंपा जाए।
- शिकायत की जाँच करते समय आयोग किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जाँच कर सकता है। इसे किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इंकार नही किया जा सकता है।

आयोग को लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निम्नलिखित शक्ति प्राप्त है-

- किसी विशिष्ट रूप में सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना।
- लोक सूचना अधिकारी नियुक्त हेतु सार्वजनिक प्राधिकार (Public Authority) को आदेश देना।
- कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना।
- अभिलेखों के रखरखाव, प्रबंधन एवं नष्ट होने से बचाने की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करना।
- सूचना के अधिकार के संबंध में अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण उन्नत करना।
- लोकप्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान की भरपाई की अपेक्षा करना।
- आवेदन को नामंजूर करना।
- इस अधिनियम के अधीन जुर्माना लगाना।
- इस अधिनियम अनुपालन के संबंध में लोक प्राधिकारियों (Public Authority) से वार्षिक रिपोर्ट मांगना।

जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय बन जाए कि लोकसूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया हो, समय के भीतर सूचना नहीं दी है, असदभावपूर्वक सूचना देने से इंकार किया हो या जानबुझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी हो, या उस सूचना को नष्ट कर दिया हो जो अनुरोध का विषय था या किसी तरीके से सूचना देने में बाधा डाली तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये का जुर्माना कर सकेगा जो अधिकतम 25 हजार रुपये हो सकता है।

कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश के संबंध में अपील के सिवाय कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा।

अधिनियम का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा लेकिन यदि मामला भ्रष्टाचार या मानव अधिकारों के प्रतिक्रमण से जुड़ा हो तो सूचना ली जा सकती है। लेकिन यह सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
(Central Vigilance Commission)

भ्रष्टाचार निवारण समिति (जिसे संथानम समिति के रूप में जाना जाता है) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोधी वाचडॉग (Watch-Dog) के रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन सन् 1964 में किया गया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप आयोग को 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश-1998' के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया।

संरचना *(Structure)*

केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष तथा अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा दो अन्य सदस्य केन्द्रीय गृह मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। लेकिन समिति में किसी रिक्ति के आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष (इनमें जो भी पहले हो) का होता है। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। पद ग्रहण करने से पहले अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ-ग्रहण करना पड़ता है।

यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे जो अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा में या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर रह चुके हैं या हैं और जिनके पास सतर्कता, नीति बनाने और प्रशासन, जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन भी है, से संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव है।

पदमुक्ति एवं त्याग पत्र *(Removal and Resignation)*

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एवं सतर्कता आयुक्तों को निम्नलिखित आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है-

1. यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो।
2. यदि वह किसी ऐसे अपराध में दोषी ठहराया गया हो जो केन्द्र सरकार के अनुसार नैतिक चरित्र-हीनता की श्रेणी में आता है।
3. यदि वह कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर कार्य करता पाया जाए।
4. यदि वह राष्ट्रपति के राय में शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो।
5. यदि किसी वित्तीय या अन्य प्रकार के हितों से कर अध्यक्ष या सदस्य पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कार्य न कर सके।

राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी उनके पद से हटा सकता है। लेकिन इससे पहले इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजना होगा। यदि जाँच में उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटा सकता है।

वेतन-भत्ते *(Salary-Allowances)*

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन-भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान जबकि सतर्कता आयुक्तों की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है। उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

कार्य एवं शक्तियाँ *(Functions and Powers)*

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं-

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अन्वेषणों (Investigation) के संबंध में अथवा लोकसेवकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Penal Code) के अंतर्गत अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों का अक्षीक्षण (Superintendence) करना तथा इस उत्तरदायित्व का निष्पादन करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (Delhi Special Police Establishment) को निर्देश देना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभिकथित रूप से किए गए अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किए जा रहे अन्वेषण कार्य की प्रगति की समीक्षा करना।
3. ऐसे किसी भी लेन-देन के मामले की जाँच करना अथवा जाँच करवाना जिसमें भारत सरकार के कार्यकारी नियंत्रणाधीन संगठन में कार्यरत लोकसेवक के बारे में संदेह हो कि उसने ऐसा कार्य किसी अनुचित प्रयोजन से अथवा भ्रष्टाचार-पूर्ण तरीके से किया है।
4. सतर्कता संबंधी पहलू वाले अनुशासनिक मामलों में अन्वेषण, जाँच, अपील, पुनरीक्षण आदि के विभिन्न चरणों में अनुशासनिक तथा अन्य प्राधिकारियों को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष सलाह देना।
5. भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों तथा संघ के कार्यकारी नियंत्रण में आनेवाले अन्य संगठनों के सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कार्य की सामान्य जाँच एवं निगरानी करना।
6. निदेशक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो), निदेशक (प्रवर्तन निदेशालय) तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों की चयन समितियों की अध्यक्षता करना।
7. जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण (Public Interest Disclosure and Protection of Information–PIDPI) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जाँच करना अथवा करवाना तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करना।
8. केन्द्र सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके द्वारा स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्गों के लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में अभिकथित अपराधों की जाँच करना।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में पारदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा उन्नत करने का प्रयास करता है। आयोग यह प्रयास करता है कि सभी सरकारी कर्मचारी सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी के साथ कार्य करें। आयोग का मानना है कि इसके लिए सत्यनिष्ठा के गहन नैतिक मूल्यों तथा सार्वजनिक कार्यों के मध्य सामंजस्य आवश्यक है। सरकारी कर्मचारियों को भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आयोग निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करता है-

1. मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति।
2. मुख्य सतर्कता अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखना।
3. अभियोजन मामलों में आयोग की सलाह।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मतभेद सुलझाना।
5. विभागीय जाँच आयुक्तों को मामले सौंपना।
6. कार्यविधिक पहलुओं पर सलाह देना।
7. कार्यविधि और पद्धति की समीक्षा।
8. सूचना एकत्रित करना।
9. झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध कारवाई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग को लोकसेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जाँच करने अथवा जाँच करवाने का अधिदेश प्राप्त है। आयोग, संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा भारत सरकार के अधीन किसी भी अन्य भ्रष्टाचार-रोधी अन्वेषण एजेंसी के माध्यम से जाँच करवा सकता है। अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियों पर आयोग की सीधी अधिकारिता है–

- अखिल भारतीय सेवा के सदस्य – संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत।
- केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग – समूह 'क' अधिकारी।
- केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम – बोर्ड में मुख्य कार्यकारी तथा कार्यकारी और ई-8 तथा इससे ऊपर
  अनुसूची 'क' तथा 'ख' – के अन्य अधिकारी।
  अनुसूची 'ग' तथा 'घ' – बोर्ड में मुख्य कार्यकारी तथा कार्यकारी और ई-7 तथा इसे ऊपर के अन्य अधिकारी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – वेतनमान V और इससे ऊपर के अधिकारी।
- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड तथा सिडबी – श्रेणी-घ तथा इससे ऊपर के अधिकारी।
- सामान्य बीमा कम्पनियाँ – प्रबन्धक तथा इससे ऊपर के अधिकारी।
- सोसायटी तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरण आदि – केन्द्रीय सरकार के डी.ए प्रतिमान पर 8700 रुपये या अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी।
- पत्तन न्यास/गोदी श्रमिक बोर्ड आदि – 10750 रुपये तथा अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

आयोग केवल ऐसे मामलों के संबंध में अपनी सलाह देगा जिसमें उपर्युक्त श्रेणी वाले अधिकारी शामिल हैं। अन्य मामलों के संबंध में की गई शिकायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजा जाएगा।

शिकायत करना *(To Complain)*

भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के सुस्पष्ट तथ्य देते हुए सीधे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित पत्र या ई-मेल द्वारा शिकायतें की जा सकती है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट पर भी शिकायतें सीधे दर्ज की जा सकती हैं।

शिकायतों पर की जाने वाली कारवाई *(Action on Complaints)*

1. केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation – CBI) अथवा संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से केवल उन शिकायतों का अन्वेषण करवाया जाता है जो आयोग की अधिकारिता में आने वाले कर्मचारियों तथा संगठनों के विरुद्ध होते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपने स्वयं के अधिकारी के माध्यम से भी शिकायतों की जाँच करवा सकता है।
2. आयोग द्वारा अन्वेषण के लिए भेजी गई शिकायतों पर मुख्य सतर्कता अधिकारी को तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर आयोग सलाह देता है। संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में लगभग 6 माह का समय लगता है।
3. आयोग द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/मुख्य सतर्कता अधिकारी को शिकायत का अन्वेषण करने तथा रिपोर्ट किए जाने का निदेश दिए जाने पर शिकायतकर्ता को एक शिकायत संख्या दी जाएगी। शिकायतकर्ता आयोग की वेबसाइट पर शिकायत पर की गई कार्रवाई की स्थिति देख सकते हैं।
4. आयोग में एक बार शिकायत दर्ज हो जाने पर, मामले में आगे पत्राचार नहीं किया जाएगा। आयोग शिकायतों का अन्वेषण कर एवं इसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करता है।
5. निविदाओं के विरुद्ध शिकायतों के बारे में आयोग मामले का अन्वेषण कराता है लेकिन यह निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका उद्देश्य यह है कि संगठन में कार्य को न रोका जाए।
6. आयोग को की गई शिकायतों में वास्तविक विवरण, सत्यापनीय तथ्य तथा सम्बद्ध मामले होने चाहिए। ये अस्पष्ट अथवा अतिश्योक्तिपूर्ण आरोपों वाली नहीं होनी चाहिए।
7. शिकायत आयोग को सीधे संबोधित होना चाहिए। आयोग को शिकायतें प्रतिलिपि के रूप में नहीं भेजी जानी चाहिए।
8. आयोग अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कारवाई नहीं करता है। तथापि, संगठन ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर इनका अन्वेषण करने के लिए आयोग से अनुमति ले सकता है।
9. शिकायतों की स्थिति संबंधित संगठन/मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी से ज्ञात की जा सकती है।

पर्दाफाश शिकायतें (लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण) संकल्प *(Whistle Blower (Public Interest Disclosure and Protection of Informer– PIDPI) Resolution*

भ्रष्टाचार का मामला प्रकट करते समय यदि शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है तो लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पर्दाफाश प्रावधान के नाम से प्रसिद्ध) के अंतर्गत शिकायत दी जा सकती है। आयोग न केवल शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखता है बल्कि इसे शिकायतकर्ता को शारीरिक धमकी, उत्पीड़न अथवा अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश भी प्राप्त है।

शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया *(Process of Making Complains)*

1. लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत शिकायतें केवल डाक द्वारा दी जा सकती है। लिफाफे पर 'लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण' अथवा 'पर्दाफाश' लिखा जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को पत्र में अपना नाम नहीं देना चाहिए। व्यक्तिगत विवरण पृथक् रूप से दिया जाना चाहिए।
2. यदि किसी व्यक्ति का इस कारण उत्पीड़न किया जाता है कि उसने पर्दाफाश प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है तो वह मामले में समाधान प्राप्त करने के लिए आयोग के समक्ष आवेदन दे सकता है। आयोग शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए उचित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह केन्द्र सरकार एवं उसके प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि वह सतर्कता तथा भ्रष्टाचार-रोधी कार्यों पर नजर रख सके। केन्द्रीय सतर्कता आयोग किसी जाँच एजेन्सी द्वारा जाँच रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद सरकार अथवा इसके प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई करने की सलाह देता है। केन्द्रीय सरकार अथवा इसके प्राधिकरण केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं। यदि वे किसी सलाह से सहमत न हो तो उसे लिखित रूप से इसके कारणों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को बताना होगा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अपनी वार्षिक कार्यकलाप की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।

व्यवहारिक स्थिति *(Practical Conditions)*

भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था सतर्कता आयोग का कामकाज सामान्यत: संतोषप्रद रहा है। कभी-कभी केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विवाद पैदा होते रहे हैं। ऐसा ही एक विवाद सन् 2011 में पी.जे. थॉमस को लेकर रहा था। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त पी.जे. थॉमस की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई थी क्योंकि उनका नाम पॉमोलिन (Palmoline) निर्यात घोटाले में आया था। थॉमस की नियुक्ति रद्द करते समय न्यायालय ने सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति का क्षेत्राधिकार न्यायालय की सुनवाई से बाहर है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भविष्य में नियुक्तियाँ करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ये व्यक्ति सिर्फ सिविल सेवा से ही नहीं हो बल्कि अन्य क्षेत्रों के ईमानदार व्यक्तियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जाए। न्यायालय ने संस्था की ईमानदारी के साथ-साथ व्यक्ति की ईमानदारी पर भी बल दिया।

कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि घूसखोर भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने में सरकारी मंत्रालयों या विभागों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, हालाँकि आयोग का प्रयास होता है कि इस संबंध में चार महीने का निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन हो। मुकदमा चलाने की अनुमति देना एक प्रशासनिक कार्य है जिसमें विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। इससे जहाँ निर्दोष अनावश्यक उत्पीड़न का शिकार नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारी को सज़ा दी जा सकेगी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने की समय-सीमा तीन महीने निर्धारित की है। एक महीने का अतिरिक्त समय वैसे मामलों में लागू होगा जहाँ महान्यायवादी या उसके कार्यालय के किसी अन्य विधि अधिकारी से सलाह-मशविरा करने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार रोकने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उठाए गए अन्य कदम *(Some Others Steps taken by Central Vigilance Commission to Prevent Corruption)*

भ्रष्टाचार रोधी वाचडॉग ने भ्रष्टाचार रोकने हेतु कुछ प्रयास किए हैं जिनमें कार्पोरेट घोटाले या घूसखोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों या अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार-रोधी कक्षाएँ चलाने की योजना बनाई है। यहाँ उद्यमी नैतिकता (Corporate Ethics) तथा भ्रष्टाचार रोधी उपाय बताये जाएंगे।

इसके अलावा केन्द्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार रोकने के उपाये सुझाने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर की भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाओं का राष्ट्रीय संगठन (National Association) बनाने की बात कही है। आयोग का मानना है कि यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र संविदा (United Nation Convention Against Corruption) के साथ-साथ अन्य मामलों में सहयोग करने वाली भ्रष्टाचार-रोधी प्राधिकरणों की अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Association of Anti-Corruption Authorities – IAACA) की तर्ज पर कार्य करेगा। आई.ए.ए.सी.ए. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यबल (Task Force) का गठन किया गया है। यह कार्यबल ज्ञान प्रबन्धन व्यवस्था (Knowledge Management System) की योजना बनाएगा जो भ्रष्टाचार-रोधी उपायों तथा काला धन को नियंत्रित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को इस कार्यबल का प्रमुख बनाया गया है। ज्ञान प्रबन्धन व्यवस्था के माध्यम से पार राष्ट्रीय अपराधों (Transnational Crimes) एवं अन्य अवैध गतिविधियों (Illegal Proceedings) से निपटा जा सकेगा। इस व्यवस्था के माध्यम से भ्रष्टाचार-रोधी संगठनों, व्यवस्थाओ, प्रक्रियाओं, उपायों एवं अनुभवों के बारे में वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरणों एवं अन्य भागीदारों के बीच सूचना विनियम का कार्य किया जाएगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार रोकने हेतु विग आई (Vig Eye) नामक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। आयोग ने नॉलेज पोर्टल (Knowledge Portal) बनाने की बात भी कही है जिससे कि निश्चित समय सीमा में भ्रष्टाचार-रोधी सूचनाओं एवं बेहतर उपायों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

संघ लोक सेवा आयोग
(Union Public Service Commission)

स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं ने उच्च सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा इस तथ्य पर निरंतर बल दिए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत फैडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोगों के गठन का भी प्रावधान किया गया।

स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने अनुभव किया कि सिविल सेवाओं में निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के साथ ही सेवा हितों की रक्षा के लिए संघीय एवं प्रान्तीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों को एक सुदृढ़ और स्वायत्त स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता है। 26 जनवरी, 1950 को नये संविधान के प्रवर्तन के साथ ही फैडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। अनुच्छेद 315 से 323 तक आयोग के संगठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी, स्वतंत्रता, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है।

आयोग की संरचना *(Structure of Comission)*

संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं दस सदस्य होते हैं। हालाँकि यह संख्या संवैधानिक तौर पर निश्चित नहीं की गई है। संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। आयोग के आधे सदस्यों के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्तें निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

पदावधि *(Term)*

समान्य रूप से आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्ति तक (इनमें जो भी पहले हो) पदधारण करते हैं। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है–

- यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- यदि वह पदावधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो।
- यदि राष्ट्रपति ऐसा समझता हो कि वह मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण अपने दायित्वों का निवर्हन करने में सक्षम नहीं है।

जब आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपना कार्य नहीं कर पा रहा हो, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक कि नये अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती या अध्यक्ष अपना कार्य भार संभाल नहीं लेता।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है। परन्तु ऐसे मामलों को जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय भेजना होता है। यदि जाँचोपरान्त उच्चतम न्यायालय हटाने का परामर्श देता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटा सकता है। इस तरह का सलाह सामान्यत: राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। कोई सदस्य कदाचार का दोषी समझा जाएगा- (i) यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से की गई किसी संविदा में हित बद्ध है। (ii) यदि वह ऐसी संविदा या करार के किसी लाभ में या उससे उद्भूत फायदे में भाग लेता है।

आयोग के कार्य *(Functions of Commission)*

- संघ सरकार एवं राज्य की सरकारों में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करना।
- नियुक्ति पद्धति से संबंधित मामलों में सलाह देना तथा प्रत्यक्ष एवं पदोन्नति के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में सरकार को सलाह देना।
- नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के बारे में सलाह देना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- सरकारी सेवकों को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक (Disciplinary) मामलों में सरकार को सलाह देना।
- सरकार के अधीन सेवा के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति के दावों के संबंध में सलाह देना।
- किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध चल रही विधिक (Lagal) कार्रवाईयों के संबंध में सलाह देना।
- राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर अन्य मामलों में सलाह देना।
- संविधान के अनुच्छेद-321 के अनुसार संघ की सेवाओं के संबंध में या किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या लोकसंस्था के संबंध में ऐसे कार्य करना, जो संसद या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा उपबन्धित किए जाए।
- राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष किए गए कार्य का प्रतिवेदन देना।
- दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर ऐसी सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाना तथा उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करना।
- यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से लोकसेवा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहे तो इसका प्रबन्ध करना।

संवैधानिक संरक्षण *(Constitutional Protection)*

संविधान के अनुच्छेद 310 (1) में यह प्राथमिक रूप से घोषित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो संघ या राज्य के अधीन पद धारण करता है (सिविल या सैन्य) वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा किंतु सिविल सेवकों की पदावधि के संबंध में दो प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का उपबंध किया गया है-

(i) कोई भी सिविल सेवक उसकी नियुक्ति करनेवाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा। इस उपबंध का उद्देश्य लोक सेवक को कनिष्ट रैंक के अधिकारियों की मनमानी से बचाना है।

(ii) संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी सिविल सेवक के विरुद्ध पदच्युति का, हटाया जाने का या रैंक में अवनत किए जाने का आदेश तभी दिया जा सकेगा जबकि उसके विरुद्ध आरोपों की बाबत उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि पदच्युत किया गया व्यक्ति सरकार के अधीन पुनः नियोजन के लिए अपात्र हो जाता है किंतु हटाए गए व्यक्ति के साथ ऐसी कोई निरर्हता नहीं होती है।

संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसके लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-

- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। इन्हें संविधान में वर्णित प्रावधानों के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। संसद में इस पर मतदान नही होता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् इनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवाकाल की समाप्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होता।
- संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होने का पात्र होगा लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा।
- इसके अलावा निंदा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना या बर्खास्त करना, प्रोन्नति रोकना, लापरवाही के कारण सरकार को हुई धनहानि की आंशिक या पूर्ण प्राप्ति, रैंक में कमी या पदावनति के मामलों में भी आयोग से सलाह ली जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को उन कारणों सहित जिन मामले में आयोग की सलाह नहीं मानी है, संसद के समक्ष रखवाता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए सुझाव सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह केन्द्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह इन सुझावों पर अमल करे या न करे। सरकार का मात्र उत्तरदायित्व यह है कि वह सुझाव न मानने का कारण संसद को बताए।

1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन ने अनुशासनात्मक मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका को प्रभावित किया है। केन्द्र सरकार अनुशासनात्मक मामलों में दोनों से सलाह मशविरा करने लगी है और दोनों के विचारों में मतभेद होने पर समस्या उत्पन्न होने लगती है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित नियुक्तियों के मामले में आयोग से सलाह नहीं ली जाती है-

- न्यायाधिकरणों (Tribunals) या आयोगों की अध्यक्षता एवं सदस्यता।
- उच्च राजनयिक पदों के मामले में।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों के मामले में, जो कुल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का 80 प्रतिशत है।

भारत सरकार द्वारा एक परंपरा विकसित की गई है कि निम्नलिखित विषयों से संबंधित मामलों में आयोग द्वारा दी गई सलाह को सामान्यत: स्वीकार कर लिया जाता है-

- अर्द्ध न्यायिक मामले।
- नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन।
- पद के न्यूनतम वेतमान की जगह किसी अभ्यर्थी को उच्च वेतनमान पर नियुक्ति करना।
- अपने कर्त्तव्य के निवर्हन के दौरान उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा व्यय की अदायगी के संबंध में।

राज्य लोक सेवा आयोग *(State Public Service Commission)*

संविधान का अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग के साथ-साथ राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी करता है। अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी तथा शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है।

आयोग की संरचना *(Structure of Commission)*

राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य होते हैं। संविधान में सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। सदस्य संख्या निर्धारित करना राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर है। आयोग के आधे सदस्यों को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

कार्यकाल *(Term)*

आयोग के अध्यक्ष एंव सदस्य पदग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक (इनमें से जो भी पहले हो)। अपना पद धारण कर सकते हैं।

अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में या अध्यक्ष की अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों की वजह से काम न करने की स्थिति में राज्यपाल किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यभार संभालने तक कार्यवाहक अध्यक्ष कार्य करेगा।

पदमुक्ति और त्यागपत्र *(Removal and Resignation)*

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कभी भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते है लेकिन इन्हें इनके पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। राष्ट्रपति राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नलिखित आधारों पर हटा सकता है-

- यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो।
- अपनी पदावधि के दौरान किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो।
- राष्ट्रपति की दृष्टि में वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने में सक्षम न हो।

राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है परन्तु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के उस सलाह के अनुसार निर्णय करता है जो जाँचोपरान्त उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को देता है। संविधान के अनुसार ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी होता है।

अध्यक्ष या सदस्य कदाचार का दोषी माना जाएगा- (i) यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से की गई किसी संविदा में हितबद्ध है। (ii) यदि वह ऐसी संविदा या करार के किसी लाभ में या उससे उद्भूत किसी फायदे में शामिल है।

आयोग के कार्य *(Functions of Commission)*

- राज्य सरकार में नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी विषय पर सलाह देना (अनुच्छेद-320)।
- संविधान के अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य की सेवाओं के संबंध में या किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था के संदर्भ में ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निर्धारित किये जाए।
- प्रतिवर्ष राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्य का प्रतिवेदन देना।
- राज्य लोक सेवा आयोग से निम्नलिखित विषयों पर परामर्श किया जाएगा-
  - (i) सिविल पदों की भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर।
  - (ii) सिविल पदों पर नियुक्ति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के मामलों में।
  - (iii) राज्य सरकार में सिविल सेवा की हैसियत से कार्य कर रहे व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले अनुशासनिक (Disciplinary) विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाओं पर।
  - (iv) राज्य सरकार की सेवा में अपने कर्तव्य निवर्हन के दौरान उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा व्यय की अदायगी का दावा करना।
  - (v) राज्य सरकार के सेवा के दौरान हुई क्षति के संदर्भ में पेंशन निर्धारण के मामले में सलाह देना।

राज्य लोक सेवा आयोग लोकसेवक को निंदा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदमुक्ति या बर्खास्तगी, प्रोन्नति रोकना, लापरवाही के कारण सरकार को हुई धनहानि की आंशिक या पूर्ण प्राप्ति, रैंक में कमी या पदावनति के मामलों में भी आयोग से सलाह ली जाती है। राज्य विधान मंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं।

संवैधानिक संरक्षण *(Constitutional Protection)*

राज्य लोक सेवा आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करे, इसके लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-

- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। इन्हें इनके पद से संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत ही हटाया जा सकता है।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। विधानमंडल में इस पर मतदान नहीं होता है।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् इनकी सेवाशर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होता है।

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
(Joint State Public Service Commission)

संविधान में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। संयुक्त आयोग का गठन राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित संकल्पों के अनुसरण में संसद द्वारा की जाती है।

कार्यकाल (Term)- संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (इनमें से जो भी पहले हो) तक होता है।

पदमुक्ति और त्यागपत्र *(Removal and Resignation)*- संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसी भी समय राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। उन्हें किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों राष्ट्रपति निर्धारित करता है। संयुक्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यों के राज्यपालों को सौंपता है। राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है।

राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ-साथ उस ज्ञापन को भी विधानमंडल के समक्ष रखवाता है जिनमें आयोग की सलाह न मानने के कारणों का जिक्र होता है। लोक सेवा आयोग का कृत्य सलाहकारी प्रवृत्ति का है और संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अनुसार सरकार द्वारा आयोग की सलाह मानना बाध्यकारी हो।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

(National Human Rights Commission)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया। यह एक सांविधिक, स्वायत्त निकाय है (संवैधानिक नहीं)। इसका गठन संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो व्यक्ति की गरिमा, उसके बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास को आधार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण मानवाधिकारों की रक्षा करना, शासन या सरकार का प्राथमिक दायित्व बन जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने मानवाधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के सम्बंध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 भारत में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु निम्न प्रणाली की व्यवस्था करता है:

राष्ट्रीय स्तर	राज्य स्तर	जिला स्तर
↓	↓	↓
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	राज्य मानवाधिकार आयोग	जिला स्तरीय मानवाधिकार न्यायालय

यह आयोग देश में मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रहरी है, जिसके तहत संविधान द्वारा प्रदत्त, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में उल्लिखित, तथा न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार सम्मिलित किए जाते हैं।

मुख्य उद्देश्य *(Main Objectives)*

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है- मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना, संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना, सरकार से अलग एक स्वतंत्र संस्था के माध्यम से ऐसे मामलों की जांच करना ताकि मानवाधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सके और उसका समाधान किया जा सके।

आयोग की संरचना *(Structure of Commision)*

आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष व चार सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व/सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। चार सदस्यों में एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा शेष दो अन्य सदस्यों को मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी/अनुभव होना चाहिए। इन सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में अन्य चार पदेन सदस्य भी होते हैं। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं।

नियुक्ति *(Appointment)*

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित छह सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता तथा केन्द्रीय गृहमंत्री सम्मिलित होते हैं। आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु या अवकाश लेने की स्थिति में वह सदस्य अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा, जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए अधिसूचना के माध्यम से अधिकृत करें।

वेतन भत्ते *(Salary Allowances)*

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है परंतु अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् उनके वेतन, भत्ते या सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कार्यकाल *(Term of office)*

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र (इनमें जो भी पहले हो), का होता है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में किसी पद के योग्य नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सदस्य के रूप में पद-ग्रहण करता है, वह 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात् अगले 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्ति के योग्य होगा लेकिन शर्त यह है कि उसने 70 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

पदमुक्ति या त्यागपत्र *(Removal or Resignation)*

1. यदि वह दिवालिया हो जाए।
2. यदि वह कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी व्यवसाय में संलिप्त होता है।
3. यदि वह शारीरिक व मानसिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो।
4. यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करे।
5. यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सज़ायाफ्ता हो।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को साबित कदाचार या अक्षमता के कारण भी पद से हटा सकता है हालाँकि इस स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को उच्चतम न्यायालय में जाँच के लिए सौंपेगा। यदि जाँच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति सदस्यों या अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्य राष्ट्रपति को हस्तलिखित सूचना देकर अपना पदत्याग कर सकता है।

आयोग के कार्य *(Functions of The Commission)*

1. आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करे,
2. लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जाँच करना (न्यायालयीय आदेश या स्वत: संज्ञान लेकर)
3. जेलों एवं बंदीगृहों में जाकर वहाँ की स्थिति देखना एवं सुधार हेतु आवश्यक अनुशंसा करना।
4. आतंकवाद सहित उन सभी मामलों की समीक्षा करना, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
5. मानवाधिकारों से संबंधित संधियों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अध्ययन एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करना।
6. मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।
7. मानवाधिकारों एवं उनके संरक्षण से संबंधित विधिक उपायों के प्रति जन जागरुकता पैदा करना।
8. मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को सहयोग एवं उनके प्रयासों की सराहना करना।
9. न्यायालय के समक्ष मानवाधिकार हनन से संबंधित विचाराधीन मामलों में न्यायालय की पूर्व अनुमति से हस्तक्षेप करना।
10. संविधान या किसी कानून के तहत मानवाधिकार संरक्षण उपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की अनुशंसा करना।

जाँच के संबंध में शक्तियाँ *(Powers Relating of Inquiries)*

आयोग को सिविल न्यायालय जैसे अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह केन्द्र या राज्य सरकारों से किसी भी प्रकार की जानकारी या रिपोर्ट की माँग कर सकता है। आयोग के पास मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच हेतु एक जाँच दल की व्यवस्था है। आयोग उन्हीं मामलों की जाँच करता है, जिसे घटित हुए एक वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत न हुआ हो। आयोग वैसे मामलों की जाँच नहीं करेगा जो राज्य मानवाधिकार आयोग या विधिवत गठित किसी अन्य आयोग के विचाराधीन होगा। आयोग ऐसी जगह और समय पर अपनी बैठकें कर सकेगा, जहाँ अध्यक्ष इसके लिए उपयुक्त समझता है।

जाँच के संबंध में आयोग

1. गवाहों को अपने पास बुला सकता है एवं उसका परीक्षण (Examining) कर सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. किसी भी दस्तावेज को अपने पास मंगवा सकता है।

3. शपथपत्र पर गवाही ले सकता है।

4. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से अभिलेख या रिकार्ड अपने पास मंगवा सकता है।

5. अन्य मामले जो यह निर्धारित करें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाँचोपरांत पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति/अंतरिम सहायता हेतु संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आदेश/निर्देश के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय जा सकता है। स्पष्ट है कि आयोग की भूमिका सलाह देने या सिफारिश करने की होती है, आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी व्यक्ति को दण्ड नहीं दे सकता और न ही पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। आयोग की सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन सिफारिशों के संदर्भ में की गई कार्रवाई को एक महीने के भीतर आयोग को सूचित करना होता है। सामान्य तौर पर सरकार आयोग की सिफारिशों को पूर्णत: नकार नहीं पाती है और इन पर विचार करती है। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट, को केन्द्र सरकार के माध्यम से संसद के सक्षम प्रस्तुत किया जाता है।

सेना से जुड़े मानवाधिकार हनन के मामलों में आयोग या तो स्वत: संज्ञान लेकर या याचिका (Petition) के आधार पर केन्द्र सरकार से रिपोर्ट मांगती है। रिपोर्ट मिलने पर या तो यह आगे की कारवाई बंद कर देता है या सरकार के पास अपनी अनुशंसा (Recommendations) भेजता है। इन अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के संदर्भ तीन महीने या जैसा आयोग समय निर्धारित करें, के भीतर सरकार द्वारा आयोग को सूचना देनी होती है। आयोग अपनी रिपोर्ट एवं अनुशंसाओं के साथ-साथ सरकार द्वारा की गई कारवाई को सावर्जनिक या प्रकाशित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थिति – राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 'अ' प्रस्थिति ('A' status) दिया गया है। इससे संकेत प्राप्त होता है कि यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। पेरिस सिद्धांत के तहत् अक्टूबर 1991 में विशेषज्ञों की बैठक में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं उन्नयन पर सहमति प्रकट की गई थी, इसके बाद इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहमति प्राप्त हुई थी। इस प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति तथा इसके क्षेत्रीय उप समूह एशिया प्रशांत मंच (Asia Pacific Forum) की बैठकों में सम्मिलित हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ प्रायोजित पेरिस बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के प्रस्थिति (Status) से संबंधित सिद्धांतों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, सामान्य तौर पर इन्हें ही पेरिस सिद्धांत कहा जाता है, इन सिद्धांतों में उल्लिखित है कि राष्ट्रीय संस्थाएँ, व्यापक जनादेश, बहुलवाद के साथ-साथ प्रतिनिधित्वकारी, व्यापक पहुँच, प्रभाविता, स्वतंत्रता, पर्याप्त संसाधन तथा अनुसंधान करने की शक्ति पर आधारित होने चाहिए।

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, इनमें मुख्य तौर पर हैं–

- बालश्रम का उन्मूलन
- मानसिक उपचार करने वाले अस्पतालों की कार्य प्रणाली
- सरकार द्वारा संचालित महिला आवासों की कार्य प्रणाली
- खाद्य सुरक्षा का अधिकार
- बंधुआ मजदूरी
- अभावग्रस्त एवं अधिकारहीन महिलाओं की दशा
- कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ की जानेवाली लैंगिक उत्पीड़न के मामले
- सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा
- दलितों पर अत्याचार के मामले
- बंजारा एवं अधिसूचित जन जातियों के मामले
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
- एच आई वी/ एड्स से जुड़े मामले
- विभिन्न प्रकार के आपदाओं से ग्रस्त व्यक्तियों की समस्याएँ आदि, को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा सिलिका उत्खनन से जुड़े वैसे श्रमिकों, जो सिलिकोसिस से प्रभावित हो रहे हैं उनका बीमारी को कम करने, इसकी रोकथाम, उपचार, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति हेतु आयोग प्रयासरत है। बाल व महिला संबंधित मुद्दों में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं

Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रजनन अधिकार, महिला एवं बच्चों के दुर्व्यापार, महिलाओं बालिकाओं, के साथ होने वालों दुष्कर्म जैसे मुद्दों को सुलझाने में प्रयासरत है।

राज्य मानवाधिकार आयोग *(State Human Rights Commission)*

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 केन्द्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी मानव अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। अब तक देश के 22 राज्यों में आधिकारिक तौर पर मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की गई है। राज्य मानव अधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करते हैं, जो संविधान की राज्य सूची या समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। यदि संबंधित मामले की जाँच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही है, तब राज्य मानवाधिकार आयोग मामले की जाँच नहीं करता है।

आयोग की संरचना *(Structure of Commission)*

राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। दो सदस्यों में से एक संबंधित उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या राज्य के जिला न्यायालयों का कोई न्यायाधीश जिसे जिलाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो जबकि दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होता है, जिसे मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। आयोग का सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) के रूप में कार्य करता है और वैसी शक्तियों का प्रयोग करता जो राज्य मानवाधिकार आयोग उसे सौंपता है।

नियुक्ति *(Appointment)*

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं। इस समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभाध्यक्ष (सदस्य), राज्य का गृहमंत्री (सदस्य), विधानसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य), के तौर पर शामिल होते हैं। विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद अध्यक्ष एवं विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी सदस्य के तौर पर शामिल किए जाते हैं। संबंधित राज्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही की जा सकती है।

कार्यकाल *(Term of Office)*

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समान ही है (5 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो)। पदमुक्ति के पश्चात् अध्यक्ष व सदस्य केन्द्र एवं राज्य, दोनों ही सरकारों के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से हुए पदरिक्ति की स्थिति में राज्यपाल अधिसूचना जारी कर किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नये अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक के लिए अधिकृत कर सकेगा।

पद मुक्ति या त्यागपत्र *(Removal or Resignation)*

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। पद से हटाने का आधार वही है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को उनके पद से साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कदम सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए राय के संदर्भ (Reference) में लेता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के सदस्य राज्यपाल को हस्तलिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकते हैं।

इसके अलावा राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटा सकते हैं:

1. यदि वह दिवालिया हो जाए।
2. यदि वह कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी व्यवसाय में संलिप्त हो।
3. यदि वह शारीरिक या मानसिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो।
4. यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो।
5. यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजायाफ्ता हो और राष्ट्रपति की दृष्टि में यह नैतिक तौर पर गलत है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

वेतन एवं भत्ते *(Salary and Allowances)*

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

कार्यक्षेत्र *(Jurisdiction)*

राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी ही हैं लेकिन इसका कार्यक्षेत्र सीमित होकर राज्य विशेष तक ही रह जाता है। यह बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ-साथ राज्य मानवाधिकार आयोग पर भी लागू होती है कि मानवाधिकार हनन से संबंधित घटना घटने के एक साल के बाद इस संदर्भ में कोई जाँच-पड़ताल नहीं की जाएगी। मानवाधिकार हनन संबंधी मामलों की जाँच के लिए आयोग विशेष जाँच टीम (Special Investigation Team) का गठन कर सकती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधान सभा में रखा जाता है तथा यह बताया जाता है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई। किसी सलाह को न मानने का तार्किक उत्तर राज्य सरकार को देना होता है।

भारत के 22 राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है, जिसके नाम निम्नलिखित हैं–

1. असम	2. आंध्र प्रदेश	3. बिहार	4. छत्तीसगढ़
5. गुजरात	6. हिमाचल प्रदेश	7. जम्मू-कश्मीर	8. केरल
9. कर्नाटक	10. मध्य प्रदेश	11. महाराष्ट्र	12. मणिपुर
13. ओडिशा	14. पंजाब	15. राजस्थान	16. तमिलनाडु
17. उत्तर प्रदेश	18. पश्चिम बंगाल	19. झारखण्ड	20. सिक्किम
21. गोवा	22. उत्तराखंड		

मानवाधिकार न्यायालय *(Human Rights Courts)*

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (The protection of Human Right Act, 1993) देश के प्रत्येक जिले में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। ऐसे प्रत्येक न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

मानवाधिकारों से संबंधित व्यावहारिक पहलू *(Practical Aspects Regarding Human Rights)*

भारत में सशस्त्र बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हमेशा ही विवाद के विषय बने रहे हैं। इन मामलों में आयोग की भूमिका व शक्तियाँ भी सीमित होती हैं। जेलों में बंद कैदियों के बारे में अक्सर सुनने में आता रहा है कि उनके मामलों की सुनवाई किए बिना लंबे समय तक उन्हें जेलों में बंद रखा गया। भारत में मानवाधिकारों की मुख्य धारा से आज भी किन्नरों, समलैंगिकों या कुछ जनजातीय समुदायों को नहीं जोड़ा जा सका है। भ्रूण हत्या, बालिका हत्या बाल श्रम, जातीय भेदभाव को कैसे मानवाधिकार हनन से जोड़ा जाए, यह प्रश्न भारत के समक्ष खड़ा है। राज्य स्तर पर मानवाधिकार से संबंधित अनेक विवाद देखने को मिलते रहे हैं। भारत में माओवादी एक शक्तिशाली संगठन के तौर पर उभरे हैं। राज्य स्तर पर मानवाधिकार से संबंधित ज्यादातर विवाद माओवादी संगठनों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ाव से संबंधित हैं। विनायक सेन, सोनी सोढ़ी (छत्तीसगढ़) मामले पुलिस उत्पीड़न की कहानी कहते हैं, वहीं उत्तर-पूर्वी भारत तथा जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार हनन के मामले सेना को अत्यधिक विशेषाधिकार प्रदान करने से संबंधित है। इसके अलावा ऐसे कई मामले राज्य स्तर पर देखने को मिलते हैं, जिनमें मानवाधिकार उल्लंघन के मामले होते हैं लेकिन वे ज्यादा चर्चित नहीं हो पाते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार मानवाधिकार उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली में दर्ज होते हैं। राज्य सरकारें मानवाधिकारों को लेकर कितना चिंचित हैं, वह इस बात से पता चलता है कि इन तीन राज्यों में दो हरियाणा एवं दिल्ली में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अभी तक नहीं किया जा सका है जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा राज्यों से इसके गठन हेतु लगातार आग्रह किया जाता रहा है। जिन राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है उनमें 10 राज्यों राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के राज्य

Copyright – Drishti The Vision Foundation

मानवाधिकार आयोग बिना स्थायी अध्यक्ष के कार्य कर रहे हैं। अन्य राज्यों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और कहीं-कहीं कुछ ही सदस्यों से काम चलाया जा रहा है। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवाधिकार संरक्षण के मामले में राजनीतिक इच्छाशक्ति की जबरदस्त कमी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वार्षिक रिपोटों में–

- 35 प्रतिशत शिकायतें पुलिस के विरुद्ध होती है।
- 2010-11 की रिपोर्ट के अनुसार 9 प्रतिशत शिकायतें अधिकारियों की शिथिलता या पद के दुरुपयोग से जुड़ी हुई थीं।
- कैदियों को न्याय दिलवाना एक बड़ी समस्या है। लगभग सभी जेलों में कैदियों की अत्यधिक संख्या है जिनमें से 67 प्रतिशत कैदियों के मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है।

राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश 28 सितंबर 1993 को जारी किया गया। तत्पश्चात् मानवाधिकार विधेयक 1993 संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लेने के पश्चात् 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। यह अधिनियम 28 सितम्बर 1993 से पूर्ण प्रभावी हुआ।

भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का मत

(International Human Rights Organization's View Regarding India)

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने 2012 के रिपोर्ट में भारत पर यह आरोप लगाया है कि इसने देश के अंदर या बाहर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को रोकने के लिए प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किये हैं। भारत के बारे में कहा गया है कि अवसरवादी गठबंधन से मिलीभगत कर भारत मानवाधिकार हनन के मामलों को नजरअंदाज कर रहा है। भारत के बारे में कहा गया है कि वह देश के अंदर एवं बाहर मानवाधिकारों के संरक्षण एवं प्रोनन्यन की कीमत पर आर्थिक विकास कर रहा है। भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के बावजूद वह मानवाधिकार से जुड़े मसलों पर कार्यवाही करने को अनिच्छुक है। भारत मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, म्यांमार तथा श्रीलंका में मानवाधिकार हनन के मामलों में चुप रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को सरकारी एजेन्सियों के साथ-साथ गैर-सरकारी एजेन्सियों का भी कोपभाजन बनना पड़ता है और उन पर देशद्रोह के साथ-साथ राजनीति से प्रेरित अन्य गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण से जुड़ा संस्थागत तंत्र (Institutional Mechanism) अभी भी कमजोर है तथा मानवाधिकार हनन के मामलों में न्यायालयीय प्रक्रिया धीमी है। अधिकारहीन स्थानीय समुदायों जैसे आदिवासियों, दलितों एवं किसानों के विरोध को दबाने के लिए भारतीय सुरक्षा बल अत्यधिक बल प्रयोग करते हैं।

आदिवासियों एवं अन्य अधिकारहीन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने वाले एवं उनके अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित सूचना प्राप्त करने वाले लोगों को सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा लक्षित किया जाता है या उन्हें हानि पहुंचाया जाता है। वैश्विक स्तर पर भी विरोध प्रदर्शनों से निपटने के मामले में राजनीतिक नेतृत्व असफल रहा है और ज्यादातर मामलों में उसने बर्बरता एवं बेरूखी से काम लिया है। अधिकारहीन समुदायों की सुरक्षा में किए जाने वाले अन्याय का प्रतिकार करने की बात कही गई है एवं शक्तिशाली लोगों पर लगाम लगाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब समय आ गया है कि 'निगमों से पहले लोगों को' रखा जाए तथा 'लाभ के पहले अधिकारों को' रखा जाए।

इसके अतिरिक्त सितंबर 2012 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत से यंत्रणा के खिलाफ संविदा (Convention against Torture) को शीघ्रातिशीघ्र अभिपुष्ट करने का आग्रह किया है। संगठन ने देश के कई भागों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के लागू रहने पर चिंता व्यक्त की है। यह अधिनियम कुछ विशेष परिस्थितियों में गोली मारने का अधिकार भी (Shoot to Kill) प्रदान करता है। इस अधिनियम के लागू रहने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बलों द्वारा दुष्कर्म एवं हत्या जैसे मानवाधिकार हनन के मामलों के प्रति चिंता जाहिर की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस अधिनियम को रद्द करने की अपील की है।

मानवाधिकार से जुड़ी एक दूसरी संस्था ह्यूमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि भारत को अभी भी मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े कानून बनाने हैं तथा वर्तमान नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना है ताकि अधिकारहीन समुदायों (Marginalised Communities) जैसे दलितों, जनजातीय समुदाय, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं बच्चों के मानवाधिकारों का संरक्षण हो सके। इसका यह भी मानना है कि राज्य को मानवाधिकार हनन के मामलों, विशेषकर महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के लैंगिक हमले, सांप्रदायिक हिंसा वाले इलाकों से बलपूर्वक गायब करने (Enforced disappearances in Conflict Zones), न्यायेत्तर हत्या (Extra Judicial Killings) उत्पीड़न का लगातार जारी रहना, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हमले को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

निर्वाचन आयोग
(Election Commission)

देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के तहत् एक स्थायी और स्वतन्त्र निकाय के रूप में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद-324 में संसदीय चुनावों, विधान सभा चुनावों, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनावों की देखरेख उनके निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। इस प्रकार चुनाव आयोग, इस अर्थ में अखिल भारतीय स्तर का निकाय है कि यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए एक है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-324 में निर्वाचन आयोग को प्रदान की गयी शक्तियों में संसदीय अधिनियमों तथा वर्णित नियमों और आदेशों के द्वारा और वृद्धि की गयी हैं जैसे-

(i) 1950 की जन प्रतिनिधित्व (मतदाता सूचियों की तैयारी) नियमावली।

(ii) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जो मतदाताओं की योग्यता, मतदाता सूचियों की तैयारी चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण संसद में तथा विधानसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है।

(iii) जन प्रतिनिधित्व (चुनाव संचालन और चुनाव याचिका) नियमावली 1951

(iv) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसके संबंध में चुनावों के आयोजन से जुड़े प्रशासनिक तंत्र, मतदान, चुनाव संबंधी विवाद, उपचुनाव, राजनीतिक दलों का पंजीकरण आदि से है।

(v) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952

(vi) संघ शासित अधिनियम, 1963

(vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारतीय संविधान में अलग से राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है।

आयोग की संरचना

संविधान के अनुच्छेद-324 में चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है-

(i) निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे।

(ii) मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।

(iii) किसी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जब इस प्रकार होती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(iv) राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे।

(v) निर्वाचन आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।

वर्ष 1950 में अपने गठन से लेकर 15 अक्टूबर, 1989 तक निर्वाचन आयोग मात्र मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर, 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। इसके बाद, आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें तीन निर्वाचन आयुक्त थे। तथापि, 1990 में चुनाव आयुक्तों के दो पद समाप्त कर दिये गये तथा चुनाव आयोग को पहले जैसी स्थिति में ला दिया गया। अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति ने पुनः दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की तब से अब तक निर्वाचन आयोग तीन चुनाव आयुक्तों के साथ कार्य कर रहा है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियों, वेतन, भत्ते और सुविधाएँ समान हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच यदि विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही वेतन तथा अन्य सुविधाएँ मिलती हैं। ये तीनों आयुक्त 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु होने तक (जो भी पहले हो) के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

स्वतंत्रता

संविधान के अनुच्छेद-324 में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्य प्रणाली को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं-

(i) मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल निश्चित है। उसे उसके पद में उसी आधार पर और उस ढंग से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा तब ही हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन उसके द्वारा दुर्व्यवहार अथवा उसकी अक्षमता के आधार पर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करें। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाने के बावजूद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति की सहमति से पद पर बने नहीं रह सकता।

(ii) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा-शर्तें उसकी नियुक्ति के बाद इस तरह नहीं बदली जा सकती जिससे उसे हानि होती है।

(iii) अन्य निर्वाचन आयुक्त का प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

संविधान में यद्यपि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ-साथ उसकी रक्षा के भी प्रबंध किये गये हैं, फिर भी कुछ कमियों का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है जो निम्नवत हैं-

(i) संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता (विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक) संविधान में निर्धारित नहीं की गयी है।

(ii) संविधान में चुनाव आयोग के सदस्य के कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है।

(iii) संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगायी गयी है।

शक्तियाँ और कार्य

संसदीय चुनावों, विधान सभा चुनावों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावों के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है जैसे- प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्द्धन्यायिक।

इन शक्तियों और कार्यों का विवरण इस प्रकार है-

1. वर्ष 1962 और 1972 में संशोधित संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के आधार पर देशभर में चुनावी क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना।
2. समय-समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।
3. चुनावी तिथियों और अनुसूचियों को अधिसूचित करना तथा नामांकन पत्रों की जांच करना।
4. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना।
5. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करने संबंधी विवादों के निपटान के लिए न्यायालय का कार्य करना।
6. चुनावी प्रबंधों से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना।
7. निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार-संहिता का निर्धारण करना।
8. चुनावों के समय राजनीतिक दलों की नीतियों को रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित करने का कार्यक्रम तैयार करना।
9. संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
10. विधानमण्डल के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना।
11. मतदान केन्द्रों पर कब्जा, हिंसा और अन्य अनियमितताओं की स्थिति में चुनावों को रद्द करना।
12. देशभर में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव तंत्र का पर्यवेक्षण करना।
13. निर्वाचन करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना।
14. चुनावों के प्रयोजन से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और चुनाव में उनके परिणामों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दल का दर्जा प्रदान करना।
15. आपातकाल की अवधि को एक वर्ष के बाद भी बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्रपति को यह सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन के तहत् राज्य में चुनाव कराये जा सकते हैं या नहीं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब-

(i) उसे किसी चार राज्यों के वैध मतों से 60% मत हासिल हुए हों और

(ii) उसे किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हुई हों, या

(i) उसे लोकसभा में सीटों की संख्या को 2% सीट मिली हो और

(ii) ये सदस्य अलग-अलग राज्यों से चुने गये हों।

इसी प्रकार किसी राजनीतिक दल को प्रांतीय दल का दर्जा तब प्रदान किया जाता है जब-

(i) उसे राज्य के वैध मतों में से 6% हासिल हुए हों, और

(ii) उसे विधानसभा में कुल सीटों के 3% के बराबर सीट मिली हो अथवा विधानसभा में 3 सीट मिली हो (जो भी अधिक हो)।

निर्वाचन आयोग की सहायता उप-निर्वाचन आयुक्त करते हैं ये सिविल सेवा से लिये जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। इन दोनों अधिकारियों की सहायतार्थ सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उपनिदेशक और अवर सचिव होते है जो आयोग के सचिवालय में पदस्थ होते हैं।

राज्य स्तर पर, राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य चुनाव अधिकारी करते हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। इनके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। जिलाधिकारी संबद्ध जिलों के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है तथा प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए निर्वाचन अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है।

भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में भारत के मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55) ने इस संबंध में एक सिफारिश की तदनुसार, 1956 में सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग XVII में एक नया अनुच्छेद-350(क) जोड़ा गया।

इस आलेख में निम्न प्रावधान है-

(i) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।

(ii) विशेष अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवायेगा।

यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह संविधान भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की योग्यता, कार्यकाल, सेवाशर्तें, वेतन और भत्ते तथा इनको हटाने की प्रक्रिया आदि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं करता है।

गठन

संविधान के अनुच्छेद-350(ख) के अनुसार, 1957 में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गयी। इस अधिकारी को भाषायी अलसंख्यकों के लिए आयुक्त (कमिश्नर) का पदनाम दिया गया है।

इस कमिश्नर का मुख्यालय इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में है तथा बेलगांव (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु), एवं कोलकाता (प. बंगाल) में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उप-आयुक्त (असिस्टेंट कमिश्नर) होता है।

मुख्यालय में आयुक्त को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक उपायुक्त तथा एक सहायक आयुक्त होते हैं। आयुक्त इस संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

केन्द्रीय स्तर पर आयुक्त, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग *(National Commission for Women)*

भारत सरकार द्वारा भारत में महिलाओं की स्थिति पर 1974 में एक समिति गठित की गयी, जिसमें महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास को गति देने और शिकायतों के निपटारे को बढ़ावा देने तथा निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। इसके बाद गठित की गयी कई महिला संबंधी समितियों, आयोगों एवं योजनाओं

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना-1988 सहित) द्वारा भी महिलाओं के लिए इस प्रकार के एक शीर्ष निकाय के गठन की सिफारिश की गयी। उसके अनुसार 1992 में महिलाओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की देश में स्थापना की गयी।

राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक (न कि एक संवैधानिक) निकाय है। इसका गठन महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1990 (भारत सरकार का 1990 का अधिनियम संख्या 20) के अधीन किया गया है। पहले आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थीं। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग का नोडल मंत्रालय है।

अपने जनादेश के साथ आयोग महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लगभग सभी पहलुओं को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करता हैं। आयोग के उद्देश्य इस प्रकार हैं-

(i) महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।

(ii) उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।

(iii) शिकायतों के निवारण को बढ़ावा देना।

(iv) महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

आयोग की संरचना

धारा 3 के तहत् 1990 के अधिनियम में आयोग की संरचना का प्रावधान है। आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष, पाँच सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होते हैं। आयोग का अध्यक्ष महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। पाँच सदस्यों का चयन योग्यता एवं सत्यनिष्ठा के अलावा कानून या विधायन, ट्रेड यूनियनवाद, महिलाओं की रोजगार संभावना बढ़ाने वाले उद्योग या संगठन के प्रबंधन, महिलाओं के गैर-सरकारी संगठनों, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण से जुड़े अनुभवों के आधार पर किया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़ा एक-एक सदस्य भी आयोग में होना चाहिए।

अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव का नामांकन केन्द्र सरकार (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) द्वारा किया जाता है। उनके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों भी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं।

सदस्य-सचिव प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलनों के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होना चाहिए या केन्द्र की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का एक अधिकारी होना चाहिए।

सदस्यों का कार्यकाल

आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है परन्तु वे अपना पद किसी भी समय केन्द्र सरकार को अपना त्याग पत्र दे सकते है। इसके अलावा केन्द्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में इनके कार्यकाल से पूर्व भी हटा सकती है यदि-

(i) वह दिवालिया घोषित किया जाता है।

(ii) उसे सक्षम अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है।

(iii) वह कार्य करने में अक्षम हो जाता है।

(iv) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया है और सजा दी गयी है जो केन्द्र सरकार की दृष्टि में नैतिक कदाचार माना जाता है।

(v) वह आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

इसके बावजूद अध्यक्ष या सदस्य को तब तक उसके पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई का एक उचित अवसर न प्रदान किया जाये।

आयोग के कार्य

1990 के अधिनियम की धारा 10(1) राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए चौदह सूत्रीय जनादेश प्रदान करता है। जनादेश की सामान्य अवलोकन प्रदान की गयी है जिनमें है-

(i) संविधान और कानूनों के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराये गये सुरक्षा उपाय से जुड़े सभी मामलों की जांच एवं परीक्षण करना।

(ii) इन सुरक्षापायों के कार्यपालन के संबंध में केन्द्र सरकार को वार्षिक या अन्य अनुकूल समय पर रिपोर्ट भेजना।

(iii) केन्द्र या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए इन सुरक्षापायों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें देना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iv) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंधों और कानूनों की समीक्षा करना तथा इस प्रकार के कानूनों मे किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए संशोधनों का सुझाव देना।

(v) महिलाओं से जुड़े संविधान के उपबंधों एवं कानूनों के उल्लंघन के मामले को हाथ में लेना।

(vi) महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न से पैदा होने वाली विशेष समस्याओं या स्थितियों में विशेष अध्ययनों और जांच का आह्वान करना तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए अनुमोदित की गयी रणनीतियों के समक्ष आने वाली बाधाओं की पहचान करना।

(vii) महिलाओं से जुड़े मसलों में शिकायतों को देखना और खुद की पहल पर ध्यान देना-

(क) महिलाओं के अधिकारों का वंचन

(ख) महिलाओं को संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु बनाये कानूनों का गैर-क्रियान्वयन तथा समानता और विकास के उद्देश्य की उपलब्धि।

(ग) महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करने हेतु लिए गये नीतिगत निर्णय और निर्देशों का गैर अनुपालन एवं महिलाओं के लिए राहत एवं कल्याण सुनिश्चित करना।

(viii) महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना और उसमें भागीदारी करना।

(ix) संवर्द्धनशील एवं शैक्षिक शोध को हाथ में लेना ताकि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अपेक्षित प्रतिनिधत्व को सुनिश्चित करने के तरीके सुझाये जा सके।

(x) संघ एवं राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(xi) किसी भी कारागार, पूछताछ गृह, महिलाओं की संस्था या अन्य ऐसे स्थान का निरीक्षण करना जहां महिलाओं को बंदी या अन्य रूप में रखा जाता है।

(xii) किसी भी ऐसें मुकदमें को वित्त उपलब्ध कराना जिसमें महिलाओं के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले मुद्दे निहित हैं।

(xiii) महिलाओं से जुड़े किसी भी मामले पर सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट तैयार करना।

(xiv) केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गये किसी अन्य मामलों को देखना।

आयोग का कार्यचालन

आयोग महिलाओं से जुड़े मामलों पर स्वयं की पहल पर, मौखिक या लिखित रूप में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विभिन्न श्रेणियों से जुड़ी शिकायतें आयोग द्वारा प्राप्त की जाती हैं जैसे- घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज, शारीरिक यातना, हत्या, अपहरणो, एनआरआई विवाहों के विरुद्ध शिकायतें, बलात्कार, परित्याग, द्वि-विवाह, पुलिस उत्पीड़न क्रूरता, पति द्वारा क्रूरता, अधिकारों का वंचन, लैंगिक भेदभाव कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, रेलवे में अभद्रता इत्यादि।

आयोग इन शिकायतों की समस्याओं से निपटने के एक तीन सूत्रीय विधि अपनाता है-

(i) पुलिस द्वारा जांच में तेजी लाई जा रही एवं निगरानी कर रहे हैं।

(ii) पारिवारिक विवादों को हल या परामर्श के माध्यम से समझौता कर रहे हैं।

(iii) गंभीर अपराधों के मामलों में आयोग एक जांच समिति गठित करती है जो हिंसा और उत्पीड़न के शिकार लोगों को तत्काल राहत और न्याय प्रदान करने में मदद करते हैं।

आयोग की शक्तियाँ

आयोग अपनी प्रक्रियाएँ खुद विनियमित करता है एवं अपनी समिति की प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करता है। किसी भी शिकायत की जांच-पड़ताल या किसी मामले की जांच करते समय आयोग को एक सिविल अदालत की सभी शक्तियां विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में प्राप्त होती है-

(i) भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ii) किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना।

(iii) हलफनामों पर सबूत प्राप्त करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iv) किसी भी सार्वजनिक रिकार्ड की, किसी भी अदालत या कार्यालय से मांग करना।

(v) साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना।

(vi) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कोई भी अन्य विषय।

आयोग की रिपोर्ट

केन्द्र सरकार को आयोग एक वार्षिक रिपोर्ट भेजता है इस रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा होता है। केन्द्र सरकार इस रिपोर्ट को आयोग की सलाह पर की गयी कार्यवाही के लिए एक स्मरण पत्र के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है। इस स्मरण-पत्र में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख होना भी आवश्यक होता है।

यदि ऐसी कोई भी रिपोर्ट किसी भी राज्य सरकार से जुड़े मामले से संबंधित है तो आयोग इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। राज्य सरकार इसे राज्य विधानमण्डल के समक्ष एक स्मरण पत्र के रूप में रखती है। इस स्मरण पत्र में आयोग की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाहियों का विश्लेषण होता है एवं ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख होता है।

आयोग की रणनीतियाँ

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या बहुआयामी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इन समस्याओं से निपटने के लिए एवं अपने जनादेश को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के दर्जे और महिलाओं के विकास को सुधारने के लिए निम्नलिखित रणनीतियां अपनायी है-

(i) महिलाओं के बीच कानूनी जागरूकता की सृजन, कौशल निर्माण के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण और लाभपूर्ण रोजगार तक पहुंच सुनिश्चित करना।

(ii) संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना।

(iii) सभी मंचों पर समानतापूर्ण प्रतिनिधित्व के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण एवं समूहीकरण के माध्यम से राजनीतिक सशक्तिकरण।

(iv) वंचित महिलाओं की दशा में सुधार।

(v) समय-समय पर संविधान और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों से बाहर निकलने के प्रावधानों की समीक्षा करना।

(vi) वैधानिक एवं सामाजिक प्रतिबंधों के माध्यम से मीडिया में महिलाओं के अशिष्ट प्रदर्शन पर रोक।

(vii) संघ ओर किसी भी राज्य में महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन।

(viii) महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं का स्थितियों की जांच या विशेष अध्ययन करना।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
(National Commission For Protection of Child Rights)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार अधिनियम के संरक्षण के लिए आयोग, अधिनियम 2005 के तहत् मार्च 2007 में स्थापित किया था। यह आयोग एक वैधानिक निकाय है। यह आयोग देश में बाल अधिकारों का संरक्षण, संवर्द्धन और प्रतिरक्षण करता है। अधिनियम के अन्तर्गत बाल अधिकारों में संयुक्त राष्ट्र समझौता (20 नवंबर, 1989) द्वारा अंगीकृत बच्चों के अधिकारों को शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर, 1992 को इस समझौते का अनुमोदन किया गया था। इस समझौते के तहत् बाल 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग बच्चों से जुड़े सभी कानूनों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। हर बच्चों को छूने के लिए आदेश में, यह समुदायों और परिवारों के लिए एक गहरी पैठ चाहता है। आयोग के लिए, बच्चों के सभी अधिकार बराबर महत्व के हैं।

आयोग का संघटन

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सार्वभौमिकता और बाल अधिकारों की पवित्रता के सिद्धांत पर जोर देता है और देश की नीतियों में संबंधित सभी बच्चों में तात्कालिकता के स्वर को पहचानता है। आयोग बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष एवं छह सदस्य होते हैं। छह सदस्यों में से दो महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। आयोग का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता

Copyright – Drishti The Vision Foundation

है, जिसमें बच्चों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्य किया हो। छह सदस्यों का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिनमें श्रेष्ठ गुण, योग्यता, सत्यनिष्ठा, स्थिरता के अलावा निम्न क्षेत्रों में अनुभव होना आवश्यक होता है-

(i) शिक्षा
(ii) बाल स्वास्थ्य देखभाल, बाल विकास या कल्याण
(iii) किशोर न्याय या उपेक्षित व विकलांग बच्चों के मामले
(iv) बाल श्रम का उन्मूलन या बच्चों के लिए तनावपूर्ण स्थितियों का उन्मूलन
(v) बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र
(vi) बच्चों से जुड़े कानून

केन्द्र सरकार द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है परन्तु अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होता है।

केन्द्र सरकार द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन व अन्य भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तो का निर्धारण किया जाता है फिर भी नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

सदस्यों का कार्यकाल और पदच्युति

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है इन्हें दो से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त अन्य बातें निम्नवत् हैं

(i) अध्यक्ष 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकता है।
(ii) सदस्यों के संबंध में यह 60 वर्ष है।

अध्यक्ष या सदस्य केन्द्र सरकार को संबोधित कर अपने त्याग पत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद छोड़ सकता है। केन्द्र सरकार अध्यक्ष को कदाचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकती है। इसके अतिरिक्त यह निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से बर्खास्त कर सकती है यदि-

(i) वह दिवालिया घोषित किया गया हो।
(ii) उसे सक्षम अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया है।
(iii) वह कार्य करने में अक्षम हो जाता है।
(iv) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया है एवं सजा दी गयी है। जो केन्द्र सरकार की दृष्टि में नैतिक कदाचार माना जाता है।
(v) वह आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

इसके बावजूद अध्यक्ष या सदस्य को तब तक उसके पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई का एक उचित अवसर न दिया जाये।

आयोग के कार्य

आयोग के कार्य निम्नलिखित है-

(i) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न कानूनों द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा उपायों की जांच एवं समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
(ii) केन्द्र सरकार को वर्तमान वार्षिक और इस तरह के अन्य अंतराल पर आयोग के रूप में उन रक्षा उपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट भेजना।
(iii) बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने एवं इस तरह के मामले में कार्यवाही की सिफारिश करना।
(iv) आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, तस्करी, दुराचार, अत्याचार और शोषण, अश्लील सहित्य और वेश्यावृत्ति जैसे कारकों का परीक्षण करना जो बच्चों के अधिकारों के उपभोग को बाधित करते हैं और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
(v) विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना और उपचारात्मक उपाय सुझाना। इन बच्चों में तनावग्रस्त बच्चे, सीमांत बच्चे, किशोर अपराधी, कानूनी लड़ाई में कैसे बच्चे, परिवारहीन बच्चे, कैदियों के बच्चे इत्यादि शामिल है।
(vi) संधियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करने और बाल अधिकारों पर मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों, और अन्य गतिविधियों की सावधिक समीक्षा करने तथा सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
(vii) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य हाथ में लेना और उसे प्रोत्साहित करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(viii) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता को फैलाना और इन अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

(ix) किसी किशोर संरक्षण गृह या किसी भी अन्य आवास या संस्था का निरीक्षण करना जहां बच्चों को उपचार, सुधार और संरक्षण के उद्देश्य से रखा जाता है।

(x) आयोग निम्नलिखित से जुड़े मामले में शिकायतों की जांच कर सकता है अपनी पहल पर इन मामलों को संज्ञान में ले सकता है-

- बाल अधिकारों के अभाव और उल्लंघन।
- बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए उपलब्ध कराने के कानूनों की गैर कार्यान्वियन।
- बच्चों की कठिनाइयां समाप्त करने और उनके लिए कल्याण और राहत सुनिश्चित करने हेतु लिये गये नीतिगत निर्णयों या निर्देशों का गैर अनुपालन।

(xi) ऐसे अन्य कार्यों को निष्पादित करना जो बाल अधिकारों के संवर्द्धन हेतु आवश्यक समझे जाये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं कर सकता है जो बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य आयोग या किसी अन्य वैधानिक आयोग के समक्ष लंबित हो।

आयोग की शक्तियाँ

आयोग किसी भी मामले की जांच करते हुए निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रियाएं, 1908 के तहत् और विशेष रूप से एक सिविल अदालत की सभी शक्तियां होती है-

(i) किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करना और उसका शपथ जांच करना।

(ii) किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की माँग करना।

(iii) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(iv) किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना।

(v) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना।

आयोग का कार्यचालन

आयोग जांच पूरी होने के बाद निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है-

(i) यह संबंधित सरकार या प्राधिकारी से आरोप प्रक्रिया या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य उपयुक्त कार्यवाही शुरू करने की अनुशंसा कर सकता है।

(ii) यह आवश्यक निर्देशों, आदेशों या परमादेशों के लिए उच्चतम न्यायालय या सम्बद्ध उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है।

(iii) यह संबंधित सरकार या प्राधिकारी से पीड़ित को आवश्यक अंतरिम राहत देने की सिफारिश कर सकता है।

आयोग की रिपोर्ट

आयोग केन्द्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार को अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट प्रेषित करता है। इन रिपोर्टों को एक वर्ष के भीतर आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों पर होने वाली कार्यवाही के एक स्मरण-पत्र के साथ संबंधित विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है। इस स्मरण-पत्र में ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख भी किया जाता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग *(National Commission for Scheduled Castes)*

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन प्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन किया गया था। संविधान में अनुसूचित जातियों और उनके सामाजिक, शैक्षिणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों का संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए विशेष प्रावधान किये गये थे। आयोग संविधान के तहत् अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक गैर-वैधानिक बहुसदस्यीय आयोग का गठन 1978 में सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त का पद फिर भी बना रहा। सरकार ने एक दूसरे प्रस्ताव के द्वारा 1987 में आयोग के कार्यों को संशोधित कर दिया और इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग का नाम दिया गया।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए 65वें संविधान संशोधन अधिनियम (1990) द्वारा एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस संवैधानिक निकाय ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ-साथ 1987 के प्रस्ताव के अधीन गठित आयोग को भी प्रतिस्थापित कर दिया।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए पुन: 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो पृथक निकायों में बाँट दिया गया। ये दो निकाय थे-

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(i) अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद 338 के अधीन)

(ii) अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (अनुच्छेद 338A के अधीन)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग रूप में 2004 में अस्तित्व में आया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। एवं इनकी सेवा सेवा शर्तें तथा कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

आयोग के कार्य

आयेग के कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) संविधान के अधीन या किसी अन्य कानून के तहत् अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध करायी गयी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करना तथा उनके कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।

(ii) अनुसूचित जातियों के अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के अभाव के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।

(iii) अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया पर तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना एवं परामर्श देना।

(iv) इन सुरक्षा उपायों के कार्यप्रणाली के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक या अन्य किसी अनुकूल समय पर अपनी रिपोर्ट भेजना।

(v) संघ या राज्य द्वारा किये जाने वाले उपायों की जो अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों तथा सुरक्षापायों के प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करना।

(vi) संसद के अधीन बनायी गयी विधि के उपबंधों के अधीन संरक्षण, कल्याण और राष्ट्रपति के रूप में अनुसूचित जातियों के विकास और उन्नति के संबंध में इस तरह के अन्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए शासन द्वारा निर्दिष्ट किये गये हों।

आयोग की रिपोर्ट

आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, आवश्यकता पड़ने पर यह किसी अन्य समय पर भी अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी रिपोर्टों को आयोग के द्वारा की गयी सभी अनुशंसाओं पर होने वाली कार्यवाही के स्मरण-पत्र के साथ संसद के समक्ष रखता है। इस स्मरण पत्र में ऐसी किसी भी अनुशंसा को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख भी होना चाहिए। राज्य सरकार से जुड़ी किसी भी रिपोर्ट को राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल को अग्रसारित करता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर की जाने वाली कार्यवाही के स्मरण पत्र सहित विधान मंडल के सामने रखता है। स्मरणपत्र में ऐसी किसी भी अनुशंसा को अस्वीकार करने के कारणों का भी उल्लेख होता है।

आयोग की शक्तियाँ

आयोग को अपनी कार्य प्रक्रिया खुद विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी मामले या शिकायत की जांच करते समय आयोग को एक सिविल अदालत की शक्ति प्राप्त होती है। इन शक्तियों के तहत आयोग विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में-

(i) भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ii) किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना।

(iii) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(iv) किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकार्ड की मांग करना।

(v) साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना।

(vi) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कोई भी अन्य विषय।

केंद्र सरकार औ राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करें।

आयोग अन्य पिछड़े वर्गों और आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक व अन्य वैधानिक सुरक्षापायों से जुड़े सभी मामलों की जांच कर सकता है और उनके कार्यप्रणाली पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग *(National Commission for Scheduled Tribes)*

अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रत्यक्ष रूप से संबंधित के अनुच्छेद 338-A द्वारा की गयी है। आयोग की स्थापना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के

Copyright – Drishti The Vision Foundation

लिए किया गया था। संविधान में अनुसूचित जनजातियों और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों का संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए विशेष प्रावधान किये गये थे। अत: आयोग संविधान के तहत् अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के पारित होने के बाद अस्तित्व में आया। आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन स्थापित किया गया था।

अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जातियों से भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से भिन्न माना जाता है इसके साथ ही इनकी समस्याएं भी एक-दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तत्कालीन संयुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का विभाजन करके अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया गया। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ऐसा संभव हुआ। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 338 को संशोधित कर दिया और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338क जोड़ दिया गया।

अनुसूचित जनजातियों का पृथक राष्ट्रीय आयोग 2004 में अस्तित्व में आया। संविधान के तहत् अनुसूचित जनजातियों के आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) शामिल हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुहरयुक्त लिखित पत्र के माध्यम से हाता है। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसमें इनकी सेवा शर्तें भी शामिल है।

आयोग के कार्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद, 338क के तहत् आयोग के कार्य इस प्रकार हैं-

(i) अनुसूचित जनजाति के लिए सवैधानिक और अन्य वैधानिक सुरक्षापायों से जुडे सभी मामलों की जाँच और निगरानी करना तथा उनके कार्यकरण का मूल्यांकन करना।

(ii) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वचन के सबंध में शिकायतों की जाच करना।

(iii) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना और उसमें भागीदारी करना तथा संघ या किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(iv) इन सुरक्षा उपायों के कार्यप्रणाली के सबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक या अन्य किसी अनुकूल समय पर अपनी रिपोर्ट प्रेरित करना।

(v) उन उपायों की सिफ़ारिश करना जो अनुसूचियों जनजातियों के सरंक्षण, कल्याण, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों एवं सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संघ या एक राज्य को लागू करने चाहिए।

(vi) अनुसूचित जनजातियों के सरंक्षण, कल्याण, विकास और उन्न्यन के सबंध में ऐसे अन्य सभी कार्यों को हाथ में लेना। जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किये गये हो।

आयोग के अन्य कार्य

राष्ट्रपति ने 2005 में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण विकास और उन्नयन के संबंध आयोग के लिए निम्नलिखित अन्य कार्यों को निर्दिष्ट किया था।

(i) जनजातियों के विकास तथा अधिक जीवन अक्षम आजीविका रणनीतियों हेतु कार्य के संबंध में उपायों की अनुशंसा करना।

(ii) वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को गौण वन उत्पादों के संबंध में स्वामित्व अधिकार सौंपने के उपाय अनुशंसित करना।

(iii) खनिज संसाधनों, जल संसाधनों पर जनजातीय समुदाय के कानून उचित सुरक्षा उपाय अधिकारों की सिफारिश करना।

(iv) भूमि से जनजातीय लोगों के स्वत्व अंतरण की रोकथाम तथा इस प्रकार के अंतरण से प्रभावित लोगों के प्रभावी पुनर्वास हेतु उपायों की सिफारिश करना।

(v) विकासात्मक परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए पुनर्वास उपायों तथा राहत की प्रभाविता को सुधारने के लिए अनुशंसा करना।

(vi) वनों के संरक्षण तथा सामाजिक वानिकी हेतु जनजातीय समुदायों के अधिकतम सहयोग एवं भागीदारी के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(vii) जनजातियों द्वारा विस्थापित कृषि की प्रथा को अंतिम रूप से समाप्त करने और घटाने के लिए उपाय सुझाना ताकि उनके निरंतर अशक्तिकरण तथा भू और पर्यावरण निम्नीकरण को रोका जा सके।

(viii) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (1996) के प्रावधानों के पूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

आयोग की रिपोर्ट

राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता हैं। यह आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य समय पर भी अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर होने वाली कार्यवाही के स्मरण-पत्र के साथ संसद के समक्ष रखता है। इस स्मरण पत्र में किसी भी अनुशंसा के अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख भी होना चाहिए। राज्य सरकार से जुड़ी आयोग की किसी भी रिपोर्ट को राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल को अग्रसारित करता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं पर की जाने वाली कार्यवाही के स्मरण-पत्र सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। इस स्मरण पत्र में किसी भी अनुशंसा के अस्वीकार करने के कारणों का भी उल्लेख होता है।

आयोग की शक्तियाँ

आयोग को अपनी कार्य प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। किसी भी मामले या शिकायत की जांच करते समय आयोग को एक सिविल अदालत की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के तहत आयोग-

(i) भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करना एवं उसकी शपथ परीक्षण करना।

(ii) किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना।

(iii) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(iv) किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक रिकार्ड की मांग करना।

(v) गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना।

(vi) राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया कोई भी अन्य विषय, जो उसे सौंपा गया हो।

(vii) जैसे विभिन्न कानूनों के प्रवर्तन-

- (a) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- (b) बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)
- (c) बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)
- (d) अलगाव की भावना और भूमि की बहाली के विषय में राज्य अधिनियम और विनियमन (अनुसूचित जनजाति के संबंध में)
- (e) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)
- (f) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996
- (g) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अनुसूचित जनजातियों के संबंध में)

संविधान के अनुच्देद 338क की धारा 9 के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करें।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग *(National Commission For Backward Classes)*

मंडल मामले के फैसले (1992) में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक ऐसे स्थायी वैधानिक निकाय को गठित करने का निर्देश दिया था, जो पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के किसी भी वर्ग के अल्प समावेशन या गैर समावेशन की शिकायतों का परीक्षण कर सके।

उच्चतम न्यायालय के दिशानुसार संसद द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम संख्या 27) पारित किया गया और 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया। यह आयोग एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा पूरे भारत में फैली हुई है।

"पिछड़ा वर्ग" शब्द का मतलब, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर नागरिकों के ऐसे सभी पिछड़े वर्गों से है, जो केंद्र सरकार की सूचियों में उपलब्ध किया जा सकता है।

आयोग की संरचना

केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत् यह सौपे गये कार्य को करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयोग में नामित निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(i) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा हो।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(ii) पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले दो व्यक्ति एवं

(iii) एक सदस्य सचिव जो केंद्र सरकार में सचिव श्रेणी के समकक्ष अधिकारी है अथवा रहा हो।

सदस्यों का कार्यकाल

आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष का होता है। फिर भी केंद्र सरकार को संबोधित अपने त्याग पत्र के द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग कर सकते हैं। यही नियम अध्यक्ष पर भी लागू होगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में आयोग के किसी भी सदस्य को उसके कार्यकाल से पूर्व भी हटा सकती है यदि-

(i) वह दिवालिया घोषित हो जाता है।

(ii) उसे सक्षम न्यायायल द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ्य घोषित किया गया है।

(iii) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी या दंडित किया जाता है जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक भ्रष्टता के अन्दर आता है।

(iv) वह कार्य करने से मंना करता है या कार्य करने में अक्षम होता है।

(v) आयोग की अनुपस्थिति की छुट्टी प्राप्त किये बिना, आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित है अथवा

(vi) वह अपने पद का इस तरह से दुरुपयोग करता है कि केंद्र सरकार की दृष्टि में उसका पद पर बने रहना पिछड़ा वर्ग के हितों या लोकहितों के लिए हानिकर माना जाता है।

परन्तु इसके बावजूद, किसी भी सदस्य को हटाने से पहले उस मामले में अपने पक्ष की सुनवाई किये जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

आयोग के कार्य

पिछड़े वर्गों के संदर्भ में आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूचियों में आयोग पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी भी वर्ग के समावेशन हेतु प्रस्तुत आवेदनों का परीक्षण करेगा और सूचियों में किसी भी पिछड़ा वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशनों की शिकायतों को सुनेगा तथा केंद्र सरकार को उचित परामर्श देगा।

(ii) आयोग की सलाह आमतौर पर केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होगा।

(iii) केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात् इन सूचियों का पुनरीक्षण करेगी ताकि इनमें से कुछ वर्गों को बाहर रखा जा सके एवं कुछ नये वर्गों को इनमें शामिल किया जा सके। इस पुनरीक्षण के कार्य में केंद्र सरकार आयोग के साथ परामर्श करेगी।

आयोग की शक्तियाँ

धारा 9 की उपधारा (i) के तहत् आयोग को अपनी प्रक्रिया खुद विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। पिछड़े वर्गों की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग के समावेशन अथवा अति समावेशन या अल्प समावेशन से जुड़े कार्यों को निष्पादित करते समय आयोग के पास एक सिविल अदालत की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी जो निम्नलिखित मामलों में विशेष रूप से प्रभावी होगी-

(i) भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ii) किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना।

(iii) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(iv) किसी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकार्ड की मांग करना।

(v) साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना।

(vi) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कोई भी अन्य विषय।

आयोग की रिपोर्ट

केंद्र सरकार को आयोग एक वार्षिक रिपोर्ट भेजता है इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा होता है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को आयोग की सलाह पर की गयी कार्यवाही के व्याख्यात्मक स्मरण पत्र के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है।

इस स्मरण पत्र में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख होना भी आवश्यक होता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग *(National Commission for Minorities)*

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पाँच धार्मिक अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से एक सांविधिक निकाय के रूप में 1993 में स्थापित किया गया। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए 1978 में भारत सरकार ने एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से एक अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या की गयी।

बाद में यह आवश्यकता महसूस की गयी कि अल्पसंख्यक आयोग को एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाय ताकि यह आयोग के कार्यप्रणाली एवं प्रभावशीलता के बारे में अल्पसंख्यकों के बीच विश्वास को बढ़ा सके।

इससे यह आयोग राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों एवं मंत्रालयों, केंद्र सरकार के विभागों एवं अन्य संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर सकेगा।

अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम (1992) के पारित होने के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक निकाय बन गया और इसे अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का नाम प्रदान किया गया। ऐसे पहले वैधानिक आयोग का गठन 1993 में हुआ।

यह अधिनियम "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित नहीं करता है किन्तु यह अधिनियम के उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह "अल्पसंख्यकों" को अधिसूचित कर सके। उसके अनुसार केंद्र सरकार ने 1993 में पाँच धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है।

आयोग की संरचना

केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में जाना जाता है। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य शामिल होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा श्रेष्ठ गुणों योग्यता और सत्यनिष्ठा के आधार पर सदस्यों को नामित किया जाता है। फिर भी अध्यक्ष सहित पाँच सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदायों के बीच से होना आवश्यक है।

अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा-शर्तें केंद्र सरकार (अल्पसंख्यकों का मंत्रालय) द्वारा निर्धारित किया जाता है, सदस्यों में उपाध्यक्ष भी शामिल हैं।

सदस्यों का कार्यकाल एवं पदच्युति

इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है फिर भी अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित करके अपने त्याग-पत्र द्वारा वे किसी भी समय अपना पद छोड़ सकते हैं।

अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी केंद्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में उनको पद से बर्खास्त कर सकती है यदि-

(i) वह दिवालिया घोषित हो जाता है।

(ii) उसे सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ्य घोषित किया गया है।

(iii) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी या दंडित किया जाता है जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक भ्रष्टाचार के अन्तर्गत जाता है।

(iv) वह कार्य करने से मना करता है या कार्य करने में अक्षम होता है।

(v) वह आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

(vi) वह अपने पद का इस तरह से दुरुपयोग करता है कि केंद्र सरकार की दृष्टि से उसका पद पर बने रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहितों के लिए हानिकर माना जाता है।

परन्तु इसके बावजूद, किसी भी सदस्य को हटाने से पहले उस मामले में अपने पक्ष की सुनवाई किये जाने का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

आयोग के कार्य

आयोग को एक 9 सूत्रीय जनादेश उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित है-

(i) संघ एवं राज्यों में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ii) संविधान में और संसद द्वारा पारित कानूनों और राज्य विधानमंडलों में उपलब्ध कराये गये सुरक्षा उपायों के काम की निगरानी।

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा या राज्य सरकारों के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iv) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से जुड़ी शिकायते देखना तथा ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष रखना।

(v) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव से पैदा होने वाली समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनके समाधान हेतु उपायों की अनुशंसा करना।

(vi) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण का संचालन करना।

(vii) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अन्तर्गत आने वाले किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में उचित उपाय सुझावित करना।

(viii) अल्पसंख्यकों से जुड़े किसी भी मामले या उनके समक्ष आने वाली कठिनाइयों के बारे में केंद्र सरकार को आवधिक या विशेष रिपोर्ट सौंपना।

(ix) केंद्र सरकार द्वारा आयोग को सौंपे गये किसी अन्य मामले को देखना।

आयोग की शक्तियाँ

आयोग किसी भी मामले या शिकायत की जाँच-पड़ताल करते समय इसको एक सिविल अदालत की शक्तियाँ प्राप्त होती है। इन शक्तियों के तहत् आयोग-

(i) भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ii) किसी भी दस्तावेज की खोज या उत्पादन की माँग करना।

(iii) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(iv) किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई भी सावजनिक रिकार्ड की माँग करना।

(v) गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी कर सकता है।

(vi) केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपा गया कोई अन्य मामला।

आयोग की रिपोर्ट

आयोग केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजता है। यह आवश्यकता पड़ने पर अन्य विशेष रिपोर्ट भी प्रेषित कर सकता है। केंद्र सरकार ऐसी सभी रिपोर्टों को आयोग द्वारा की गयी शिफारिशों पर होने वाली कार्यवाही के विस्तृत स्मरण-पत्र के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है। इस स्मरण-पत्र में किसी भी प्रकार की सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख भी होता है। यदि ऐसी किसी भी रिपोर्ट का सम्बन्ध राज्य सरकार से जुड़े किसी मामले से होता है तो आयोग ऐसी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि उस राज्य सरकार को भी अग्रसारित करता है। वह राज्य सरकार उस रिपोर्ट को आयोग की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही के स्मरण-पत्र के साथ विधानमंडल के समक्ष रखती है। इस स्मरण-पत्र में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के करणों का भी उल्लेख किया जाना जरूरी होता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त
(Central Commissioner for Disabled Persons)

विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त (अथवा आधिकारिक रूप से, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त) का पद विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत गठित किया गया था और इसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु कदम उठाने के लिए अधिदेशित किया गया है।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम, (1995) मूलत: उन सुविधाओं को सूचीबद्ध करता है जो विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जानी है तथा यह उन जिम्मेदारियों एवं प्रतिबद्धताओं को भी निर्धारित करता है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य संगठनों पर लागू होती है। इसमें विकलांगता की शुरूआती पहचान और रोकथाम, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शोध और मानव शक्ति विकास, बाधारहित पहुँच इत्यादि से जुड़े उपायों को शामिल किया गया है। इसमें उन प्राथमिकताओं एवं सुविधाओं के संबंध में किये जाने वाले उपायों को शामिल किया गया है जो विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाहियों के लिए भी अनुशंसाएं करने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के स्तर पर एक मुख्य आयुक्त एवं प्रत्येक राज्य में एक आयुक्त की व्यवस्था की गयी है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

मुख्य आयुक्त की नियुक्ति

(i) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए एक मुख्य आयुक्त नियुक्त कर सकता है।

(ii) पुनर्वास से जुड़े मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति का पात्र माना जायेगा।

(iii) मुख्य आयुक्त का वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों सहित) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(iv) केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए आवश्यक अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की प्रकृति एवं श्रेणियों का निर्धारण करेगी और इस प्रकार के उपयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्य आयुक्त के लिए उपलब्ध करायेगी।

(v) मुख्य आयुक्त के लिए उपलब्ध कराये गये कर्मचारी एवं अधिकारी मुख्य आयुक्त के सामान्य अधिवीक्षण के तहत् अपने कार्यों का निर्वहन करेगा।

(vi) मुख्य आयुक्त को उपलब्ध कराये गये अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा-शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह किया जायेगा।

मुख्य आयुक्त के कार्य

(क) विकलांगता अधिनियम के अनुसार, मुख्य आयुक्त स्वयं की पहल पर या किसी भी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर या अन्य के संबंध में शिकायतों पर गौर कर सकते हैं-

  (i) विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की हानि

  (ii) विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके कल्याण हेतु सरकारों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्मित या जारी कानूनों, नियमों, उपनियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, निर्देशों का गैर-क्रियान्वयन।

(ख) इसके अतिरिक्त अन्य कार्य हैं-

  (i) मुख्य आयुक्त राज्य आयुक्तों के कार्य के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

  (ii) केंद्र सरकार द्वारा वितरित धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखना।

  (iii) विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अधिकारों एवं सुविधाओं की रक्षा के लिए कदम उठाना।

  (iv) वह केंद्र सरकार को निश्चित समयांतराल पर या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में अधिनियत के कार्यान्वयन से जुड़ी रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

मुख्य आयुक्तों की शक्तियाँ

मुख्य आयुक्त को अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक सिविल अदालत की शक्तियाँ प्राप्त होगी-

(i) गवाहों की उपस्थिति के लिए सम्मन जारी करना।

(ii) किसी दस्तावेज की खोज या उत्पादन की माँग करना।

(iii) किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक रिकार्ड की मांग करना।

(iv) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(v) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण हेतु विशेष आदेश जारी करना।

मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष होने वाली कोई भी प्रक्रिया या कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन एक न्यायिक प्रक्रिया या कार्यवाही होगी। मुख्य आयुक्त को अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 के उद्देश्य के लिए भी एक सिविल अदालत के रूप में देखा जायेगा।

वार्षिक रिपोर्ट

मुख्य आयुक्त पिछले वर्ष की अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा सहित एक वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रेषित करता है। वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों से संबंधित सूचनाएं शामिल होती हैं-

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(i) अधिकारियों के नाम, कार्यालय के कर्मचारी और संगठनात्मक संरचना को दर्शाने वाला एक चार्ट।

(ii) अधियिम के अधीन मुख्य आयुक्त द्वारा निष्पादित किये गये कार्य और इस संबंध में उसके काम निष्पादन की जानकारी।

(iii) मुख्य आयुक्त द्वारा दी गयी सिफारिशें।

(iv) अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाली राज्यवार प्रगति।

(v) समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट या मुख्य आयुक्त द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य विषय।

केंद्र सरकार मुख्य आयुक्त द्वारा दी गयी सिफारिशों पर होने वाली कार्यवाही के एक स्मरण-पत्र के साथ उसकी रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है। इस स्मरण-पत्र में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों का उल्लेख होना आवश्यक होता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
(National Commission Disputes Redressal Commission)

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इस आयोग की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् 1988 में किया गया था। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्द्धन और संरक्षण के लिए उनको एक उदार सामाजिक विधान प्रदान करता है। भारत में अपनी तरह का यह पहला अधिनियम है क्योंकि यह उपभोक्ताओं की शिकायतों का कम खर्चीला एवं अक्सर शीघ्र निवारण तथा उनको सुरक्षित करने के लिए सक्षम है।

यह अधिनियम उपभोक्ता विवादों के समाधान हेतु एक त्रिस्तरीय उपागम उपलब्ध कराता है। उपभोक्ता अदालत के इन तीन स्तरों को क्रमशः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (जिला फोरम), राज्य उपभोकता विवाद निवारण आयोग (राज्य आयोग) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राष्ट्रीय आयोग) कहा जाता है।

जिला फोरम और राज्य आयोग केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्यों द्वारा गठित किये जाते है जबकि राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित होता है। इन अदालतों ने सिविल अदालतों के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं किया है किन्तु ये एक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध कराती हैं।

वर्तमान में देश में 629 जिला फोरम, 35 राज्य आयोग और 1 राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा चुका है। उपभोक्ता अदालतों के त्रिस्तरीय पद अनुक्रम में सबसे शीर्ष पर राष्ट्रीय आयोग होता है।

आयोग की संरचना

राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का सस्ता, त्वरित और संक्षिप्त निवारण प्रदान करता है। राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 4 सदस्य (जिसमें एक सदस्य का महिला होना आवश्यक है) शामिल होते हैं। अध्ययन के पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाशीश हो या रहा है। सदस्यों का चुनाव ऐसे लोगों में से किया जाता है। जो योग्यता, सत्यनिष्ठा के अलावा अर्थशास्त्र, कानून, वाणिज्य, लेखा, उद्योग, लोक मामले या प्रशासन से संबंधित समस्याओं से निपटने में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव और पर्याप्त ज्ञान रखते हों।

आयोग की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है इस चयन समिति में निम्न व्यक्ति शामिल होते हैं-

(i) एक व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश हो और जिसे मुख्य न्यायशीश द्वारा नामित किया जाये (अध्यक्ष)।

(ii) भारत सरकार के कानूनी मामलों के विभाग का सचिव (सदस्य)।

(iii) भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग का सचिव (सदस्य)।

राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद धारण करता है। अध्यक्ष या एक सदस्य के पद में होने वाली रिक्त को उसके कार्यकाल पूरा करने, उसकी मृत्यु होने, त्याग-पत्र या पदच्युति के बाद ही भरा जा सकता है।

पदच्युति

अध्यक्ष या किसी सदस्य को केंद्र सरकार निम्नलिखित आधारों पर हटा सकती है-

(i) दिवालिया घोषित हो जाता है।

(ii) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक भ्रष्टाचार के अन्तर्गत आता है।

(iii) शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com, वेबसाइट: www.drishtiias.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iv) ऐसे वित्तीय या अन्य हितों की पूर्ति करे जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके गलत कार्यों से प्रभावित कर सकते हैं।

(v) आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(vi) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग करे कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकर हो।

अधिकार क्षेत्र

(i) **आर्थिक अधिकार क्षेत्र:** राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता अदालतों का उच्चतम स्तर है इसलिए यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जहाँ दावें का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक हो।

(ii) **प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र:** राष्ट्रीय आयोग का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार समस्त भारत में (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) व्याप्त है। फिर भी यह अधिनियम तब लागू होता है जब कार्यवाही का कारण भारत में पैदा हुआ हो। यदि कार्यवाही का कारण भारत से बाहर उत्पन्न होता है तो उस मामले में राष्ट्रीय आयोग के पास सुनवाई का कोई अधिकार नहीं होगा।

(iii) **अपीलीय क्षेत्राधिकार:** राष्ट्रीय आयोग किसी भी राज्य आयोग के विरुद्ध अपीलें सुनता है। राज्य आयोग के आदेश की तारीख से 30 दिनों से भीतर ऐसी अपील की जा सकती है फिर भी राज्य आयोग 30 दिनों की अवधि के बाद भी दाखिल की गयी किसी अपील को सुन सकता है। यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि दिये गये समय के भीतर अपील न दाखिल करने का कोई प्रर्याप्त कारण मौजूद था।

(iv) **पुनरीक्षणात्मक अधिकार क्षेत्र:** राष्ट्रीय आयोग किसी भी राज्य आयोग द्वारा निर्णीत या उसके समक्ष लंबित किसी उपभोक्ता विवाद के संबंध में रिकार्ड मांग सकता है और उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है परन्तु ऐसे मामले में राज्य को आभास होना चाहिए कि राज्य आयोग ने,

(क) अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।

(ख) अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं किया है।

(ग) अपने अधिकार क्षेत्र का अवैधानिक या भौतिक अनियमितता के साथ उपयोग किया है।

राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि में उच्चतम न्यालय के समक्ष अपील की जा सकती है।

प्रशासनिक नियंत्रण

राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित मामलों में सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है-

(i) वादों के संस्थापन, लम्बन और निपटान के संबंध में आवधिक ब्यौरे की माँग करना।

(ii) मामले की सुनवाई में एकरूप प्रक्रिया के अंगीकरण, एक पक्ष द्वारा प्रतिपक्षियों के लिए उत्पादित दस्तावेजों की प्रतियों की अग्रिम सेवा, किसी भाषा में लिखित निर्णयों के अंग्रेजी अनुवाद की पूर्ति, दस्तावेजों की प्रतियों की त्वरित मंजूरी आदि के बारे में निर्देश जारी करना।

(iii) राज्य आयोगों या जिला फोरमों के कार्यप्रणाली पर सामान्य निगरानी रखना ताकि उनकी अर्द्ध न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किये बिना अधिनियम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके।

भारत का परिसीमन आयोग
(Delimitation Commission of India)

भारत का परिसीमन आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना संसद द्वारा बनाये गये कानून के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसके कार्यप्रणाली के अन्तर्गत देश में संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करना है।

आयोग एक शक्तिशाली निकाय है क्योंकि इसके आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है और इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट एक निश्चित तारीख को लागू होते हैं। इन्हें लोकसभा और संबंधित राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाता है किन्तु इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।

भारत में अब तक इस प्रकार के चार आयोग गठित किये जा चुके हैं- जिनमें पहला परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत 1952 में, दूसरा परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत् 1963 में, तीसरा परिसीमन आयोग अधिनियम, 1972 के तहत् 1973 में एवं चौथा परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के तहत 2002 में।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

संवैधानिक उपबंध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 81, 82, 170, 330 और 332 का संबंध संसदीय एवं विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन से है। इन अनुच्छेदों को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 एवं 87वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा संशोधित किया गया था। इन दोनों संशोधनों का प्रभाव निम्नलिखित है-

(i) लोक सभा में विभिन्न राज्यों के लिए आवंटित वर्तमान सीटों की कुल संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना तक अपरिवर्तित बनी रहेगी।

(ii) सभी राज्यों में विधान सभा सीटों की कुल संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगी।

(iii) 2001 की जनगणना के आधार पर लोक सभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पुन:निश्चित की जायेगी।

(iv) संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का पुन: परिसीमन प्रत्येक राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा और अब परिसीमित होने वाले ऐसे चुनाव क्षेत्रों का विस्तार वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक यथावत बना रहेगा।

(v) चुनावी क्षेत्रों का इस प्रकार पुन: परिसीमन किया जायेगा कि एक राज्य में प्रत्येक संसदीय और विधान सभा क्षेत्रों की जनसंख्या (2001 की जनगणना के आधार पर) जहां तक व्यवहारिक हो सके, पूरे राज्य में समान होगी।

चौथा परिसीमन आयोग

भारतीय संसद ने चौथा परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत् वर्ष 2002 में पारित किया। इस आयोग का कार्य संविधान एवं परिसीमन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत भारत के सभी राज्यों में (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) 2001 की जनगणना के आधार पर संसदीय एवं विधान सभा क्षेत्रों का पुन: व्यवस्थापन करना था। यह आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय था इसमें निम्नलिखित बातें शामिल थीं-

(i) अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का सेवारत् या सेवानिवृत्त था।

(ii) राज्य चुनाव आयुक्त संबंधित राज्य या संघशासित प्रदेश का जो कि दूसरा पदेन सदस्य था।

(iii) मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नामित एक चुनाव आयुक्त जो कि पदेन सदस्य था।

इसके अतिरिक्त इस आयोग में प्रत्येक राज्य के संबंध में 10 सहायक सदस्य भी शामिल थे। इनमें से 5 सदस्य उस राज्य से चुने गये लोक सभा सदस्य थे एवं अन्य शेष 5 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य थे। इन सहायक सदस्यों को मतदान करने या आयोग के किसी भी आदेश पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था।

सिफारिशों का क्रियान्वयन

सरकार को आयोग की सिफारिशें 2007 में प्रस्तुत की गयीं। भारत के राष्ट्रपति ने 2008 में आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना पर हस्ताक्षर किये तथा इसी तरह संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन लागू किया गया।

आयोग की सिफारिशें कुछ राज्यों में लागू नहीं होती है जिनमें शामिल है- असम, मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। इसमें से प्रथम चार राज्यों में परिसीमन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया एवं झारखण्ड के संदर्भ में अंतिम आदेश को रद्द कर दिया गया था। 2009 के आम चुनाव में सभी राज्यों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी (जम्मू-कश्मीर, झारखंड, असम, मणिपुर, नागालैण्ड एवं अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) 543 में 499 संसदीय चुनाव क्षेत्रों में नये परिसीमित चुनाव क्षेत्रों के आधार पर संपन्न हुए थे।

भारत का विधि आयोग *(Law Commission of India)*

समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत् सुशासन को बढ़ावा देने के लिए भारत में विधि आयोग एक गैर-वैधानिक कार्यकारी निकाय है। केन्द्र सरकार के एक आदेश द्वारा इसका गठन समय-समय पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। आयोग का मुख्य कार्य कानूनों के समेकन और संहिताकरण के उद्देश्य से विधायी उपायों की अनुशंसा करना है। इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन के दौरान 4 विधि आयोग गठित किये गये थे। इन आयोगों का योगदान भारतीय संदर्भ में यह

Copyright – Drishti The Vision Foundation

रहा कि भारतीय विधान पुस्तिका की समृद्धि हुई। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एवं कानूनी प्रशासन की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी कानूनों के प्रतिरूप के आधार पर भारतीय परिस्थितियों में अपनाये जाने वाले कई प्रकार के कानूनों की सिफारिश की थी। भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय कंपनी अधिनियम (1866), न्यासी अधिनियम (1866), तलाक अधिनियम (1869), भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1870), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872), भारतीय संविदा अधिनियम (1872), विशेष विवाह अधिनियम (1872), संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम और अन्य कई कानून इन चार आयोग की सिफारिशों का ही परिणाम थे।

भारत की आजादी से पूर्व विधि आयोग

प्रथम विधि आयोग (1834)	दूसरा विधि आयोग (1853)	तीसरा विधि आयोग (1861)	चौथा विधि आयोग (1879)
लार्ड मैकाले (अध्यक्ष)	सरजान रोमिली (अध्यक्ष)	सरजान रोमिली (अध्यक्ष)	डा० ह्वीटली स्टोक्स

स्वतंत्र भारत में गठित विधि आयोग

विधि आयोग, कानून सुधार संचालित करने की परंपरा के माध्यम से स्वतंत्र भारत में जारी किया गया। स्वतंत्र भारत में पहली बार विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया। इस आयोग का गठन भारत में एक प्रमुख कानूनविद् की अध्यक्षता में किया गया है और यह भारत की कानूनी प्रवासी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रथम विधि आयोग- स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष एम.सी. शीतलवाड़ थे, जो कि भारत के तत्कालीन अटार्नी जनरल थे। इस आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का था और इस आयोग ने 16 सितंबर, 1958 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तब से अब तक 20 और विधि आयोग गठित किये जा चुके हैं।

आयोग की संरचना

विधि आयोग की संरचना प्रत्येक आयोग के लिए भिन्न-भिन्न होती है। प्रायः इसमें एक अध्यक्ष, कुछ पूर्णकालिक सदस्य, एक सदस्य सचिव और आयोग को विचार हेतु सौंपे गये विषय की प्रकृति के आधार पर कुछ अल्पकालिक सदस्य शामिल होते हैं।

आयोग के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत् या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वैधानिक विशेषज्ञ या किसी भारतीय विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर होते हैं।

भारतीय विधिक सेवा सदस्य सचिव से संबंध रखता है। भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या सचिव के समकक्ष होता है।

अल्पकालिक सदस्यों की नियुक्ति बार के श्रेष्ठ सदस्यों, शैक्षिक क्षेत्र में श्रेष्ठ अध्येयताओं या कानून की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषीकृत ज्ञान रखने वाले लोगों में से की जाती है।

विधि आयोग के नियमित कर्मचारी में विभिन्न पद श्रेणियों एवं अनुभवी लगभग 1 दर्जन शोध कार्मिक शामिल होते हैं। सचिवालय स्टाफ का एक छोटा-सा समूह आयोग के प्रशासनिक कार्यचालन को देखता है।

आयोग की कार्यप्रणाली

विधि आयोग आम तौर पर देश में कानून में सुधार के लिए दीक्षा बिन्दु के रूप में कार्य करता है। आंतरिक विधि आयोग एक शोध उन्मुख ढंग से काम करता है। आयोग का कार्यचालन निम्न चरणों के साथ एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है-

(i) आयोग की बैठकों में परियोजनाओं की शुरूआत की जाती है।

(ii) प्राथमिकताओं की चर्चा, सदस्य के लिए प्रारंभिक कार्य के विषयों और काम की पहचान की जाती है।

(iii) प्रस्तावित सुधार के क्षेत्र को ध्यान में रखकर आंकड़ों के संग्रह एवं अनुसंधान हेतु अलग-अलग पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं।

(iv) समस्याओं एवं सुधार के लिए क्षेत्रों के निर्धारण की रूपरेखा।

(v) सार्वजनिक, व्यावसायिक निकायों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ परामर्श।

(vi) प्रतिक्रियाओं और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का मूल्यांकन।

(vii) चर्चा और रिपोर्ट की जांच अपने को अंतिम रूप देने के लिए अग्रणी है।

(viii) विधि और न्याय मंत्रालय को रिपोर्ट अग्रसरित की जाती है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

विधि आयोग की रिपोर्ट पर कानून एवं न्याय मंत्रालय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श के साथ विचार-विमर्श करता है और इसे समय-समय पर संसद में पेश किया जाता है। आयोग ने अब तक अपनी 234 रिपोर्ट पेश की हैं, जिनमें से 225 को संसद के समक्ष रखा गया है।

अत: आयोग अपने अतीत और वर्तमान सभी काम करता है। आयोग ने देश में कानूनी अनुसंधान के लिए एवं कानूनी परिदृश्य बदलने के लिए काम किया गया है, जो अपने आप में भारत में कानून सुधार को आगे बढ़ाने में आयोग की भूमिका के पर्याप्त सूचक हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड *(Central Social Welfare Board)*

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में केन्द्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गयी थी। कंपनी को कंपनी अधिनियम (1956) के अधीन 1969 में एक न्यास कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया और इसे एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह बोर्ड भारत सरकार के महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के गठन का एक मुख्य उद्देश्य है समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना इसके साथ ही समाज कल्याण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना बच्चों एवं विकलांगों के लिए कल्याण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है। बोर्ड की योजनाओं का अधिकतम हिस्सा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष डा० दुर्गाबाई देशमुख ने कहा था कि- "यह बोर्ड एक अग्रगामी संस्थात्मक व्यवस्थापन था, जो कि सरकार द्वारा स्वैच्छिक प्रयासों को एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था।"

बोर्ड के कार्य एवं योजनाएँ

बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वे महिलाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण, सामूहिक चेतना तथा जागरूकता का प्रसार करके आय सर्जक सुविधाएँ तथा सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराकर समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बना सके।

(ii) कमज़ोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क का निर्माण करने के लिए एक निर्देशक कार्यतंत्र के रूप में कार्य करना।

(iii) स्वयंसेवी संगठनों को मजबूत बनाना और योजनाओं का उन क्षेत्रों तक विस्तार करना जहाँ तक वे अभी नहीं पहुची है।

(iv) स्वयंसेविता की भावना को मजबूत बनाने के लिए एक मानववादी दृष्टिकोण के साथ परिवर्तनकारी की भूमिका निभाना।

(v) उभरते क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के सामने आने वाली नयी चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत पहल की सिफारिश करना।

(vi) महिलाओं एवं बच्चों हेतु उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निधि-पोषण के नये स्रोतों का सक्रिय रूप में अनुसरण करना।

(vii) संवेदनशील पेशेवरों के एक संवर्ग का विकास करना जो कि समानता, न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हो।

(viii) अपनी निगरानी भूमिका को सुधारना और शक्तिशाली बनाना ताकि इसके संभरण हेतु सरकारी निधियों के लिए एक दिशा निर्देशक बन सके।

(ix) एक संक्रमणशील समाज, जहाँ नई बुराइयाँ महिलाओं और बच्चों की दशा पर प्रभाव डाल रही है, में चुनौतियों के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान पाने के इच्छुक स्वयंसेवी संगठनों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। बोर्ड कार्यक्रमों में शामिल है-

(i) परिवार परामर्श केन्द्र जिसके तहत् संकटग्रस्त महिलाओं को परामर्श, रेफरल और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाती है।

(ii) महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम।

(iii) जागरूकता प्रसार कार्यक्रम।

(iv) पायलट परियोजनाएँ, जो जरूरत पर आधारित होती हैं तथा जो निर्धारित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं।

(v) स्वयंसेवी संगठनों के लिए एकदम आसान इंटरफेस (यूजर फ्रैंडली) बोर्ड ने ई-आवेदन विकसित की है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

बोर्ड का संगठन

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है। इसमें एक 56 सदस्यीय सामान्य निकाय और 16 सदस्यीय कार्यकारी समिति शामिल होती है। सामान्य निकाय एक नीति निर्माता निकाय है। यह प्रतिवर्ष बजट पास करने के लिए बैठक करता है और रिपोर्टों एवं मामलों पर विचार-विमर्श करता है। कार्यकारी समिति बोर्ड के मामलों का प्रशासन करती है। इसकी बैठक 2 महीने में एक बार में होती है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कार्यकारी समिति के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है। कार्यकारी निदेशक उसके प्रत्यक्ष अधीन कार्य करता है। वह बोर्ड के कार्य संचालन के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी होता है। वह कई प्रबंधकीय और परामर्शी कार्य निष्पादित करता है।

उत्तर-पूर्वी परिषद *(North-Eastern Council)*

उत्तर-पूर्वी परिषद एक वैधानिक परामर्शी निकाय है। संसद के एक अधिनियम (उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम 1971) के माध्यम से इसकी स्थापना अगस्त, 1972 में की गयी थी। परिषद में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 8 सदस्य राज्य असम, मेघालय त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम शामिल है। सिक्किम परिषद का 8वाँ सदस्य राज्य 2002 में बना था। इस परिषद का मुख्यालय शिलांग (मेघालय) में स्थित है।

परिषद की स्थापना का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर अन्तर्राज्यीय समन्वय को प्रभावी बनाने के लिए तथा क्षेत्र में सुरक्षा और लोक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए की गयी थी। परिषद को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए नियोजन निकाय 2002 के संशोधन द्वारा बनाया गया है। यह परिषद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास हेतु संघीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक और सामाजिक नियोजन की देखभाल के लिए और अन्तर्राज्यीय विवादों की देखभाल के लिए इस परिषद को रूप दिया गया।

परिषद की संरचना

परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं-

(i) आठ सदस्यों वाले राज्य से संबंधित राज्यपाल।

(ii) आठ सदस्यीय राज्यों के मुख्यमंत्री, लेकिन इन आठ राज्यों में से किसी में भी मंत्रिपरिषद न होने पर राष्ट्रपति परिषद में उस राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए एक व्यक्ति को तब तक के लिए नामित कर सकता है जब तक उस राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन न हो जाये।

(iii) भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित तीन सदस्यों

(iv) भारत का राष्ट्रपति आवश्यक होने पर संघीय मंत्री को परिषद का सदस्य नामित कर सकता है।

(v) भारत का राष्ट्रपति आवश्यक समझने पर परिषद के किसी अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामित कर सकता है।

(vi) भारत का राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है।

परिषद के कार्य

परिषद पिछले 40 वर्षों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक नई आर्थिक क्षेत्र के विकास के रास्ते में खड़ा था कि बुनियादी बाधाओं को दूर करने के प्रयास के उद्देश्य से इस पिछड़े क्षेत्र में नई आशा का एक युग में प्रवेश किया है। परिषद ने एक नई आर्थिक गति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर-पूर्वी परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है-

(i) परिषद के पास इस तरह की शक्तियाँ होगी जो उसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की जा सके।

(ii) जहाँ एक परियोजना या योजना द्वारा दो या अधिक राज्यों को लाभ मिलता है तो वहाँ परिषद एक ऐसे तरीकों की सिफारिशें करेगी जिनके द्वारा-

(क) ऐसी परियोजनाएँ या योजनाएँ क्रियान्वित, प्रतिबंधित या परिचालित की जा सके।

(ख) उन पर होने वाले समस्त खर्च को उपगत किया जा सके अथवा

(ग) उनके लाभों को सह-भागिता किया जा सके।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iii) परिषद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय नियोजन निकाय के रूप में कार्य करेगी।

(iv) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजनाएँ बनाते समय परिषद ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी, जिनसे दो या अधिक राज्यों को लाभ मिलता है। फिर भी सिक्किम के संबंध में परिषद ऐसी विशेष योजनाओं एवं परियोजनाओं का निर्माण करेगी जिनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जा सके।

(v) परिषद समय-समय पर क्षेत्रीय योजना में शामिल परियोजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और इनके क्रियान्वयन के मामले में संबंधित राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय हेतु उपायों की सिफारिश करेगी।

(vi) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए परिषद समय-समय पर सदस्य राज्यों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों की समीक्षा करेगी और इस संबंध में आवश्यक समझे जाने वाले उपायों की सिफारिश करेगी।

(vii) परिषद, सड़क के नक्शे प्रदान करता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विजन 2020 तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। लक्ष्यों की रूपरेखा, चुनौतियों की पहचान करता है इससे शांति, संवृद्धि और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कार्यान्वयन रणनीतियों का पता चलता है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने में मदद करता है। इस प्रकार परिषद के प्रमुख कार्यों में उनकी प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं/योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वित क्षेत्रीय योजना शामिल है।

परिषद का पुनर्जीवनीकरण

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास हेतु मंत्रालय द्वारा 2003 में 2002 के संसोधन के अनुसरण में उत्तर-पूर्वी परिषद पुनर्जीवनीकरण समिति का गठन किया गया ताकि एक क्षेत्रीय नियोजन निकाय के रूप में उत्तर-पूर्वी परिषद के पुनरीक्षित कार्यादेश को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव दिया जा सके। इस समिति ने 2004 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

समिति की सिफारिशें निम्नलिखित मामलों से जुड़ी थी-

(i) सीमा व्यापार में उत्तर-पूर्वी परिषद की भूमिका

(ii) क्षेत्रीय योजना के क्रियान्वयन हेतु उपाय

(iii) उत्तर-पूर्वी परिषद की संरचना

(iv) क्षेत्रीय सशक्तिकरण समितियों का गठन

(v) उत्तर-पूर्वी परिषद के सचिवालय की संगठनात्मक पुनर्संरचना एवं सुदृढीकरण

(vi) विकासात्मक परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन

(vii) सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के संबंध में उत्तर-पूर्वी परिषद के कार्यादेश को प्रभावी बनाना

(viii) संवहनीय वृद्धि एवं विकास हेतु क्षेत्रीय नियोजन के लिए उपाय

समिति की अधिकांश सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और उसके अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास हेतु मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा नामित सदस्यों का नामांकन किया है।

उत्तर-पूर्वी परिषद के सचिव से स्वीकार की गयी अन्य सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा)
(Insurance Regulatory and Development Authority)

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) एक स्वायत्त शीर्ष सांविधिक निकाय है जो भारत में बीमा उद्योग को विकसित और विनियमित करता है। इसका गठन बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत किया गया था। इरडा का उद्देश्य, विनियमन को बढ़ावा देने और बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने और इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक संबंधित मामलों के लिए, पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है। अपनी भूमिका के महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में, यह पालिसी धारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार है।

बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों को इरडा अधिनियम, 1999 की धारा 14 में निर्धारित किया गया है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं-

(i) पालिसी धारकों के हितों का संरक्षण।

(ii) बीमाकर्ताओं एवं बीमा मध्यवर्तियों को लाइसेंस जारी करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iii) वित्तीय एवं नियामक अधिवीक्षण इत्यादि।

(iv) बीमा कंपनियों और दलालों के संचालन के लिए दिशा निर्देशों की स्थापना।

(v) बीमा कारोबार के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना।

(vi) बीमा कंपनियों द्वारा धन का निवेश विनियमन।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने की दृष्टिकोण से पालिसी धारकों के हितों के संरक्षण, ग्रमीणं एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धताओं, सूक्ष्म बीमा एवं एजेंटों, निगमित एजेंटों, दलालो, बिचौलियों तथा तीसरे पक्ष के प्रशासकों की लाइसेंसिंग के संबंध में विनिमय जारी किये हैं।

इसके अतिरिक्त इरडा ने बीमा कंपनियों के पंजीकरण हैसियत, लाभ के रख-रखाव, निवेश तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की जरूरतों, बीमा कंपनियों और बिचौलियों या बीमा के बीच विवादों की शोधन क्षमता इत्यादि के लिए नियामक ढांचे को उपलब्ध कराया गया है।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने भारत में बीमा उद्योग में हाल के वर्षों में प्रभावशाली कदम उठाए हैं और देश के सुधार के आर्थिक विकास में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गयी है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) *(Securities and Exchange Board of India)*

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए एक नियामक संस्था है। यह एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है। सेबी का गठन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन किया गया था। इसका उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशिकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित करना है।

सेबी के कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) शेयर बाजारों तथा अन्य प्रतिभूति बाजारों में व्यापार को विनियमित करना।

(ii) प्रतिभूति बाजारों के साथ किसी रूप में जुड़े अन्य बिचौलियों की कार्यप्रणाली को विनियमित करना और उनका पंजीकरण करना।

(iii) म्युचल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं तथा वेंचर कैपीटल फंडों के कार्यप्रणाली को विनियमित एवं पंजीकृत करना।

(iv) स्वनियामक संगठनों को बढ़ाना और विनियमित करना।

(v) प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक लगाना।

(vi) उद्यम पूंजी कोष और म्युचल फंड समेत सामूहिक निवेश योजनाओं के काम को विनियमित एवं पंजीकरण करना।

(vii) प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना।

(viii) निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देना।

(ix) मध्यस्थों एवं बिचौलियों को प्रशिक्षित करना।

सेबी अपनी स्थापना से प्रतिभूतियों को लक्षित काम कर रहा है और सराहनीय उत्साह एवं निपुणता के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भाग ले रहा है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग *(Competition Commission of India)*

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) एक सांविधिक निकाय है। इस आयोग का गठन प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत् 2003 में किया गया। इस आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं-

(i) प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य व्यवहारों को रोकना एवं समाप्त करना।

(ii) बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना एवं इसे बनाये रखना।

(iii) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।

(iv) अन्य प्रतिभागियों द्वारा किये गये व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना।

(v) आर्थिक संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग को सिद्ध करने के लिए एक उद्देश्य के साथ प्रतिस्पर्द्धा नीतियों को लागू करना।

(vi) अर्थव्यवस्था की तेज विकास एवं समावेशी विकास के लिए देश में आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना।

(vii) भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा संस्कृति की स्थापना और पोषण करने के लिए सभी हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के लाभों के बारे में जानकारी का प्रसार करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

अत: भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग विकास के सुझाव के रूप में हालाँकि बाजार में प्रतिस्पर्द्धा विरोधी कार्य व्यवहारों अथवा प्रथाओं की जांच के लिए एक प्रहरी की भूमिका निभाने को तैयार है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण *(Telecom Regulatory Authority of India)*

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) का गठन भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत् भारत सरकार द्वारा 1997 में किया गया। यह एक सांविधिक निकाय है तथा देश में दूरसंचार के कारोबार का एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है। दूरसंचार के क्षेत्र में उदारीकरण तथा निजी क्षेत्र का भागीदारी के विषय में इसके गठन को आवश्यक समझा गया था। इसके द्वारा सभी ऑपरेटरों के लिए एक समतल खेल का मैदान उपलब्ध कराया गया जिसमें ट्राई के इनके लिए नियम, निर्देश एवं आदेश समाहित थे।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम में 2000 में कुछ संसोधनों द्वारा पूरे दूरसंचार नियामक ढाँचे तथा विवाद समाधान तंत्र को मजबूत बनाया गया। ट्राई के कार्यो एवं भूमिका में स्पष्टता लाने के अलावा इसे कुछ अतिरिक्त काम भी सौंपे गये थे। विवादों के शीघ्र समाधान के लिए दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय अधिकरण (टीडीसैट) नाम से एक अलग विवाद समाधान निकाय का गठन भी किया गया।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ट्राई दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्द्धा और दक्षता को बढ़ाने के उपाय सुझाता है। ट्राई की विभिन्न शक्तियों और कार्यों में कुछ निम्नलिखित हैं जिसमें प्रमुख कार्य हैं-

(i) दूरसंचार सेवाओं में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा।

(ii) समय की अवधि निर्धारित करना एवं सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।

(iii) दूरसंचार संचालन सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना।

(iv) सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण करना।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड *(Petroleum and Natural Gas Regulatory Board)*

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का गठन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक अधिनियम, 2006 के प्रावधान के तहत् किया गया था। बोर्ड के कार्य निम्नलिखित है-

(i) इस क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।

(ii) देश के सभी भागों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस की अबाधित एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(iii) पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के परिशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन एवं बिक्री को विनियमित करना।

(iv) वृहद स्तर पर निवेश के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक समतल खेल का मैदान उपलब्ध कराना।

(v) एक प्रतिस्पर्द्धी बाजार को प्रोत्साहन एवं गतिशीलता देना।

(vi) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी का एक डाटा बैंक बनाए रखना।

(vii) केन्द्र सरकार द्वारा सौंपा गया अन्य विषयों से संबंधित कार्य करना।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग *(Central Electricity Regulatory Commission)*

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) एक वैधानिक (न कि संवैधानिक) निकाय है जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत् कार्य करता है। इसका आरंभिक गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य विशाल बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, आपूर्ति की गणवत्ता को सुधारना, निवेश को बढ़ावा देना, मांग एवं आपूर्ति के अंतर को भरने के लिए संस्थागत बाधाओं को हटाने के लिए सरकार को सलाह देना और इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देना है।

आयोग के रूप में विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपे गये निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी है-

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(i) केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों द्वारा पैदा किये जाने वाले टैरिफ को विनियमित करना।
(ii) विद्युत के अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन के लिए टैरिफ का निर्धारण करना।
(iii) विद्युत के अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन को विनियमित करना।
(iv) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक तथा विद्युत व्यापारी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उनके अन्तर्राज्यीय कार्य संचालन के संबंध में लाइसेंस जारी करना।
(v) केन्द्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण से बाहर वाली कंपनियों द्वारा जनित टैरिफ को विनियमित करना।
(vi) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शुल्क लगाना।
(vii) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए ग्रिड कोड निर्दिष्ट करना।
(viii) निर्दिष्ट एवं लाइसेंस धारकों से सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को लागू करना।
(ix) अधिनियम के तहत आबंटित किये जाने वाले कृत्यों का निर्वहन करना।

आयोग के सलाहकारी कार्य निम्नलिखित हैं–

(i) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति के सूत्रीकरण।
(ii) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
(iii) विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना।

अग्रवर्ती बाजार आयोग *(Forward Markets Commission)*

अग्रवर्ती बाजार आयोग (एफएमसी) एक वैधानिक (न कि संवैधानिक) निकाय है जिसका गठन अग्रवर्ती संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत् किया गया था। एफएमसी भारत में अग्रिम बाजार के मुख्य नियामक हैं। इसका मुख्यालय मुम्बई में है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं।

एफएमसी के कार्य निम्नलिखित हैं–

(i) पांच वस्तुओं में अग्रवर्ती व्यापार को संगठित करने के लिए संघों को मान्यता देने या उनकी मान्यता वापस लेने के लिए सरकार को सलाह देना।
(ii) देश में अग्रवर्ती बाजार के कार्यचालन को सुधारने के लिए अपनी सिफ़रिशें देना है।
(iii) जब यह आवश्यक समझे तो किसी भी मान्यता प्राप्त संघ, पंजीकृत संस्था या खातों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करना।
(iv) अग्रवर्ती संधि अधिनियम, 1952 के प्रशासन से उत्पन्न मुद्दों के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना।
(v) जिस प्रकार सेबी शेयर बाजार को नियंत्रित करता है है उसी तरह अग्रवर्ती बाजार आयोग भारत में जिंस (कमोडिटी) बाजार को नियंत्रित करता है।
(vi) बाजार में निगरानी रखना तथा उनके संबंध में आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही करना।
(vii) केन्द्र सरकार को बाजारों की कार्यप्रणाली पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड *(Atomic Energy Regulatory Board)*

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) का गठन 1983 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत् नियामक और सुरक्षा कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एईआरबी का उद्देश्य, भारत में आयनीकृत विकिरण और नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग के कारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए कोई अनुचित जोखिम न पैदा हो को सुनिश्चित करना है।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने कई परामर्श समितियों का गठन किया है जो कि नाभिकीय सुरक्षा, रेडियोधर्मी सुरक्षा, औद्योगिक एवं अग्नि सुरक्षा तथा पेशेवर स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को देखती है। इसके अतिरिक्त एईआरबी को उसके सुरक्षा दस्तावेज विकास कार्य में सहायता देने के लिए तथा विभिन्न परियोजनाओं की सुरक्षा संबंधी समीक्षा के लिए भी कई परामर्शी समितियाँ मौजूद है जैसे नाभिकीय सुरक्षा पर परामर्शी समिति (एसीएनएस) का गठन किया गया था। यह स्थल चयन, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन, परियोजन एवं नियोजन सहित नाभिकीय अवस्थापनाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सामान्य मामलों पर एईआरबी को सलाह देती है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

केन्द्रीय रेशम बोर्ड *(Central Silk Board)*

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) संसद के एक अधिनियम द्वारा, 1948 के दौरान स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सीएसबी का गठन रेशम कीट पालन तथा रेशम उद्योग के समग्र विकास हेतु किया गया था। यह भारत के वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करता है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हैं–

(i) रेशम उद्योग को इस तरह के उपायों से जो यह उचित समझे विकास को बढ़ावा देना।

(ii) रेशम क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक शोध उपक्रम में सहायता एवं बढ़ावा देना।

(iii) कच्चे रेशम के उत्पादन तथा गुणवत्ता को सुधारना तथा रेशम का विपणन करना।

(iv) देश में बीमारी के संचरण को रोकने के लिए रेशम कीट के आयात एवं निर्यात को विनियमित करना।

(v) रेशम कीट, बीज उत्पादन, बहुगुणन एवं बिक्री को विनियमित करना ताकि गुणवत्तापूर्ण रेशम कीट बीज की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

(vi) आँकड़ों का संग्रह करना।

(vii) रेशम उत्पादन के माध्यम से लाभकारी रोजगार के अधिक से अधिक अवसर और आय के बेहतर स्तर को बनाने के लिए वैज्ञानिक व्यवहार का प्रसार करना।

(viii) कच्चे रेशम के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित सभी मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना।

(ix) रेशम उद्योग से संबंधित समय-समय पर इस तरह के अन्य रिपोर्टों को तैयार करना एवं प्रस्तुत करना जो केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक हो सकता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड *(Central Pollution Central Board)*

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 1974 में जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत् किया गया था। बाद में इसे वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आने वाली शक्तियाँ और कार्य भी सौंप दिये गये। सीपीसीबी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य निम्नलिखित है–

(i) जल प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

(ii) जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम द्वारा राज्यों के अलग-अलग क्षेत्रों में जल धाराओं और कुँओं की साफ-सफाई को प्रोत्साहित करना।

(iii) देश में वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और रोकथाम करना तथा वायु की गुणवत्ता को सुधारना।

(iv) मास मीडिया के माध्यम से प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(v) प्रदूषण से संबंधित तकनीकी एकत्र करना और सांख्यिकीय आकड़ों को संकलित एवं प्रकाशित करना।

(vi) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की गतिविधियों को समन्वित करना तथा उनके बीच पैदा होने वाले सभी विवादों का समाधान करना।

(vii) जल और वायु प्रदूषण एवं उनकी रोकथाम तथा नियंत्रण से संबंधित मामलों के संबंध में जानकारी का प्रसार करना।

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों से संबंधित मामलों में उन्हें तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।

(ix) भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये अन्य कार्य करना।

समुद्रतटीय जलजीव संवर्द्धन प्राधिकरण *(Coastal Aquaculture Authority)*

समुद्रतटीय जलजीव संवर्द्धन प्राधिकरण (सीएए) का गठन तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत् किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्रतटीय क्षेत्रों में तटीय जलजीव संवर्द्धन से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करना है। यह समुद्रतटीय जलजीवन संवर्द्धन के विनियमन के लिए उपाय करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तटीय जलजीव संवर्द्धन के द्वारा तटीय पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उत्तरदायी तटीय जलजीव संवर्द्धन की

Copyright – Drishti The Vision Foundation

अवधारणा को शामिल किया गया है। इस दिशा-निर्देशों का अनुसरण करके तटीय जलजीव संवर्द्धन गतिविधियों को विनियमित किया जाता हैं। ताकि समुद्रतटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के विभिन्न वर्गों की जीविका का संरक्षण किया जा सके।

सीएए की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित हैं–

(i) तटीय क्षेत्रों में खेतों के निर्माण और जल कृषि के संचालन के लिए नियम बनाना।

(ii) तटीय क्षेत्रों में खेतों एवं जल कृषि का निरीक्षण करना एवं उनकी वजह से पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाना।

(iii) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करना।

प्रमाणक अधिकारियों का नियंत्रक *(Controller of Certifying Authorities)*

प्रमाणक अधिकारियों का नियंत्रक (सीसीए) भारत में ई वाणिज्य और ई शासन के विकास के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को बढ़ावा देता है। सूचना तकनीक अधिनियम, 2002 ने विषम कूट प्रणालियों पर आधारित डिजिटल हस्ताक्षरों को वैधानिक मंजूरी उपलब्ध करायी है। डिजिटल हस्ताक्षरों को अब हस्तलिखित हस्ताक्षरों के समकक्ष के रूप में माना जाता है तथा डिजिटल हस्ताक्षर वाले इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों को कागजी दस्तावेजों के समान समझा जाता है। सूचना तकनीकी अधिनियम प्रमाणक प्राधिकारियों के नियंत्रक अधिकारियों के कार्यप्रणाली को विनियमित करता है और उन्हें धारा 24 के तहत् लाइसेंस प्रदान करता है। ये प्रमाणक अधिकारी प्रयोक्ताओं के इलेक्ट्रानिक प्रमाणीकरण हेतु डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र जारी करते हैं।

प्रमाणक अधिकारियों का नियंत्रक अपनी स्वयं की निजी कुंजी प्रयोग करने वाले प्रमाणक अधिकारियों की सार्वजनिक कुंजियों को प्रमाणित करता है जिससे साइबर स्पेस में उपस्थित प्रयोक्ता यह सत्यापित कर लेते हैं कि उन्हें दिया गया प्रमाण-पत्र एक लाइसेंस प्राप्त सीसीए द्वारा जारी किया गया है। इस उद्देश्य के लिए सीसीए द्वारा भारतीय मूल प्रमाणक प्राधिकरण (आरसीएआई) का प्रचालन किया जाता है। सीसीए राष्ट्रीय डिजिटल प्रमाण-पत्र भंडार (एनआरडीसी) का रख रखाव भी करता है जिससे देश के सभी प्रमाणक प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों को रखा जाता है।

सीसीए के कार्य निम्नलिखित हैं–

(i) प्रमाण कार्यों की गतिविधियों पर पर्यवेक्षण करना।

(ii) प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मानकों का निर्धारण करना।

(iii) प्रमाणन प्राधिकरण उनके व्यापार का संचालन करेगा जो करने के लिए विषय की स्थिति को निर्दिष्ट करना।

(iv) लिखित, मुद्रित या दृश्य सामग्री को एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र और सार्वजनिक कुंजी के संबंध में वितरित या इस्तेमाल किया जा सकता है कि विज्ञापन की सामग्री को निर्दिष्ट करना।

(v) एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र और कुंजी के फार्म और सामग्री को निर्दिष्ट करना।

(vi) खातों को प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा रखा जायेगा जिसमें फार्म को प्रमाणक प्राधिकरण द्वारा रखा जायेगा जिसमें फार्म और तरीके निर्दिष्ट करना।

भारतीय चिकित्सा परिषद *(Medical Council of India)*

भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) भारत में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा योग्यता की मान्यता के उच्च मानकों को स्थापित करने और बनाये रखने की जिम्मेदारी के साथ एक सांविधिक निकाय है। एमसीआई, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 के तहत 1934 में स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम को भारतीय चिकित्सा परिषद, 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया। इस अधिनियम में बाद में 1964, 1993 में तथा 2001 में संशोधन किया गया था। चिकित्सा पद्धति और चिकित्सा शिक्षा पर नियंत्रण एवं विनियमित करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर दोनों चिकित्सा शिक्षा के समान मानक को बनाये रखना।

(ii) चिकित्सकीय अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता के मामले में अन्य देशों के साथ आदान-प्रदान करना।

(iii) मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता प्राप्त करने वाले चिकित्सकों अस्थायी/स्थायी पंजीकरण प्रदान करना।

(iv) मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा का नियमन करना।

(v) भारत में चिकित्सा संस्थानों द्वारा दी गयी। चिकित्सा योग्यता की पहचान करना।

(vi) भारत में विदेशी चिकित्सा योग्यता की पहचान करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

भारतीय औषध निर्माण विज्ञान परिषद *(Pharmacy Council of India)*

भारतीय फार्मेसी परिषद (पीसीआई) एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अधीन किया गया था। यह भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। भारतीय फार्मेसी परिषद देश में फार्मेसी के पेशे और व्यवहार को विनियमित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। भारतीय फार्मेसी परिषद निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है–

(i) फार्मेसी अधिनियम के अधीन एक औषध विक्रेता के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से देश में फार्मेसी शिक्षा का विनियमन करना।

(ii) एक फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।

(iii) फार्मेसी अधिनियम के अधीन अनुमोदन माँगने वाली फार्मेसी संस्थाओं का निरीक्षण करना।

(iv) फार्मेसी के व्यवसाय और व्यवहार का विनियिमन करना।

(v) औषध विक्रेताओं के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव करना।

(vi) अध्ययन और फार्मेसी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों से फार्मासिस्ट यानि अनुमोदन के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम को मंजूरी प्रदान करना।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद *(Dental Council of India)*

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) एक सांविधिक निकाय है। डीसीआई का गठन दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत् किया गया था। इसके प्राथमिक उद्देश्य देश में दंत चिकित्सा की शिक्षा, व्यवसाय एवं इसकी आचार नीतियों को विनियमित करना है। यह प्रशिक्षण सुविधाओं की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए दंत चिकित्सा संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करती है।

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के प्रावधान के तहत् डीसीआई को निम्नलिखित जिम्मेदारी सौंपी गयी है–

(i) देश भर में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर चिकित्सकीय शिक्षा का पर्यवेक्षण करना।

(ii) अनुमति देने के लिए,
- नई दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु
- मौजूदा कालेजों का सेवन क्षमता में वृद्धि हेतु
- मौजूदा कालेजों में नये पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु

(iii) दंत चिकित्सक, दंत यांत्रिकी और इस तरह के शर्तों के प्रशिक्षण के लिए मानक पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

(iv) इस अधिनियम के तहत् अन्य आवश्यकताओं के मानक तय करने के लिए कार्य करना।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद *(Veterinary Council of India)*

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई) एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के तहत् किया गया था। यह देश में पशु चिकित्सा व्यवहार और पशु चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के उद्देश्य हेतु स्थापित किया है।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के कार्य हैं–

(i) देश में पशु चिकित्सा व्यवहार को विनियमित करना।

(ii) पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।

(iii) देश में पशु चिकित्सकों के रजिस्टर को तैयार करना एवं उसका रख-रखाव करना।

(iv) पशु चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता या मान्यता वापसी की सिफारिश करना।

(v) पेशेवर आचरण, शिष्टता एवं आचार संहिता के मानकों को निर्धारित करना।

(vi) पशु चिकित्सा व्यवहार एवं शिक्षा से जुड़े सभी नियामक मामलों पर केन्द्र एवं राज्य सरकार को परामर्श देना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(vii) विनियमों का निर्माण करना।

(viii) अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गये नियमों और विनियमों को लागू करना।

भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद *(Central Council of Indian Medicine)*

- भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम) एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1970 के तहत् किया गया था। सीसीआईएम भारतीय औषधीय प्रणाली में पालन की जाने वाली मानक और नियमों के सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

सीसीआईएम के निम्नलिखित कार्य हैं–

(i) चिकित्सा की भारतीय पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष) इत्यादि में शिक्षा के न्यूनतम मानक को निर्धारित करना।

(ii) भारतीय चिकित्सा पर केन्द्रीय रख-रखाव करना तथा समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करना।

(iii) चिकित्सकीय योग्यता की मान्यता को देने या वापस लेने के संबंध में केन्द्र सरकार को परामर्श देना।

(iv) चिकित्सकों द्वारा पालन किये जाने वाले पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानकों का निर्धारण करना।

(v) अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों को लागू करना।

भारतीय नर्सिंग परिषद *(Indian Nursing Council)*

भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के तहत् एक समान मानक स्थापित करने के लिए किया गया था।

भारतीय नर्सिंग परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं–

(i) संस्थानों के नियमित निरीक्षण द्वारा नर्सों, दाइयों, सहायक नर्सों एवं दाइयों तथा स्वास्थ्य निरीक्षणकर्ताओं के लिए नर्सिंग शिक्षा का एक समान मानक स्थापित करना एवं उसकी निगरानी करना।

(ii) भारत तथा विदेश में पंजीकरण एवं रोजगार के प्रयोजन से योग्यताओं को मान्यता देना।

(iii) नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम एवं विनियमों को निर्धारित करना।

(iv) मानकों का पालन करने में विफल रहने वाले संस्थानों के संबंध में योग्यता की मान्यता को वापस लेना।

(v) विदेशी योग्यता रखने वाले भारतीय एवं विदेशी नर्सों के पंजीकरण के लिए मंजूरी देना।

(vi) देश में नर्सिंग शिक्षा के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण मदों में राज्य नर्सिंग परिषदों, जाँच, बोर्ड, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को सलाह देना।

(vii) नर्सिंग क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

(viii) संस्थानों/संगठनों/मास्टर डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों की पहचान करना।

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद *(Central Council of Homoeopathy)*

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1947 के तहत् होम्योपैथी में शिक्षा के एक समान मानकों का विकास करने तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीकरण करने के लिए किया गया था। केन्द्रीय होम्योपैथी रजिस्टर में चिकित्सकों का पंजीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इस पद्धति में योग्यता प्राप्त न करने वाले लोगों द्वारा यह चिकित्सा न की जा सके और जो इसकी चिकित्सा करते हैं वे अपने पेशे में एक आचार संहिता का पालन करें।

राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण *(National Rainfed Area Authority)*

राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) का गठन 2006 में देश के वर्षा आधारित क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। यह एक परामर्शी, नीति निर्माणकारी एवं निगरानी निकाय है, जो कि विभिन्न मौजूदा योजनाओं में

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दिशा-निर्देशों का परीक्षण करने तथा इस क्षेत्र में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित नई योजनाओं के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य केवल जल संरक्षण तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह वर्षापोषित क्षेत्रों के संवहनीय एवं समग्र विकास के सभी पहलुओं को समाहित करता है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण *(Inland Waterways Authority of India)*

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन जहाजरानी तथा नौचालन हेतु अंतर्राज्यीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास एवं रख-रखाव के लिए परियोजनाओं को हाथ में लेता है। प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। प्राधिकरण ने पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का और कोल्लम में उप कार्यालयों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण *(Central Ground Water Authority)*

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् देश में भू-जल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण विकास के विनिमय से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में शामिल है ताकि भू-जल की दीर्घकालीन संवहनीयता सुनिश्चित की जा सके। इनमें ऐसे प्रस्तावों के समाशोधन के द्वारा अतिदोहित, अर्द्धसंक्रांतिक एवं संक्रांतिक ब्लॉकों/तालुकाओं/मंडलों/जिलों में उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा भू-जल की निकासी को निविनियमित करना शामिल है। यह भू-जल प्रबंधन में जागरुकता एवं क्षमता निर्माण हेतु अग्रिम उपायों के रूप में पूरे देश में जनजागरुकता एवं जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन भी करता है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय *(Directorate General of Civil Aviation)*

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में प्रमुख नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है-

(i) भारत के भीतर और भारत से या भारत को प्रदान की जाने वाली वायु परिवहन सेवाओं का विनियमन।

(ii) नागरिक विमानों का पंजीकरण।

(iii) पायलटों, विमान रखरखाव इंजीनियरों और उड़ान के चालक दलों के मानकों की निगरानी करना एवं लाइसेंस प्रदान करना।

(iv) भारत में पंजीकृत नागरिक विमानों के लिए अनिवार्य उड़ान योग्यताएँ निर्धारित करना तथा ऐसे विमानों को उड़ान योग्यता का प्रमाण-पत्र देना।

(v) नागरिक उड्डयन से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना।

(vi) मामूली हवाई दुर्घटनाओं और घटनाओं एवं जांच के न्यायालयों/समीतियों को प्रतिपादन तकनीकी सहायता की जाँच करना।

(vii) क्लब फ्लाइंग/ग्लाइडिंग का प्रशिक्षण गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।

(viii) हवाई अड्डे एवं हवा वाहकों को लाइसेंस प्रदान करना।

(ix) हवाई अड्डों तथा वायुयान वाहकों का सुरक्षा अधिवीक्षण एवं निगरानी करना।

(x) हवाई अड्डे और सीएनएस/एटीएम की सुविधा के प्रमाणन।

(xi) विमान रखरखाव, मरम्मत और निर्माण के लिए मंजूरी देने एवं संगठनों और उनके निरंतर निरीक्षण करना।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण *(Airports Economic Regulatory Authority of India)*

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) एक सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य भारत में प्रमुख विमान पत्तनों पर वैमानिकी सेवाओं को प्रदान करने के लिए टैरिफ विनियमित करना, अन्य विमान पत्तन अधिकारों को निर्धारित करना तथा ऐसे विमान पत्तनों के निष्पादन मानदंडो की निगरानी करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

प्राधिकरण के कार्य निम्नलिखित हैं-

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(i) प्राधिकरण प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करेगा

(क) वैमानिकी सेवाओं के लिए प्रशुल्क का निर्धारण करना।

(ख) पूंजी व्यय और हवाई सुविधाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना।

(ग) प्रमुख हवाई अड्डों के आर्थिक और व्यहार्य अभियान चलाना।

(घ) इसकी गुणवत्ता और सेवा तथा दक्षता में सुधार करना।

(ii) किसी भी समझौते या ज्ञापन में केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित रियायत को समझना।

(iii) प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि का निर्धारण करना।

(iv) केन्द्र सरकार का इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है कि सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित मानकों की निगरानी करना।

(v) अपनी शक्तियों और कार्यों एवं अन्य बातों के साथ निर्वहन करते हुए प्राधिकरण द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

(vi) सभी प्रमुख विमान पत्तनों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण
(Pension Fund Regulatory and Development Authority)

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 2003 में किया गया था। भारत में इसके गठन का उद्देश्य पेंशन क्षेत्र का विकास एवं विनियमन करना है। भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 के तहत पीएफआरडीए ने एक ट्रस्ट का गठन किया है जो पेंशन निधि प्रबंधकों (पीएफएम) के कार्यों पर निगरानी रखता है। नया पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ट्रस्ट विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों द्वारा संघटित हैं और यह प्रतिभा की व्यापक श्रृंखला को नियामक ढाँचे में लाता है।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के प्रयास देश में एक संवहनीय, दक्ष तथा स्वैच्छिक रूप से परिभाषित अंशदान पर आधारित पेंशन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत का खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(Food Safety and Standards Authority of India)

भारत का खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत किया गया था। प्राधिकरण खाद्य वस्तुओं तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात के संबंध में विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करता है ताकि मानव उपभोग के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस अधिनियम का उद्देश्य बहुस्तरीय, बहुविभागीय नियंत्रण से आगे बढ़कर निर्देश की एक एकल लाइन द्वारा खाद्य सुरक्षा तथा मानकों से जुड़े सभी मामलों के लिए एक एकल संदर्भ बिन्दु स्थापित करता है। परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एफएसएसएआई के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

अधिनियम के तहत् एफएसएसएआई को निम्नलिखित कार्य निर्धारित किया गया है-

(i) भोजन के लेख के संबंध में नियमों, मानकों और दिशा निर्देशों का निर्धारण करना।

(ii) प्रमाणन निकायों/प्रयोगशालाओं की मान्यता हेतु दिशा-निर्देश करना।

(iii) खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित क्षेत्रों में नीति और नियम तैयार करने के मामले में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

(iv) भोजन की खपत घटनाओं और जैविक जोखिम के प्रसार, भोजन में दूषित पदार्थों, खाद्य उत्पादों, उभरते खतरों और रैपिड चेतावनी प्रणाली की शुरूआत में पहचान कर विभिन्न संदूषकों (Containinants) के अवशेषों के बारे में डेटा इकट्ठा करना और मुकाबला करना।

(v) खाद्य सुरक्षा के बारे में देश भर में सूचना प्रसार नेटवर्क बनाना।

(vi) विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण करना।

(vii) भोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान करना और संभव सीमा तक राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप।

(viii) खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद *(National Advisory Council)*

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए गठित एक सलाहकारी निकाय है। एनएसी का गठन प्रधानमंत्री द्वारा 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के सत्ता में आने के बाद किया गया था। केन्द्र सरकार ने मार्च 2010 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी को एनएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। यह सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन पर नागरिक समाज के साथ अन्तरफलक के रूप में गठित की गयी थी।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सामाजिक नीति और वंचित तबकों के अधिकारों पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार को नीतिगत और वैधानिक आगत उपलब्ध कराने के लिए गठित की गयी थी। इसके अतिरिक्त एनएसी को सरकार के मुख्या कार्यक्रमों की समीक्षा करनी थी और उनके क्रियान्वयन और आपूर्ति में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए सुझाव देने थे। इस प्रकार एनएसी का कार्य सरकार द्वारा नीति के निर्माण में जानकारी प्रदान करने के लिए और इसके विधायी कार्य में सरकार को समर्थन प्रदान करने के लिए है।

एनएसी में विकास गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों से तैयार प्रतिष्ठित पेशेवरों को शामिल किया जाता है जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम करते हैं। एनएसी के माध्यम से सरकार न केवल उनके अनुभव और विशेषज्ञता पर पहुँच बनाती है वरन् शोध संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों एवं सामाजिक सक्रिय एवं समर्थन तबकों के एक बड़े नेटवर्क तक भी पहुँचती है।

एनएसी कार्य समूह के विषय निम्नलिखित हैं-

(i) सरकार के सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के कौशल विकास।

(ii) फार्म पर कृषि वानिकी-पेड़।

(iii) कार्यकर्ताओं की व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा।

(iv) भारत में सहकारिकता का विकास।

(v) भारत में बगान श्रमिकों के कल्याण के लिए नीति की रूपरेखा।

(vi) पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास।

(vii) मध्य भारत में आदिवासी विकास: शासन मुद्दे।

आर्थिक सलाहकार परिषद *(Economic Advisory Council)*

आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) भारत में एक गैर-संवैधानिक, गैर-स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। प्रधानमंत्री के लिए ईएसी का गठन महत्वपूर्ण आर्थिक सलाह देने एवं सरकार में जागरुकता पैदा करने के लिए एक मजबूत बोर्ड उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इस परिषद को अलग-अलग संगठनात्मक संरचनाओं के साथ समय-समय पर पुनर्गठित किया जा चुका है और इसकी अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्रियों द्वारा की गयी है। इस परिषद का महत्व इस बात से भी पता चलता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस परिषद के अध्यक्ष थे। परिषद का अध्यक्ष कैबिनेट स्तर का होता है। वर्तमान समय में, डा. सी. रंगराजन इसके अध्यक्ष हैं।

प्रधानमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) प्रधानमंत्री द्वारा इसे सौंपे गये किसी भी आर्थिक या अन्य मुद्दे पर विश्लेषण करना और उस पर अपनी सलाह देना।

(ii) व्यापक आर्थिक महत्व वाले मुद्दों को संज्ञान में लेना और उन पर अपने दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री के संज्ञान में लेना।

(iii) व्यापक आर्थिक विकास और आर्थिक नीति के लिए निहितार्थ के साथ मुद्दों पर प्रधानमंत्री को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(iv) प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले कार्यों को निष्पादित करना।

प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर परिषद को भेजे गये नीतिगत मामलों पर सलाह देने के अलावा आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री के लिए देश एवं विदेशों में आर्थिक विकास पर एक मासिक रिपोर्ट तैयार करती है। यह नियमित रूप से आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा करती है एवं देश और विदेश में हो रही महत्वपूर्ण गतिविधियों की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करती है तथा उचित नीतिगत जबाव हेतु सुझाव भी देती है। प्रशासनिक, रसद, नियोजन और बजट प्रयोजनों के लिए, भारत की योजना आयोग आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद *(National Safety Council)*

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) का गठन श्रम मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा 1996 में राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा स्वास्थ्य और

Copyright – Drishti The Vision Foundation

पर्यावरण पर एक स्वैच्छिक आंदोलन को विकसित करने और बनाये रखने के लिए किया गया था। परिषद् एक शीर्ष गैर लाभकारी, त्रिपक्षीय निकाय है, जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के तहत पंजीकृत है।

अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करती है, जो निम्नलिखित हैं-

(i) देश भर में विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन करना।

(ii) इस तरह के सुरक्षा आडिट, जोखिम मूल्यांकन तथा जोखिम निर्धारण जैसे परामर्शी अध्ययनों का आयोजन करना।

(iii) सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली प्रचार सामग्री और प्रकाशनों का डिजाइन एवं विकास।

(iv) सुरक्षा दिवस, अग्नि सेवा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस जैसे विभिन्न अभियानों को आयोजित करने वाले संगठनों को प्रोत्साहन।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का मिशन है-

(i) राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर एक स्वैच्छिक आंदोलन उत्पन्न करना, विकसित करना एवं उसे बनाये रखना आदि समाज को ऐसी उपयुक्त नीतियों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं को अंगीकार करने के लिए शिक्षित और प्रभावित किया जा सके जो सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से होने वाली आर्थिक हानि और मानवीय क्षति का निवारण एवं कम करती है।

(ii) मानव गतिविधि के औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर विश्वस्तरीय मानकों और कार्य व्यवहारों की उपलब्धि को संवर्द्धित करना।

(iii) एनएससी को प्रभावित करने वाले मामलों में सामुदायिक जागरुकता को मजबूत बनाना तथा इसकी सक्रिय भागीदारी को अभिप्रेरित करना।

(iv) सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोगकारी तथा समन्वयकारी प्रयासों को विकसित करना।

इस प्रकार एनएससी 1966 के बाद शासी निकाय के सक्षम मार्गदर्शन के तहत आंदोलन के विकास में अग्रणी है और राष्ट्र के लिए समर्पित सेवा कर रहा है।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद *(National Water Resource Coucnil)*

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् (एनडब्ल्यूआरसी) भारत सरकार द्वारा मार्च 1983 में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री, संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल/प्रशासक इस परिषद के सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है।

वर्ष 1990 में भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जल बोर्ड (एनडब्लूबी) का गठन किया था। यह बोर्ड राष्ट्रीय जल नीति के क्रियान्वयन में होने वाली प्रगति की समीक्षा करता है एवं इस प्रगति के बारे में समय-समय पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को अपनी रिपोर्ट देता है। कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, भूतल परिवहन, पर्यावरण तथा वन, नियोजन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संघीय मंत्रालयों के सचिव, केन्द्रीय जल आयोग का अध्यक्ष, सभी राज्यों, संघशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसके सदस्य होते हैं। केन्द्रीय जल आयोग का एक सदस्य (जल नियोजन एवं परियोजनाएँ) इस बोर्ड का सदस्य सचिव होता है।

जल संसाधन के क्षेत्र में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है जो कि 1945 से ही कार्य कर रहा है। इस आयोग को पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण एवं उपयोग के लिए योजनाओं को शुरू करने, समन्वित करने और आगे बढ़ाने की सामान्य जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी हैं ताकि पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौचालन तथा जल विद्युत शक्ति विकास के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह आयोग जरूरत पड़ने पर ऐसे किसी भी योजना की जाँच, निर्माण एवं क्रियान्वयन का काम भी करता है।

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद *(National Skill Development Council)*

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) का गठन 2008 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति-निर्देशन एवं समीक्षा के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में किया गया था। मानव संसाधन विकास, वित्त, भारी उद्योग, सार्वजनिक उद्यम, ग्रामीण विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन, कृषि, श्रम और रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्रालयों विभागों के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धा परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का अध्यक्ष तथा कौशल विकास के क्षेत्र में छह विशेषज्ञों को भी परिषद में शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव समिति के सदस्य सचिव होते हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद एक तीन स्तरीय संरचना के शीर्ष पर होती है और यह मुख्य रणनीतियों का निर्धारण तथा भावी योजनाएँ तय करती हैं। परिषद को राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह बोर्ड सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में कौशल विकास के लिए किये जाने वाले कार्यों को समन्वित करता है। कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र की कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी निगम के रूप में संस्थात्मक प्रबंधन किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के रूप में यह संस्था वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गयी थी। एनएसडीसी क्षेत्रों में कुशल मानव शक्ति के लिए भारत में बढ़ती जरूरत को पूरा करने और माँग एवं कौशल की आपूर्ति के बीच मौजूदा अंतर को संकीर्ण करने के लिए एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था।

वृद्ध लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद *(National Council for Older Persons)*

वृद्ध लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीओपी) का गठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1999 में किया गया था। इस परिषद का पुनर्गठन, 2005 में किया गया। वर्तमान में इसके 50 सदस्य हैं, जिनमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समूहों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के संघों के प्रतिनिधि तथा कानून, सामाजिक कल्याण एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त लोग शामिल हैं। परिषद का उद्देश्य वृद्ध लोगों को सुविधाएँ, रियायतें और राहत प्रदान करने के लिए और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार को सलाह देना है।

वृद्ध लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं-

(i) वृद्ध लोगों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सरकार को सलाह देना।

(ii) सरकार को वृद्ध लोगों के सामूहिक जनमत से परिचित कराना।

(iii) सरकारी एवं निगमित क्षेत्र में वृद्ध लोगों के लिए रियायतों, कर छूटों एवं मूल्य छूटों के लिए समर्थन उपलब्ध कराना।

(iv) वृद्ध लोगों पर राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन तथा वृद्ध लोगों के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहल पर सरकार को फीडबैक उपलब्ध कराना।

(v) वृद्ध लोगों की व्यक्तिगत प्रकार की शिकायतों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल बिन्दु उपलब्ध कराना।

(vi) वृद्ध लोगों के लिए सर्वोत्तम हितों की वकालत करना जिसमें उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास शिक्षा, कल्याण, जीवन और संपत्ति जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इस प्रकार परिषद अपने मूल उद्देश्य एवं कार्यों में विभिन्न सुविधाओं की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग *(Khadi and Village Industries Commission)*

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत् की गयी थी। इसने पूर्ववर्ती अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थान लिया था। आयोग का मुख्यालय मुंबई में है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित है-

(i) रोजगार उपलब्ध कराने का सामाजिक उद्देश्य

(ii) बिक्री योग्य वस्तुओं को उत्पादित करने का आर्थिक उद्देश्य

(iii) गरीबों के बीच आत्मनिर्भरता बनाने और एक मजबूत ग्रामीण समुदाय की भावना के निर्माण के व्यापक उद्देश्य।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के प्रमुख कार्यों में कुछ इस प्रकार है-

(i) केवीआईसी को ग्रामीण विकास में संलग्न अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने, संवर्द्धन, संगठन और क्रियान्वयन का भार सौंपा गया है।

(ii) केवीआईसी के कार्यों में कच्चे माल के भंडार का निर्माण करना, उत्पादकों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, अर्द्ध तैयार माल के रूप में कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए साझा सेवा सुविधाओं का निर्माण करना।

(iii) केवीआईसी उत्पादों के विपणन हेतु सुविधाओं का प्रबंध करना तथा इन उद्योगों में सलंग्न कारीगरों के प्रशिक्षण का संगठन करना तथा इन कारीगरों के बीच सहकारिता प्रयासों को बढ़ावा देना।

(iv) केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग के विकास और संचालन के लिए संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और डिजाइन प्रोटोटाइप और अन्य तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के माध्यम से मार्गदर्शन का कार्य सौंपा गया है।

(v) ग्रामोद्योग या हस्तशिल्प उत्पादों तथा खादी की बिक्री एवं विपणन को बढ़ावा देना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड *(Central Board of Direct Taxes)*

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) जनवरी, 1964 के बाद से भारत में विभिन्न प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों पर विचार कर रहा है और यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 से अधिकार प्राप्त है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। एक ओर सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

सीबीडीटी का अध्यक्ष भारत सरकार का पदेन विशेष सचिव होता है। इसके अलावा, सीबीडीटी में छह सदस्य होते हैं, जो कि भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में से किया जाता है, जो कि भारत की एक प्रमुख लोक सेवा है। इस सेवा के सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन तंत्र का गठन करते हैं। सीबीडीटी का सहयोगी स्टाफ आईआरएस के साथ-साथ अन्य प्रमुख नागरिक सेवाओं से भी लिया जाता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिनियम में निर्धारित उन सभी कार्यों और केंद्र सरकार द्वारा इसे करने के लिए सौंपा गया है, जो उन लोगों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत है। बोर्ड आयकर अधिकारियों को उचित क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। विभिन्न अधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार के संघर्ष के मामले में बोर्ड मुद्दों को हल करती है।

देशभर में मौजूद आयकर विभाग के विभिन्न मुख्य आयुक्त प्रत्यक्ष करों के संग्रह का अधिवीक्षण करते हैं और कर भुगतान सेवायें उपलब्ध कराते हैं। आयकर महानिदेशालय जाँच तंत्र का अधिवीक्षण करता है और कर अपवंचन तथा अघोषित धन से जुड़े मामलों को निपटाता है। आयकर महानिदेशालय (उन्मुक्ति) द्वारा कर उन्मुक्ति से जुड़े मामलों का अधिवीक्षण किया जाता है जबकि आयकर महानिदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय करारोपण) अंतर्राष्ट्रीय कर एवं मूल्य स्थानान्तरण के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों का अधिवीक्षण करता है। बोर्ड एक खोज आदि का संचालन करने के लिए विशेष रूप से आयकर अधिकारियों को अधिकृत करता है।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड *(Central Board of Excise and Customs)*

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन किया गया था। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। सीबीईसी का अध्यक्ष भारत सरकार का पदेन विशेष सचिव होता है इसके अलावा सीबीईसी में पाँच सदस्य होते हैं, जो कि भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव होते हैं। सीबीईसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में से किया जाता है, जो कि भारत की एक प्रमुख नागरिक सेवा है। इस सेवा के सदस्य केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के शीर्ष प्रबंधन तंत्र का गठन करते हैं। सीबीईसी का सहयोगी स्टाफ आईआरएस के साथ-साथ अन्य प्रमुख लोक सेवाओं से भी लिया जाता है।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड उत्पाद एवं सीमा शुल्कों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, सेवा कर, तस्करी की रोकथाम, शुल्कों के अपवंचन से जुड़े नीति-निर्माण कार्यों तथा सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा करों से जुड़े सभी प्रशासनिक मामलों को देखता है। सीबीईसी आयकर अधिकारियों को उचित क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। यह एक खोज आदि का संचालन करने के लिए विशेष रूप से आयकर अधिकारियों को उचित क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। यह एक खोज आदि का संचालन करने के लिए विशेष रूप से आयकर अधिकारियों को अधिकृत करता है। बोर्ड अपने कार्यों को सीमा एवं उत्पाद शुल्क क्षेत्रों, सीमा एवं उत्पाद शुल्क, सेवा कर आयुक्तों तथा निदेशालयों की सहायता से पूरा करता है।

खाद्य एवं पोषण बोर्ड *(Food and Nutrition Board)*

खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) का गठन खाद्य मंत्रालय के तहत 1964 में किया गया था। इस बोर्ड को 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन लाया गया। एफएनबी को योजना आयोग द्वारा देश के कुपोषण के स्तर को घटाने वाले मूलभूत संगठनों में से एक के रूप में मान्यता दी गयी है।

खाद्य एवं पोषण बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) महत्त्वपूर्ण पोषण मुद्दों पर विभिन्न पोषण उन्मुख क्षेत्रीय उपायों और मुद्दों पर नीतिगत दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

(ii) वकालत एवं नीति निर्माताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं के संवेदीकरण के माध्यम से पोषण संबंधी मुद्दों को केन्द्र स्तर पर लाने के संबंध में गतिविधियों को बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iii) शिशु और छोटे बच्चे के पोषण के मुद्दों सहित सभी स्तरों पर रोकथाम और कुपोषण के नियंत्रण पर एक जोरदार जागरुकता अभियान संचालित करना।

(iv) राष्ट्रीय पोषण नीति पर कार्यवाही करना।

(v) जनता एवं आईसीडीएस कार्यकारियों के लिए पोषण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

(vi) खाद्य विश्लेषण एवं मानकीकरण के कार्य करना।

(vii) स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्यों का विकास एवं संवर्द्धन करना।

(viii) घरेलू स्तर पर फलों, सब्जियों और पोषण के परिरक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

देश में राष्ट्रीय पोषण नीति (एनएनपी) का निर्माण 1993 में किया गया इसके अनुसरण में 1995 में एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की गयी। राष्ट्रीय कार्ययोजना के द्वारा कुपोषण से लड़ने के लिए समन्वित कार्यवाही करने के लिए सरकार में विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गयी है।

राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान *(National Institute of Public Co-operation and Child Development)*

राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान महिला एवं बाल विकास के संपूर्ण क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्यवाही एवं शोध, प्रशिक्षण एवं दस्तावेजीकरण के संवर्द्धन हेतु समर्पित एक प्रमुख संगठन है। यह महिला एवं बाल विकास मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है।

संस्थान का उद्देश्य इस प्रकार है-

(i) सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्यवाही को विकसित करना और बढ़ावा देना।

(ii) बच्चों के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखना और बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में कार्यक्रमों को विकसित करना तथा बढ़ावा देना।

(iii) सामाजिक विकास में सरकारी और स्वैच्छिक कार्यवाही के समन्वय के लिए उपायों को विकसित करना।

(iv) महिला एवं बाल विकास के व्यापक दृष्टिकोण को ग्रहण करना।

(v) सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बच्चों के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक रूपरेखा और परिप्रेक्ष्य का विकास करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से संस्थान अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन का आयोजन करता है, प्रशिक्षण, कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन और जनता के सहयोग एवं बाल विकास के क्षेत्र में दस्तावेज और जानकारी सेवाएँ प्रदान करता है। यह संस्थान एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक शीर्ष निकाय है। यह महिला एवं बाल विकास तथा स्वैच्छिक गतिविधियों के लिए कार्यक्रमों व नीतियों को क्रियान्वित और प्रोत्साहित करने में सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी सलाह तथा परामर्श उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यह क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं के साथ भी मिलकर कार्य करता है।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड *(Central Advisory Board of Education)*

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए एक शीर्ष निकाय है। सबसे पहले इसकी स्थापना 1920 में की गयी थी और 1923 में इसे बचत के एक उपाय के रूप में विघटित कर दिया गया था। इसे 1935 में पुनर्जीवित किया गया और यह 1994 तक अस्तित्व में रहा था।

भूतकाल में सीएबीई की सलाह पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे और इसने सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास से जुड़े मुद्दों के व्यापक परामर्श तथा परीक्षण हेतु एक मंच उपलब्ध कराया था। इस तथ्य के बावजूद 1994 में इसके विस्तारित कार्य कार्यकाल के समाप्त होने के बाद इसे पुनर्गठित न करना दुर्भाग्यपूर्ण था।

1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992 में संशोधित) यह अभिकल्पित करती है कि सीएबीई प्रणाली को सुधारने के लिए आवश्यक बदलाओं को निर्धारित करने, शैक्षिक विकास का पुनरीक्षण करने और क्रियान्वयन की निगरानी करने में एक धुरी भूमिका

Copyright – Drishti The Vision Foundation

निभायेगा तथा मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क एवं समन्वय को सुनिश्चित करके उपयुक्त कार्यतंत्रों के माध्यम से कार्य करेगा। उसके अनुसार सीएबीई को 2004 में सरकार द्वारा पुनर्गठित किया गया है। सीएबीई में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों, भारत सरकार, राज्य सरकार और संघशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्य शामिल होते हैं।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की शिक्षा के हर क्षेत्र में अपनी भूमिका है। बोर्ड का कर्त्तव्य पूरे देश में छात्रों के लिए एक बेहतर शिक्षा प्रक्रिया के निर्माण के लिए है। इसके साथ ही यह पूरे देश में शिक्षा के बुनियादी नियमों और विनियमों को नियंत्रित करता है। इसे पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच समानता बनाये रखना चाहिए। यह शिक्षा के क्षेत्र के साथ संबंधित अधिकारी को रूपरेखा और विचार देता है। इस सलाहकार बोर्ड की पूरे देश में शैक्षिक प्रक्रिया के संवर्द्धन और इसे विश्व में सबसे अधिक शिक्षित देशों में से एक बनाने के लिए आवश्यक है।

भारत के लिए शत्रु सम्पत्ति का अभिरक्षक *(Custodian of Enemy Property for India)*

शत्रु सम्पत्ति से संबंधित कार्य पहले वाणिज्य विभाग द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था जिसे वर्ष 2007 में गृह मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। देश के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय वर्तमान में शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में शामिल प्रावधानों के तहत् कार्य करता हैं। यह अधिनियम भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक को शत्रु संपत्ति के संरक्षण और प्रबंधन की शक्ति प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत् पूरे देश में मौजूद ऐसी अचल और चल संपत्तियों जो कि वर्ष 1965 से लेकर 1977 की अवधि के बीच पाकिस्तान के नागरिकों के नाम पर प्रतिबंधित और धारित की जाती थीं, को भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में विहित करता है। भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय मुंबई में स्थित है एवं इसकी एक शाखा कोलकाता में भी है। शत्रु संपत्तियाँ देश भर में बिखरे हुए हैं संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित काम के लिए राज्य सरकारों के राजस्व विभाग के माध्यम से किया जा रहा हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के दोनों चल एवं अचल संपत्तियों 1977 में संशोधन के रूप में शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा, 3 के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक में निहित है। अभिरक्षक दो ऐसे गुण से सकल आय पर प्रतिशत के बराबर शुल्क लगाने के लिए अधिकृत है। अभिरक्षक भी भारतीय नागरिक या जिनके गुणों के दौरान और भारत पाक युद्ध 1965 के बाद पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये कंपनियों के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए दावा निपटाने का भी जिम्मा सौंपा गया है।

अभिरक्षक के रूप में निहित हैं-

(i) देश भर में बिखरे हुए भूमि, भवन इत्यादि के रूप में 2049 अचल संपत्तियाँ।

(ii) कंपनियों के निहित प्रतिभूतियों, शेयर, डिबेंचर आदि।

(iii) बैंक के बैलेंस और नकदी

(iv) भविष्य निधि जमा और ग्रेच्युटी आदि जैसी सचल संपत्ति का प्रबंधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अभिरक्षक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एवं हबीब बैंक का भी प्रबंधन करता है।

राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिरक्षा संस्थान *(National Institute of Social Defence)*

राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत् एक स्वायत्त निकाय है। यह सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेपों के लिए नोडल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान है। संस्थान का उद्देश्य भारत सरकार के सामाजिक प्रतिरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत बनाना तथा उन्हें तकनीकी लागत उपलब्ध कराना है। संस्थान के लिए सामाजिक रक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, हालांकि मुख्य रूप से इसे गतिविधियों और समाज की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम सौंपा गया है।

संस्थान के ध्यान देने हेतु मुख्य क्षेत्र हैं-

(i) मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम,

(ii) वृद्धजनों की देखभाल,

(iii) भिक्षावृत्ति निवारण, बाल संरक्षण सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे इत्यादि।

संस्थान के जनादेश भारत सरकार के कार्यक्रम, प्रशिक्षण, शोध एवं प्रलेखन के माध्यम से सामाजिक बचाव के लिए जानकारी प्रदान करना है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

संस्थान के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं-

(i) सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

(ii) सामाजिक रक्षा से संबंधित समस्याओं का निदान करने के लिए सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रमों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।

(iii) प्रभावित लोगों के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में निवारक, पुनर्वास एवं उपचार हेतु विकास नीतियों को विकसित करना।

(iv) सामाजिक प्रतिरक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक प्रतिरक्षा नीतियों के क्रियान्वयन और कार्यक्रमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।

भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त *(Registrar General and Census Commissioner of India)*

दस वर्ष की जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी गृहमंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के साथ टिकी हुई है। यह ऐतिहासिक रूचि का विषय हो सकता है कि भारत में जनगणना के एक प्रमुख प्रशासनिक कार्य होने के बावजूद जनगणना संगठन का गठन 1951 की जनगणना होने तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर किया जाता था। जनगणना अधिकारियों के कर्त्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ जनगणना के आयोजन करने की योजना उपलब्ध कराने के लिए जनगणना अधिनियम, 1948 में पारित किया गया था। भारत सरकार ने मई 1949 में जनसंख्या के आकार, इसकी संवृद्धि के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों के व्यवस्थित संग्रह के विकास के लिए कदम उठाने काम निर्णय लिया और भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के अधीन गृह मंत्रालय में एक संगठन की स्थापना की। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एंड सीसीआई) जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना (संशोधन) अधिनियम, 1993 के अधीन दशकीय आवास एवं जनसंख्या गणना के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अधिवीक्षण तथा जनगणना परिणामों के सारणीकरण, संकलन एवं वितरण का कार्य करता है इसके अतिरिक्त यह कार्यालय जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के समग्र क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। यह देश भर में जन्म मृत्यु से जुड़े सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन करता है ओआरजी एवं सीसीआई पृथक रूप से नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के तहत् एक सुप्रदर्शित नमूने के द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मृत्यु दर एवं जन्म दर का अनुमान लगाते हैं। 2003 से ओआरजी एवं सीसीआई द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत् नागरिक पंजीकरण के महापंजीयक एवं राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में भी कार्य किया जा रहा है। ओआरजी एवं सीसीआई को अब जिला स्तर पर मूलभूत स्वास्थ्य सूचकांकों की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस) का कार्य भी सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कार्यालय को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एमएनआईसी) पर एक पायलट परियोजना का भी कार्य सौंपा गया है।

मुख्य लागत सलाहकार का कार्यालय *(Office of the Chief Advisor Cost)*

मुख्य लागत सलाहकार (सीएसी) का कार्यालय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में कार्य करने वाले प्रभागों में से एक है। यह कार्यालय लागत लेखा मामलों पर मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों को सलाह देने और उनकी ओर से लागत जांच का काम शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। यह एक पेशेवर संस्था है, जिसमें लागत लेखाकारों/सनदी (चार्टर्ड) लेखाकारों को स्टाफ में रखा जाता है।

मुख्य लागत सलाहकार का कार्यालय लागत और मूल्य निर्धारण से जुड़े मामलों, निष्पक्ष मूल्यों के निर्धारण हेतु उद्योग स्तरीय अध्ययनों, प्रयोक्ता अधिभारों का अध्ययन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी के मामलों, परियोजनाओं के लागत-लाभ विश्लेषण लागत कटौती पर अध्ययन, लागत प्रभाविता, पूंजी गहन परियोजनाओं का मूल्यांकन, लाभ प्रदाता विश्लेषण तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए लागत, वाणिज्यिक-वित्तीय लेखांकन के विकास तथा आधुनिक प्रबंधन औजारों के अनुप्रयोग से जुड़े मामलों को देखता है। यह कार्यालय उत्पादन की लागत को सत्यापित करने के लिए और रक्षा खरीद सहित सरकारी विभागों के लिए उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। इस कार्यालय की भूमिका को बाद में और बढ़ा दिया गया तथा इसे प्रशासित मूल्य प्रणाली (एपीएम) के तहत् अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले उत्पादों, जैसे-पेट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट आदि के मूल्यों को स्थिर करने का कार्य भी सौंपा गया है। यह कार्यालय भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएएस) के लिए एक संवर्ग नियंत्रण कर्यालय भी है एवं यह अधिकारियों के ज्ञान एवं कौशल के निरंतर उन्नयन के लिए प्रशिक्षण जरूरतों को भी पूरा करता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

सीसीए के कार्यालय के कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/जटिल मूल्य समझाने में संगठन/संबंधित मुद्दों लागत की सहायता करना एवं विभिन्न सेवाओं/उत्पादों के लिए उचित मूल्य तय करने और लागत के मामले में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना।

(ii) सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच खरीद अनुबंध से उत्पन्न दावों का परीक्षण एवं सत्यापन करना।

(iii) सरकारी विभागों को सक्षम करने के लिए, सरकार के लिए आपूर्ति के उत्पादों और आपूर्ति संगठनों के साथ कीमतों में बातचीत करने के लिए सेवाओं की कीमतों का निर्धारण करना।

प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय *(Office of the Principal Scientific Advisor)*

भारत सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) का कार्यालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इस कार्यालय की मुख्य जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं-

(i) नवाचारों को उत्पन्न करने के क्रम में विभिन्न नीतियों, मिशन और रणनीतियों को विकसित करना तथा कई अनुप्रयोगों के प्रयोजन के लिए समर्थन प्रणालियों का विकास करना।

(ii) भारत में विभिन्न उद्योगों, विभागों और संस्थानों के तहत् आर्थिक, सामरिक एवं सामाजिक वर्गों के विकास की दिशा में कार्य करना।

(iii) भारत सरकार के साथ साझेदारी में काम करना।

प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा सामरिक, आर्थिक तथा तकनीकी विकास के अन्य क्षेत्रों में बहुविभागीय, बहुसंस्थात्मक परियोजनाओं को संचालित किया जाता है एवं लक्ष्यों का निर्माण किया जाता है। पीएसए का कार्यालय सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थानों एवं उद्योग के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यह सामंजस्य इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि सरकार के वैज्ञानिक उद्यम विभिन्न विभागों में बंटे होते हैं और इनमें से कुछ क्षेत्र किसी के भी कार्यक्षेत्र में नहीं आते है, जबकि कुछ क्षेत्र अनेक मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्षेत्र में आ जाते हैं।

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। इस तरह यह कार्यालय मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सचिवालय के रूप में भी काम करता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation